वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक **23.02.2017** दिन गुरुवार को पूर्वान्ह **11.30 बजे** विश्वविद्यालय परिसर प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में **परीक्षा समिति** की **बैठक** की कार्यवाही–

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल, कुलपति	**अध्यक्ष**
02.	डॉ. विनय कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03.	श्री उमाशंकर सिंह, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, रीडर हिन्दी विभाग, गांधी शताब्दी स्मारक महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़।	सदस्य
04	डॉ. एम0एस0अंसारी, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, रीडर वाणिज्य, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
05.	श्री इश्तियाक अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, रीडर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
06.	डॉ. अजय प्रताप सिंह,संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
07.	डॉ. बी.बी. तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
08.	डॉ. बी0डी0 शर्मा, संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
09.	प्रो. डी.डी. दूबे, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय,बायोटेक्नालाजी विभाग, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
10.	डॉ. बालेन्दु कुमार सिंह, (वरि. शिक्षक) वनस्पति विज्ञान विभाग, राजा हरपाल सिंह पी.जी.कालेज, सिंगरामऊ, जौनपुर।	सदस्य
11.	डॉ. रामनारायण, (सदस्य कार्यपरिषद) प्राध्यापक, बायोटेक्नोलाजी विभाग, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
12.	डॉ समर बहादुर सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
13.	डॉ. विजय कुमार सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
	डॉ0 देवराज, कुलसचिव, बी.वी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

बिन्दु संख्या–01 (क)

परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 25.04.2016 एवं परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 28.07.2016 एवं 12.11.2016 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 25.42.2016 एवं आपात बैठक दिनांक 28.07.2016 एवं 12.11.2016 की कार्यवाही की समिति द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या–02

आर0एस0के0 डी0 पी0जी0कालेज, जौनपुर के बी0ए0 तृतीय वर्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय के लघु शोध प्रबन्ध जमा करने सम्बन्धी अध्यक्ष परीक्षाफल घोषणा समिति के आख्या दिनांक 19.12.2016 पर विचार।

निर्णय– उक्त प्रकरण पर अध्यक्ष परीक्षाफल घोषणा समिति की आख्या दिनांक– 19.12.2016 जिसका मुख्य अंश ...**'बी0ए0तृतीय वर्ष के पत्रकारिता एवं जन संचार विषय के लघु शोध प्रबन्ध में कुल 65 छात्रों में से 53 छात्रों के लघु शोध समय से मूल्यांकन हेतु उपलब्ध कराये गये थे, उनका परीक्षाफल घोषित है, शेष 12 छात्रों के लघु शोध न जमा होने की स्थिति में परीक्षाफल अपूर्ण है। एक छात्र गौतम यादव ने लघु शोध जमा करने की अनुमति मॉगी है, जबकि 11 ग्यारह अन्य छात्र अब भी लघु शोध जमा नहीं किये है, ऐसी स्थिति में प्राचार्य आर0एस0के0 डी0 पी0जी0कालेज, के प्राचार्य को इस आशय का पत्र निर्गत किया जाय कि वे अपने स्तर से सभी छात्रों को सूचित करते हुए विलम्बतम् 05 जनवरी, 2017 तक लघु शोध प्रबन्ध विश्वविद्यालय को प्राप्त करावें। इसके उपरान्त किसी भी दशा में लघु शोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।''..**

समिति ने उक्त से संबंधित विश्वविद्यालय के पत्र को संज्ञान में लिया तथा विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि एक छात्र गौतम यादव जिसके द्वारा लघु शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है को अनुमत करते हुए शेष 11 छात्रों का परीक्षाफल नियमानुसार घोषित किये जाने हेतु समिति ने अपनी सहमति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–03

बाबू उदरेज शिक्षा संस्थान बगहाँ, महाराजगंज, जौनपुर के बी0ए0 प्रथम वर्ष के गृहविज्ञान विषय के प्रायोगिक परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों का अंकन विश्वविद्यालय में जमा अंक पर्ण में छूट जाने सम्बन्धी प्रकरण पर अध्यक्ष परीक्षाफल घोषणा समिति की आख्या दिनांक 19.12.2016 पर विचार।

निर्णय– उक्त प्रकरण पर अध्यक्ष परीक्षाफल घोषणा समिति की आख्या दिनांक– 19.12.2016 जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है–

..."उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य को इस लापरवाही हेतु कड़ी चेतावनी इस आशय की दी जाय कि भविष्य में पुनरावृत्ति पर परीक्षाफल निरस्त एवं अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

छात्रों के भविष्य को ध्यान रखते हुए छात्र हित में उ0पु0 के अंक स्वीकार किये जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि प्राचार्य अपने स्तर से इन 09 परीक्षार्थियों की उ0पु0 पर चढ़े अंकों के अनुरुप मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षक के हस्ताक्षर से अलग से अंकपर्ण प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् परीक्षा परिणाम पूर्ण किया जाय"..

परीक्षा समिति ने अध्यक्ष परीक्षाफल घोषणा समिति की आख्या दिनांक– 19.12.2016 को संज्ञान में लिया तथा बी0ए0 प्रथम वर्ष गृहविज्ञान विषय के 09 परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा मुख्य परीक्षा 2017 की प्रायोगिक परीक्षा के साथ सम्पन्न कराने का आदेश दिया गया, तथा इन अभ्यर्थियों को यदि वे अन्य विषयों के सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण हों तो बी0ए0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित किये जाने हेतु समिति ने अपनी सहमति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–04

मुख्य परीक्षा 2017 की उत्तर पुस्तिकायें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संकलन केन्द्रों से प्रति सप्ताह विश्वविद्यालय मूल्यांकन केन्द्र पर मंगाये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय– समिति ने उक्त प्रकरण को संज्ञान में लिया तथा मुख्य परीक्षा 2017 की विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संकलन केन्द्रों से आवश्यकतानुसार प्रति सप्ताह विश्वविद्यालय मूल्यांकन केन्द्र पर उत्तर पुस्तिकाओं को मंगाये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–05

मुख्य परीक्षा 2016 में डिबार (विवर्जित) किये गये परीक्षा केन्द्रों की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा भी उन्हीं केन्द्रों पर करायी जायेगी, जहाँ पर उनकी सैद्धान्तिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय– समिति ने उक्त प्रकरण को संज्ञान में लिया तथा मुख्य परीक्षा 2016 में डिबार (विवर्जित) किये गये परीक्षा केन्द्रों की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा भी उन्हीं केन्द्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा वरिष्ठ प्राध्यापकों को नामित कर संबंधित विषयों की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–06

परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 19.11.2016 की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 19.11.2016 की संस्तुति को परीक्षा समिति ने पुष्टि की।

कार्यसूची संख्या–07

परिसर परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 11.05.2016, 01.06.2016, 04.06.2016, 22.11.2016 एवं 09.12.2016 की पुष्टि।

निर्णय– परिसर परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 11.05.2016, 01.06.2016, 04.06.2016, 22.11.2016 एवं 09.12.2016की संस्तुति को परीक्षा समिति ने पुष्टि की।

कार्यसूची संख्या–08

श्री शैलेन्द्र कुमार के आवेदन दिनांक शून्य के आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2016 के परिपालन में श्री शैलेन्द्र कुमार के आवेदन दिनांक शून्य प्राप्त दिनांक 02.01.2017 पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय– समिति ने श्री शैलेन्द्र कुमार के आवेदन दिनांक शून्य के आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2016 के परिपालन हेतु नैसर्गिक न्यायिक दृष्टि से आर0डी0सी0 की बैठक दिनांक. 10.11.2016 के निर्णय पर Show-Cause नोटिस देते हुए दो सप्ताह में बिन्दुवार जबाब देने एवं तदानुसार परीक्षा समिति के समक्ष स्वयं प्रस्तुत होने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार–

बिन्दु संख्या – 1 (क). **पीएच0डी0 कोर्सवर्क मे अनुत्तीर्ण एवं विभिन्न विषयों के छूटे हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा शीघ्र कराये जाने हेतु पी–एच0डी0 समिति की संस्तुति दिनांक 16.12.2016 पर विचार।**

निर्णय :– समिति के समक्ष दिनांक 16.12.2016 की पीएच0डी0 कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय का अंश ... **पीएच0डी0 कोर्सवर्क के संस्कृत विषय के शोधार्थियों की छूटी हुई परीक्षा तथा विभिन्न विषयों में अनुत्तीर्ण शोधार्थियों को परीक्षा देने का एक अवसर प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। यह परीक्षा अतिशीघ्र आयोजित किया जाना उचित होगा।..**

समिति ने पीएच0डी0 कमेटी की बैठक दिनांक 16.12.2016 को संज्ञान में लिया तथा यह निर्णय लिया कि पीएच0डी0 कोर्सवर्क पूर्ण कर चुके हैं, तथा जो अभ्यर्थी पीएच0डी0 कोर्सवर्क हेतु आवेदन फार्म भरे हो तथा ऐसे अर्ह शोधार्थी किसी कारण से फार्म न भर पाएं हों को भी परीक्षा देने हेतु एक अवसर प्रदान किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

(ख). **डॉ0नरेन्द्र कुमार सिंह पूर्व संयोजक शिक्षा संकाय, राजा हरपाल सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर के पत्र दिनांक 18.01.2017 पर विचार।**

निर्णय :– उक्त प्रकरण पर समिति ने सर्व सम्मति से कुलपति महोदय को इस सम्बन्ध में एक समिति गठित करने हेतु अधिकृत किया गया।

(ग). **अध्यक्ष, स्ववित्त पोषित महाविद्यालय प्रबन्ध एसोशियसन के पत्र दिनांक 16.01.2017 द्वारा उठाये गये बिन्दु यह कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2016 में सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालयों पर परीक्षा समिति द्वारा लिए गये निर्णय पर पुर्नविचार किये जाने के सम्बन्ध में विचार।**

निर्णय :– समिति ने अध्यक्ष, स्ववित्त पोषित महाविद्यालय प्रबन्ध एसोशियेसन के पत्र दिनांक 16.01.2017 द्वारा उठाये गये बिन्दु को संज्ञान में लिया तथा विचारोपरान्त उक्त प्रकरण को निरस्त किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

(घ). **केन्द्रीय मूल्यांकन में स्नातक/स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) तथा स्नातकोत्तर स्तर की उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 100 (50–50 के बण्डल) की जाय पर विचार।**

निर्णय :– इस प्रकरण पर समिति ने सर्वसम्मति से बिन्दु 01 ख के अनुसार यथावत समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

(च). **प्रायोगिक परीक्षा में स्नातक स्तर पर 03 वर्ष तथा स्नातकोत्तार स्तर पर 05 वर्ष अनुभव वाले प्राध्यापक ही आन्तरिक परीक्षक बनाये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।**

निर्णय :– समिति ने उक्त प्रकरण को संज्ञान में लिया तथा स्नातक एवं परास्नातक स्तर के विषयों की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु ऐसे आन्तरिक परीक्षक जो स्नातक स्तर पर 02 वर्ष एवं परास्नातक स्तर पर 04 वर्ष का अनुभव रखते हों, उन्हें सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षक नामित किया जाय। यदि उसका अनुपालन संबंधित महाविद्यालय नहीं करता है, तो आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षक दूसरे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नामित कराकर प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रकरण पर अपनी सहमति प्रदान की।

(छ).. **मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की न्यूनतम् संख्या निर्धारित हो तथा डी0ए0 का भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।**

निर्णय :– इस प्रकरण पर समिति ने सर्वसम्मति से विन्दु 01 ख के अनुसार यथावत समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

(ज).. **प्रश्नपत्र निर्माता हेतु शैक्षणिक अनुभव 05 वर्ष किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।**

निर्णय– उक्त प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त समिति ने प्रकरण को स्थगित रखे जाने हेतु सहमति प्रदान की।

(झ) **पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा दिनांक 23.10.2016 में अनुचित साधन प्रयोग (यू0एफ0एम0) में निरुद्ध अभ्यर्थी जिसका अनुकमांक–1611256 पर यू0एफ0एम0 समिति की बैठक दिनांक 21.02.2017 की संस्तुति/निर्णय पर विचार।**

निर्णय– समिति के समक्ष पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा दिनांक 23.10.2016 में अनुचित साधन प्रयोग (यू0एफ0एम0) में निरुद्ध अभ्यर्थी जिसका अनुक्रमांक– 1611256 पर यू0एफ0एम0 समिति की बैठक दिनांक 21.02.2017 पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संबंधित अभ्यर्थी को कारण बताओं नोटिस जारी कर आख्या प्राप्त करने के उपरान्त, अभ्यर्थी के पूर्व में हुए प्रवेश को निरस्त करते हुए पंजीकरण कराये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की।

(ट) परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 20.02.2017 की संस्तुति पर विचार।

निर्णय– परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 20.02.2017 में लिये गये निर्णय जिसका मुख्य अंश ...मुख्य परीक्षा 2016 में डिबार कुल 58 केन्द्रों में से तीन परीक्षा–केन्द्र मुख्य परीक्षा 2015 में भी डिबार थे, अर्थात लगातार दो परीक्षाओं में डिबार हुए हैं। समिति सर्वसम्मति यह निर्णय लेती है कि निम्न तीन महाविद्यालयों की छात्राओं का मुख्य परीक्षा 2017 में स्वकेन्द्र नहीं बनाया जाय..

1. श्री शारदा महाविद्यालय, खोरंगपुर, बेलऊ, आजमगढ़।
2. देवी श्यामरथी महिला महाविद्यालय, साधवगंज, बरसरा, खालसा,आजमगढ़।
3. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय,चकरा,वासुनगर,दरगाह, मऊ

उक्त प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा संचालन समिति की उक्त संस्तुति पर अपनी सहमति प्रदान की।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

डा0(देवराज)
कुलसचिव / सचिव

(प्रो0 पीयूष रंजन अग्रवाल)
कुलपति / अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक **12.05.2017** दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह **11.30 बजे** विश्वविद्यालय परिसर प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में **परीक्षा समिति की आपात बैठक** की कार्यवाही–

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो. राजा राम यादव, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डॉ. विनय कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03.	डॉ. एम0एस0अंसारी, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, रीडर वाणिज्य, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
04.	डॉ. अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय बी.वी.एस.पी.यू., जौनपुर।	सदस्य
05.	डॉ. बी.बी. तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
06.	डॉ. बी0डी0 शर्मा, संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
07.	डॉ. वन्दना राय, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
08.	डॉ. बालेन्दु कुमार सिंह, (वरि. शिक्षक) वनस्पति विज्ञान विभाग, राजा हरपाल सिंह पी.जी.कालेज, सिंगरामऊ, जौनपुर।	सदस्य
09.	डॉ. अरविन्द कुमार, राम, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय,अहरौला,आजमगढ़	सदस्य
10.	डॉ.रामनारायण, (सदस्य कार्यपरिषद) प्राध्यापक, बायोटेक्नोलाजी विभाग बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ समर बहादुर सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
12.	डॉ. विजय कुमार सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
	डॉ. देवराज, कुलसचिव, बी.वी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का परिचय कुलसचिव महोदय द्वारा कराया गया, सर्वसम्मति से नवागान्तुक कुलपति महोदय को समस्त सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

बिन्दु संख्या–01

(क) चन्द्रभान सिंह डिग्री कालेज, जौनपुर के सन्दर्भ में उड़ाकादल के संयोजक की आख्या दिनांक 24.04.2017 पर विचार।

(ख) हंडिया कालेज, हंडिया, इलाहाबाद के सन्दर्भ में उड़ाकादल के संयोजक की आख्या दिनांक 25.04.2017 पर विचार।

(ग) मॉ वैष्णवी महाविद्यालय, करंजाकला, जौनपुर के सन्दर्भ में उड़ाकादल के संयोजक की आख्या दिनांक 16.04.2017 पर विचार।

(घ) बाबा साधवराम महाविद्यालय, बड़सरा, खालसा, कोईनहॉ, आजमगढ़ के सन्दर्भ में पर्यवेक्षक जनपद आजमगढ़ के आख्या दिनांक 19.04.2017 पर विचार।

(च) स्व0 बहादुर सिंह महाविद्यालय, बनकट, जौनपुर के सन्दर्भ में उड़ाकादल के संयोजक की आख्या पर एक सदस्यीय जॉच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक 24.04.2017 पर विचार।

(छ) मॉ वैष्णवी महाविद्यालय, करंजाकला, जौनपुर के सन्दर्भ में उड़ाकादल के संयोजक की आख्या पर एक सदस्यीय जॉच अधिकारी की जॉच दिनांक 24.04.2017 पर विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2016–17 के शुचितापूर्ण संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाकादल टीमों एवं जनपद पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षण किये गये महाविद्यालय की आख्या को समिति के समक्ष रखा गया, जिस पर समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त प्रकरणों को अनुचित साधन प्रयोग समिति के समक्ष रखे जाने हेतु एवं जॉचोपरान्त संबंधित समिति की आख्या आगामी परीक्षा समिति की बैठक में रखे जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

(देवराज)
कुलसचिव

(प्रो0 राजा राम यादव)
कुलपति

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक **03.04.2017** दिन सोमवार को अपरान्ह **04.30 बजे** विश्वविद्यालय परिसर प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में **परीक्षा समिति की आपात बैठक** की कार्यवाही--

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डॉ. विनय कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03.	श्री उमाशंकर सिंह, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, रीडर हिन्दी विभाग, गांधी शताब्दी स्मारक महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़।	सदस्य
04	डॉ. एम0एस0अंसारी, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, रीडर वाणिज्य, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
05.	डॉ. बी.बी. तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
06.	डॉ. बी0डी0 शर्मा, संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
07.	डॉ. बालेन्दु कुमार सिंह, (वरि. शिक्षक) वनस्पति विज्ञान विभाग, राजा हरपाल सिंह पी.जी.कालेज, सिंगरामऊ, जौनपुर।	सदस्य
08.	डॉ समर बहादुर सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
09.	डॉ. विजय कुमार सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
	श्री एम0के0 सिंह, वित्त अधिकारी,	विशेष आमंत्रित
	श्री संजीव कुमार सिंह, कुलसचिव, बी.वी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

बिन्दु संख्या–01 (क)

मुख्य परीक्षा 2016–17 के सफल एवं शुचितापूर्ण सम्पन्न कराने के लिए किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।

निर्णय– मुख्य परीक्षा 2016–17 के सफल एवं शुचितापूर्ण तरीके से कराए जाने के कार्यों से समिति को अवगत कराया गया, जिसे समिति द्वारा संज्ञान में लेते हुए संतोष व्यक्त किया।

(ख). **महाविद्यालयों की उड़ाका दल के संयोजकों द्वारा दी गयी आख्या के सम्बन्ध में विचार।**

निर्णय :– विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाकादल के संयोजकों/पर्यवेक्षकों की आख्या/संस्तुति संयोजक–उड़ाकादल, जौनपुर दिनांक–27.03.2017, 29.03.2017, 01.04.2017 तथा दिनांक 28.03.2017 को मऊ जनपद के डी0आई0ओ0एस0 (प्रतिनिधि जिलाधिकारी मऊ) Whatsapp के Video को, समिति के समक्ष रखा गया, संयोजकों की उक्त आख्या को समिति द्वारा अनुमोदन करते हुए संबंधित महाविद्यालय के परीक्षार्थियों की परीक्षा नजदीक के किसी महाविद्यालय पर कराये जाने हेतु आदेशित किया गया, तथा संबंधित परीक्षा केन्द्र को अगले आदेश तक निरस्त किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की। निरस्त किये गये परीक्षा केन्द्रों का नाम निम्नवत् है–

1. सुमित्रा महाविद्यालय, शेरवॉ, जौनपुर,
2. देव विद्यास्थली महाविद्यालय, डोभी, खेतासराय, जौनपुर,
3. नवयुग महाविद्यालय, मधूपुर, जौनपुर
4. श्री नान्हू यादव बालिका महाविद्यालय, भगवानपुर (हरौड़ा) आजमगढ़

(ग). **बाबा भृगु महाविद्यालय, पलिया, मऊ के प्राचार्य द्वारा परीक्षक डॉ0 आशा राम यादव, आर0एस0के0डी0 महाविद्यालय, जौनपुर के ख़िलाफ की गयी शिकायत की जॉच हेतु नामित जॉच अधिकारी की आख्या पर विचार।**

निर्णय :– उपरोक्त प्रकरण पर जॉच अधिकारी की आख्या दिनांक 21.02.2017 को समिति ने संज्ञान में लिया तथा उक्त प्रकरण पर बाबा भृगु महाविद्यालय, पलिया, मऊ के बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर की पूर्व में हुई प्रायोगिक परीक्षा को निरस्त करते हुए पुनः किसी अनुदानित महाविद्यालय पर अविलम्ब प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराए जाने हेतु सहमति प्रदान की एवं परीक्षक डॉ0 आशा राम यादव, आर0एस0के0डी0 महाविद्यालय, जौनपुर को इस आशय की चेतावनी दी जाय कि भविष्य में उसी दिन प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराएं।

(घ). बी0ए0 / बी0एस–सी0 भाग–दो गणित प्रथम प्रश्न पत्र जो दिनांक 25.03.2017 को स्थगित / निरस्त की गयी है के प्रकरण पर विचार।

निर्णय :– (i) बी0ए0 / बी0एस–सी0 भाग–दो गणित प्रथम प्रश्न पत्र कैच संख्या–17 / 172 की परीक्षा जो दिनांक 25.03.2017 को द्वितीय पाली में अपरान्ह 02से 05 बजे तक होना निर्धारित था, के बारे में सूत्रों से ज्ञात हुआ कि पूर्वान्ह 11 बजे ही कई लोगों की जानकारी में है, को स्थगित / निरस्त की गयी है, उस पर विश्वविद्यालय द्वारा जिला प्रशासन को सूचना दी गयी है, जिस पर कार्यवाही चल रहीं है, निरस्त की गयी परीक्षा अतिशीघ्र सम्पन्न कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(ii) समिति ने उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में संकलन केन्द्रों से ही प्रश्नपत्रों का वितरण परीक्षा केन्द्रों को किया किया जाय। संकलन केन्द्रों को इस मद पर अतिरिक्त व्यव वहन की भरपाई के लिए संकलन केन्द्र के बराबर पारिश्रमिक राशि वितरण केन्द्र के लिए भी उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की गयी।

(च). बी0ए0 / बी0एस–सी0 भाग–दो गणित द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा दिनांक 28.03.17 जो निरस्त की गयी है, के प्रकरण पर विचार।

निर्णय :– उक्त प्रकरण को समिति के समक्ष रखा गया उक्त प्रकरण पर बिन्दु संख्या–01 . (घ) पर निर्णय लिया जा चुका है।

(छ).. मुख्य परीक्षा 2016–17 के स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0एस–सी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस–सी0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की दिनांक 30.03.2017 से 15.04.2017 तक की स्थगित की गयी परीक्षा सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय :– इस प्रकरण को समिति के समक्ष रखा गया जिस पर समिति ने स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0एस–सी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस–सी0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की समस्त परीक्षायें दिनांक 30.03.2017 से 15.04.2017 तक की परीक्षायें स्थगित की गयी है, से संज्ञानित होते हुए सहमति व्यक्त किया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि

अग्रिम समय–सारिणी घोषित कर सम्पन्न कराये जाने हेतु समिति ने अपनी सहमति प्रदान की।

(ज).. **बी0ए0/बी0एस–सी0 भाग–दो गणित प्रथम प्रश्न पत्र किसी परीक्षा केन्द्र पर खुल जाने के फलस्वरुप अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा स्थगित की गयी है, पर गठित जॉच समिति के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय– उक्त प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त समिति को अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण पर बिन्दु संख्या–01 (घ) पर निर्णय लिया जा चुका है। जिसपर समिति ने अपनी सहमति प्रदान की।

(झ) **विश्वविद्यालय द्वारा एफ0आई0आर0 सरायख्वाजा थाना पर दर्ज की गयी है के प्रकरण पर विचार।**

निर्णय– समिति के समक्ष विश्वविद्यालय की एफ0आई0आर0 की सूचना रखी गयी, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही चल रही है, को समिति ने संज्ञान में लिया।

(ट) **प्रश्नपत्रों के निरीक्षण संबंधी जनपदवार गठित विशेष उड़ाकादल के किये गये गठन पर विचार।**

निर्णय– मुख्य परीक्षा 2016–17 में समस्त परीक्षा केन्द्रों में प्रश्नपत्रों के निरीक्षण हेतु जनपदवार विशेष उड़ाका दल गठित किया गया है, से समिति अवगत हुई एवं अपनी सहमति प्रदान की।

(ठ) **विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2017 के सुचारु रुप से संचालन हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जनपदों में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा नामित समन्वय अधिकारी के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय– विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2017 के सुचारु रुप से संचालन हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जनपदों में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा नामित समन्वय अधिकारियों की बैठक दिनांक **28.03.2017** की आख्या से समिति अवगत हुई एवं सहमति प्रदान की।

(ड) **विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा– 2017 में परीक्षा केन्द्रों पर शासन के निर्देश के क्रम में उड़ाकादल गठन किये जाने संबंधी प्रकरण पर विचार।**

निर्णय– उक्त प्रकरण को समिति के समक्ष रखा गया जिसमें शासन के निर्देश पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को उनके स्तर पर उड़ाका दल गठन करने हेतु संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों की सूची एवं अन्य सूचना, नियमावाली आदि संलग्न करते हुए उन्हें भेजी गयी थी से समिति अवगत हुई एवं सहमति प्रदान की।

(ढ) **विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2017 के उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन केन्द्रों के समस्त प्राचार्यों/प्रभारियों की दिनांक 30.03.2017 को अपरान्ह् 02.00 बजे हुई बैठक में हुए निर्णय के सम्बन्ध में विचार।**

निर्णय– उत्तर पुस्तिका संकलन केन्द्रों के समस्त प्राचार्य/प्रभारियों की बैठक दिनांक 30.03.2017 में लिए गये निर्णय को स्वीकार किया गया, परन्तु परीक्षा केन्द्रों को प्रश्नपत्रों का वितरण संकलन केन्द्रों से ही किये जाने का निर्णय लिया।

(त) **श्री दुर्गाजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डेश्वर, आजमगढ़ परीक्षा केन्द्र पर बी0एड0 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्बन्ध में वाहय परीक्षक द्वारा मौखिक रुप से की गयी शिकायत पर विचार।**

निर्णयः– श्री दुर्गाजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डेश्वर, आजमगढ़ परीक्षा केन्द्र पर बी0एड0 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्बन्ध में एक वाह्य परीक्षक द्वारा दूरभाष पर अनियमितता की शिकायत की गई, परन्तु एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई लिखित शिकायत नहीं करने तथा दूसरे अन्य परीक्षकों द्वारा इस तरह की कोई शिकायत नहीं प्राप्त होने के कारण इस परीक्षा केन्द्र तथा इस केन्द्र पर सम्पन्न अन्य महाविद्यालयों के बी0एड0 प्रायोगिक परीक्षाओं के अंकों को स्वीकार करते हुए परीक्षाफल घोषित करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया।

(थ) शासनादेश संख्या– 197/सत्तर– 1–2017–16 (37)/2012 दिनांक 31 मार्च, 2017 जो **उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 1998 प्रभावी होने सम्बन्धी है पर विचार।**

निर्णयः– शासनादेश संख्या– 197/सत्तर– 1–2017–16 (37)/2012 दिनांक 31 मार्च, 2017" के अनुसार **उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973** के अधीन स्थापित राज्य विश्वविद्यालय और उनके घटक महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षायें सम्मिलित है, में अनुचित साधनों का निवारण किये जाने के सम्बन्ध में **"उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 1998 प्रभावी होगा"** को समिति ने सर्वसम्मति से प्रभावी ढ़ग से लागू करने पर सहमति व्यक्त की।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

(संजीव कुमार सिंह)
उप कुलसचिव/सचिव

(प्रो० पीयूष रंजन अग्रवाल)
कुलपति/अध्यक्ष

(1)

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक **17.11.2017** को **12.00 बजे** (मध्यान्ह) विश्वविद्यालय परिसर प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में **परीक्षा समिति** की **बैठक** की कार्यवाही–

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो. राजाराम यादव, कुलपति	**अध्यक्ष**
02.	डॉ. विनय कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03.	श्री उमाशंकर सिंह, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, रीडर भूगोल विभाग, गांधी शताब्दी स्मारक महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़।	सदस्य
04	डॉ. एम0एस0अंसारी, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, रीडर वाणिज्य, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
05.	डॉ. दुर्गावती उपाध्याय, संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, रीडर, श्री दुर्गाजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डेश्वर, आजमगढ़।	सदस्य
06.	श्री सूर्यप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, रीडर विधि विभाग, टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर।	सदस्य
07.	डॉ. अजय प्रताप सिंह,संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
08.	डॉ. बी0डी0 शर्मा, संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
09.	डॉ. वन्दना राय, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
10.	डॉ0 सविता भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
11.	डॉ0 उमेश चन्द्र मिश्र, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मुफ्तीगंज, जौनपुर	सदस्य
12.	डॉ समर बहादुर सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
13.	डॉ. विजय कुमार सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
	श्री एम0के0 सिंह, वित्त अधिकारी, बी.वी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
	श्री संजीव सिंह, कुलसचिव, बी.वी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 23.02.2017 एवं परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 03.04.2017 एवं 12.05.2017 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.02.2017 एवं परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 03.04.2017 एवं 12.05.2017 की कार्यवाही को विचारोपरान्त सम्पुष्ट किया।

कार्यसूची संख्या–02

परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 25.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017, 09.03.2017, 10.03.2017, 17.03.2017, 19.03.2017, 24.03.2017, 06.04.2017, 13.04.2017 एवं 18.04.2017 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 25.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017, 09.03.2017, 10.03.2017, 17.03.2017,19.03.2017, 24.03.2017, 06.04.2017, 13.04.2017 एवं 18.04.2017 की कार्यवाही को विचारोपरान्त कार्यवाही की पुष्टि।

कार्यसूची संख्या–03

मुख्य परीक्षा 2016–17 में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त उड़ाका दलों/ पर्यवेक्षकों/शिकायतकर्ता की परीक्षा केन्द्रों के संदर्भ में दी गयी आख्या पर यू0एफ0एम0 समिति की संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय– उक्त प्रकरण पर यू0एफ0एम0 कार्यालय द्वारा जॉचोपरान्त प्रस्तुत रिपोर्ट के दृष्टिगत प्रकरण पर विस्तृत चर्चा उपरान्त मुख्य परीक्षा 2017 में सामूहिक नकल में दोषी पाये गये निम्नलिखित 30 महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों को **प्रथम वर्ष में रु0 1.00 लाख अर्थदण्ड** लगाये जाने एवं इन्हीं महाविद्यालयों से अगले वर्ष भी सामूहिक नकल में आरोपित होता है, तो दो वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र को डिबार घोषित किया जायेगा, तथा साथ में यह भी समिति ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि अगर तीसरे वर्ष भी संबंधित महाविद्यालय डिबार होता है तो विश्वविद्यालय परिनियमावली के तहत सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही परिचालित की जायेगी। मुख्य परीक्षा 2016–17 में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त उड़ाका दलों/ पर्यवेक्षकों/शिकायतकर्ता की परीक्षा केन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार से है–

01	बाबा साधव राम महाविद्यालय, कोईनहाँ, बड़सरा, खालसा, आजमगढ़
02	कोमल साहू महाविद्यालय, जीयनपुर, आजमगढ़
03	बाबा नैपाल दास महाविद्यालय, लाटघाट, आजमगढ़
04	माँ गौरी महिला महाविद्यालय, गम्भीरवन, आजमगढ़
05	अनुपमा स्मारक मेमोरियल कालेज आफ एजुकेश, हरईरामपुर, आजमगढ
06	जमुना कैशव सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, सम्मोपुर, ठेंकमा, आजमगढ़
07	माता बिलावती चनरा देवी मोहित पहलवान, आजमगढ़
08	हरिहर जी महाविद्यालय, फरीहां, निजामाबाद, आजमगढ़
09	कमलनाथ सिंह महाविद्यालय, बरोही, फत्तेपुर, आजमगढ़
10	रामकिशोर बालिका महाविद्यालय, इमामगढ़ माहुल आजमगढ़
11	कलावती गौरव महाविद्यालय, मूनेश्वरपुर, फूलपुर, आजमगढ़
12	माँ चन्द्रावती महिला महाविद्यालय, मेंहनगर, आजमगढ़
13	जे0पी0 आर0 गर्ल्स डिग्री कालेज, रानी की सराय, आजमगढ़
14	जगदीश नारायण महेन्द्र प्रसाद महाविद्यालय, रग्घूपुर, आजमगढ़
15	सुखराम सिंह महाविद्यालय, सरवाँ, मऊ
16	इन्दू महिला महाविद्यालय, भुड़सुरी, बढ़या, रतनपुरा, मऊ
17	बाबा भृगु पी0जी0कालेज, पलिया, मऊ
18	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परमहंस मिश्र महाविद्यालय, मऊ
19	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परमहंस वंशराजी देवी महिला महाविद्यलाय, रेयाद, मऊ
20	कृष्णा अम्बेडकर महाविद्यालय, मघुवन, मऊ
21	महादेव रामसोच कृषक महाविद्यालय, सिपाह इब्राहिमाबाद, मऊ
22	माँ ईशराजी देवी महाविद्यालय, गुलजारगंज, जौनपुर
23	बीरबल पी0जी0 कालज, रसूलपुर, जौनपुर
24	रणबहादुर मानिकराजनी महाविद्यालय, गोंठाव, जौनपुर
25	माता बेहफईयाँ महाविद्यालय, सोगरा, कुतूबपुर, गाजीपुर
26	श्री रमाशंकर बालगोपाल महाविद्यालय, नसीरपुर, गाजीपुर
27	मोहन मेमोरियल महाविद्यालय, बासूचक, गाजीपुर
28	आई0डी0 मेमोरियल आनन्द बिहार, फतेउल्लाहपुर, गाजीपुर
29	बाबा जंगली महाविद्यालय, सलेमपुर, वाजिदपुर, गाजीपुर
30	विमला यादव महाविद्यालय, एकावसपट्टी भीतरी, गाजीपुर

उपरोक्त उल्लिखित महाविद्यालयों के छात्राओं की परीक्षा स्वकेन्द्र पर विश्वविद्यालय द्वारा नामित केन्द्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक की देख–रेख में सम्पन्न होगी, तथा **कमांक–14 पर अंकित महाविद्यालय जगदीश नारायण महेन्द्र प्रसाद महाविद्यालय, रग्घूपुर, आजमगढ़** को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यसूची संख्या–04

मुख्य परीक्षा मनोज कुमार पुत्र श्री मगनू राम, सन् 2007 बी0ए0 भाग–3 अनुक्रमांक 963187 डॉ0 राममनोहर लोहिया डिग्री कालेज, अध्यात्मपुरम् गाजीपुर के प्रकरण पर कुलपति जी के आदेश दिनांक 06.06.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– प्रश्नगत मनोज कुमार पुत्र श्री मगनू राम, सन् 2007 बी0ए0 भाग–3 अनुक्रमांक 963187 डॉ0 राममनोहर लोहिया डिग्री कालेज, अध्यात्मपुरम् गाजीपुर के प्रकरण पर कुलपति जी के आदेश दिनांक 06.06.2017 के अनुपालन में गठित जॉच समिति की जॉच आख्या दिनांक 09.05.2017 के आलोक में यह इंगित है कि परीक्षाफल अनुपस्थित करके घोषित है, वह सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, इस महाविद्यालय में कुल 23 (15 संस्थागत 07 व्यक्तिगत एवं 01 भूतपूर्व) परीक्षार्थियों को अनुपस्थित करके परीक्षाफल घोषित है। समिति ने सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि संबंधित छात्र से नोटरी से सत्यापित शपथपत्र (फोटो सहित) एवं प्रपत्र–06 तथा प्रपत्र–07 के आधार पर उक्त प्रश्नपत्र में औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित किया जाय, तथा महाविद्यालय से विश्वविद्यालय के पत्रों को उत्तर न देने के कारण स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

कार्यसूची संख्या–05

मुख्य परीक्षा 2017–18 के सफल एवं सूचितापूर्ण सम्पन्न कराने के लिए किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।

क. मुख्य परीक्षा 2017–18 के सफल संचालन हेतु परीक्षा संचालन समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा परीक्षा केन्द्र, परीक्षा कार्यक्रम, पर्यवेक्षक, केन्द्राध्यक्ष एवं उड़ाका दल का गठन किया जायेगा।

ख. उ0प्र0 शासन के निर्देशों के क्रम में हर महाविद्यालय को परीक्षा के सफल संचालन एवं शुचिता हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया जाना।

ग. मुख्य परीक्षा 2017–18 के समस्त संकायों का परीक्षा फार्म आनलाईन भरे जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 से 30 नवम्बर, 2017 तक किया जाना है।

घ. मुख्य परीक्षा 2017–18 दिनांक 01 मार्च, 2018 से प्रस्तावित है।

यय– उक्त प्रकरण पर चर्चा उपरान्त समिति ने मुख्य परीक्षा 2016 की मुख्ख्य परीक्षाओं को सकुशल सम्पन्न कराने उपरोक्त वर्णित बिन्दूओं के अनुसार समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

क. मुख्य परीक्षा 2017–18 के सफल संचालन हेतु परीक्षा संचालन समिति का द्वारा परीक्षा केन्द्र, परीक्षा कार्यक्रम, पर्यवेक्षक, केन्द्राध्यक्ष एवं उड़ाका दल का गठन किया जायेगा, उसी के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

ख. उ0प्र0 शासन के निर्देशों के क्रम में हर महाविद्यालय को परीक्षा के सफल संचालन एवं शुचिता हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया जाना है जिन महाविद्यालयों में सी0सी0टी0वी. कैमरे न लगे हो उस महाविद्यालय का परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

ग. मुख्य परीक्षा 2017–18 के समस्त संकायों का परीक्षा फार्म आनलाईन भरे जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 से 30 नवम्बर, 2017 तक की तिथि नियत की गयी है, उक्त से संबंधित कार्यवाही परिचालित है।

घ. मुख्य परीक्षा 2017–18 दिनांक 10 मार्च, 2018 से प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम बनाये जाने हेतु परीक्षा संचालन समिति को नामित किया गया।

कार्यसूची संख्या–06

सत्र 2016–17 के जिन छात्रों का परीक्षाफल एक प्रश्नपत्र के कारण अपूर्ण है, उनके सम्बन्ध में औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण करने संबंधित प्रकरण पर विचार।

निर्णय– उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति ने सत्र 2016–17 के जिन छात्रों का परीक्षाफल एक या दो प्रश्नपत्र के कारण अपूर्ण है, उनके सम्बन्ध में औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण करने हेतु परीक्षा गोपनीय को इस आशय के साथ पूर्ण जॉचोपरान्त ही औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित किया जाने का समिति ने अपनी सहमति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–07

कलावती गोरखनाथ महाविद्यालय भुनेश्वरपुर, फूलपुर, आजमगढ़ परीक्षा वर्ष 2017 बी0ए0 भाग–एक हिन्दी, प्रथम प्रश्नपत्र में अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत दोष सिद्ध पाये जाने के बाद भी संबंधित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय— उक्त प्रकरण पर यू0एफ0एम0 समिति की संस्तुतियों को समिति के समक्ष संज्ञानार्थ रखा गया, जिसमें 30 महाविद्यालय सामूहिक नकल में दोषी पाये गये थे, पर समिति ने गहन निरीक्षण किया, निरीक्षणोंपरान्त समिति ने 29 परीक्षा केन्द्रों पर यू0एफ0एम0 समिति की संस्तुतियों पर ही अपना मंतव्य स्थिर रखा तथा कलावती गोरखनाथ महाविद्यालय भुनेश्वरपुर, फूलपुर, आजमगढ़ केन्द्र को दोषमुक्त किये जाने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मदों पर विचार

क्रमांक— 01

बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर 2015—17 के कुछ छात्र/छात्राओं का कम्प्यूटर एजेन्सी द्वारा अनुत्तीर्ण होते हुए भी उत्तीर्ण का अंक पत्र निर्गत किया गया है, जबकि अध्यादेश के अनुसार उक्त अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण है, उन छात्र/छात्राओं को संबंधित प्रश्नपत्र में कैरीफारवर्ड की परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय— उक्त प्रकरण बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर 2015—17 के कुछ छात्र/छात्राओं का कम्प्यूटर एजेन्सी द्वारा अनुत्तीर्ण होते हुए भी उत्तीर्ण का अंक पत्र निर्गत किया गया है, जबकि अध्यादेश के अनुसार उक्त अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण है, उन छात्र/छात्राओं को संबंधित प्रश्नपत्र में कैरीफारवर्ड की परीक्षा आगामी सत्र में कराये जाने हेतु समिति ने सर्व सम्मति से निर्णय पारित किया।

क्रमांक— 02

बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर 2015—17 के कुछ छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, इस प्रकार से संबंधित छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित किये जाने हेतु समिति ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की।

क्रमांक— 03

श्री चन्दन यादव अनुक्रमांक 16267380936 बी0एस—सी0 भाग—तीन रसायन विज्ञान, प्रथम प्रश्नपत्र में कक्ष निरीक्षक द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हुए यू0एफ0एम0 में आरोपित कर दिये गये, उक्त प्रकरण पर कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 31.10.2017 के द्वारा गठित जॉच समिति की जॉच आख्या पर निर्णय लिया गया जिसका अंश ...**यू0एफ0एम0 सेल द्वारा उपलब्ध करायी गयी**

छात्र की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के आधार पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराकर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।...

क्रमांक– **04**

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाओं में परीक्षा के समय विडियोग्राफी कराते हुए सी0डी0 बनायी जाय तथा अंकपर्ण के साथ ही उसे जमा किये जाने तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित किया जाय, उक्त प्रकरण पर समिति ने अपनी सहमति प्रदान की।

क्रमांक– 05

अनुचित साधन प्रयोग में दोषी पाये गये छात्र/छात्राओं की परीक्षा पुनः करायी जाय से संबंधित प्रकरण पर समिति ने उक्त प्रकरण पर बाद में विस्तृत चर्चा की जायेगी, पर अपनी सहमति प्रदान की।

क्रमांक– 06

बी0एड0 प्रायोगिक परीक्षा में 95 प्रतिशत से अधिक अंक होने पर उक्त प्रकरण को पुनः रिव्यू किये जाने हेतु समिति ने अपनी सहमति प्रदान की।

क्रमांक– 07

अनुदानित महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक जिनका कार्यकाल तीन साल से अधिक होने पर प्रश्नपत्र निर्माण का कार्य सम्पादित किये जाने से संबंधित प्रकरण पर समिति ने अपनी सहमति प्रदान की।

क्रमांक– 08

समस्त प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में जो प्राध्यापक मूल्यांकन में उपस्थित होकर उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करेंगे, उन्हें ही प्रायोगिक परीक्षा में नामित किये जाने पर समिति ने अपनी सहमति प्रदान की।

कमांक– 09

प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम् धनराशि का भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर समिति ने सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि शासनादेश के अनुसार ही भुगतान किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

(संजीव सिंह)	(प्रो० राजाराम यादव)
कुलसचिव / सचिव	कुलपति / अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक **29.01.2017** दिन सोमवार को अपरान्ह 02 बजे विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में **परीक्षा समिति** की **आपात** बैठक की कार्यवाही–

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डॉ. विनय कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03.	श्री उमाशंकर सिंह, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, रीडर हिन्दी विभाग, गांधी शताब्दी स्मारक महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़।	सदस्य
04.	श्री इश्तियाक अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, रीडर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
05.	डॉ. अजय प्रताप सिंह,संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
06.	डॉ. बी.बी. तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
07.	डॉ. बी0डी0 शर्मा, संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
08.	प्रो. डी.डी. दूबे, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय,बायोटेक्नालाज़ी विभाग, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
09.	डॉ. रामनारायण, (सदस्य कार्यपरिषद) प्राध्यापक, बायोटेक्नोलाजी विभाग, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
10.	डॉ समर बहादुर सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ. विजय कुमार सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
	श्री एम0के0 सिंह, वित्त अधिकारी, बी.वी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
	डॉ0 देवराज, कुलसचिव, बी.वी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

(क) दिनांक 01.02.2017 को सम्पन्न होने वाले दीक्षान्त समारोह में परीक्षा वर्ष 2016 में प्रथम प्रयास में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं/विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं जिनकी संख्या क्रमशः 18 एवं 46 है की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– समिति के समक्ष विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में परीक्षा सत्र 2015–16 में प्रथम प्रयास में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं/विषयों में संस्थागत विद्यार्थियों में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं जिनकी संख्या कमशः 16 एवं 43 है। (सूची संलग्न) सूची को समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

(ख) दिनांक 01.02.2017 को सम्पन्न होने वाले दीक्षान्त समारोह में शोध उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में दिनांक 12.01.2017 तक शोध उपाधि प्राप्त करने वाले विभिन्न विषयों के 324 छात्रों की सूची समिति के समक्ष रखा गया, जिसपर समिति ने सर्वसम्मति से उपाधि दिये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

(ग) दिनांक 01.02.2017 को सम्पन्न होने वाले दीक्षान्त समारोह में वर्ष 2015 में शोध उपाधि से वंचित उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के वर्ष 2015 में शोध उपाधि से वंचित 11 (ग्यारह) छात्रों की सूची को समिति के समक्ष रखा गया जिसपर समिति ने दिनांक 01.02.2017 को होने वाली दीक्षान्त समारोह में इन्हें उपाधि प्रदान किये जाने की समिति ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की। इन छात्रों की संख्या कार्यसूची ''ख'' की उपरोक्त संख्या 324 में सम्मिलित है।(सूची संलग्न)

(घ) वर्ष 2015–16 अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण छात्रों के उपाधि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के वर्ष 2015–16 के अन्तिम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर में कमशः 116564 एवं 26231 उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि प्रदान किये जाने हेतु समिति ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

डा0(देवराज)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो0 पीयूष रंजन अग्रवाल)
कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक **03.05.2018** दिन गुरुवार को मध्यान्ह् 12.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में **परीक्षा समिति** की आपात बैठक की कार्यवाही–

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो. राजाराम यादव, कुलपति	**अध्यक्ष**
02.	श्री वशिष्ट यति, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03	श्री उमाशंकर सिंह, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, रीडर भूगोल विभाग, गांधी शताब्दी स्मारक महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़।	सदस्य
04.	डॉ. एम0एस0 अंसारी, संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय, शिवली नेशनल कालेज,आजमगढ़	सदस्य
05.	श्री सूर्यप्रकाश सिंह,संकायाध्यक्ष, विधि संकाय,रीडर विधि विभाग,टी0डी0कालेज,जौनपुर	सदस्य
06.	डॉ. मनोज मिश्रा, संकायाध्यक्ष, अनु0सा0विज्ञान एवं मा0संकाय, वी.बी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
07.	डॉ. बी0 डी0 शर्मा, संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.बी.एस.पी.यू., जौनपुर	सदस्य
08.	डॉ0 वन्दना राय,संकायाध्यक्ष, विज्ञानसंकाय,बायोटेक्नालाजी विभाग,वी.बी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09.	डॉ. गयास असद खॉ (वरि. शिक्षक) राजनीतिशास्त्र विभाग,शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
10.	डॉ. बद्रीनाथ, (वरि. शिक्षक) इतिहास विभाग, डी0ए0वी0 कालेज, आजमगढ़	सदस्य
11.	डॉ. रामनारायण, (सदस्य कार्यपरिषद) प्राध्यापक, बायोटेक्नोलाजी विभाग, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
12.	डॉ समर बहादुर सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.बी.एस.पी.यू., जौनपुर	सदस्य
13.	डॉ. विजय कुमार सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.बी.एस.पी.यू., जौनपुर	सदस्य
	श्री एम0के0 सिंह, वित्त अधिकारी, वी.बी.बी.एस.पी.यू., जौनपुर	विशेष आमंत्रित
	श्री सुजीत जायसवाल, कुलसचिव, वी.बी.बी.एस.पी.यू., जौनपुर	विशेष आमंत्रित
	श्री संजीव सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.बी.एस.पी.यू., जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

मानननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.04.2018 के अनुपालन में श्री राजेश कुमार यादव के द्वारा एक ही सत्र में ली गयी दो डिग्री में से एक डिग्री निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–

राजेश कुमार यादव पुत्र श्री रामदुलार यादव, ग्राम व पोस्ट–धर्मापुर, जिला–जौनपुर के द्वारा एक ही सत्र में प्राप्त की गयी दो उपाधियों पर सदन द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एक ही सत्र में प्राप्त की गयी दो उपाधियों मे से टी० डी० महाविद्यालय, जौनपुर से प्राप्त एल०एल०बी० वर्ष 1997 की उपाधि को निरस्त कर दिया जाय। (एल०एल०बी० प्रथम वर्ष 1995 अनुकमांक 422476, एल०एल०बी० द्वितीय वर्ष 1996 अनुकमांक 395483 एवं एल०एल०बी० तृतीय वर्ष 1997 अनुकमांक–133385 है)

कार्यसूची संख्या–02

श्री अजीत प्रताप यादव, पुत्र स्व. दिवाकर यादव, ग्राम–कुरनी पो0 समाधगंज, जौनपुर के द्वारा एक ही सत्र में ली गयी दो डिग्री में से एक डिग्री निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–

अजीत प्रताप यादव पुत्र स्व0 दिवाकर यादव, ग्राम कुरनी पोस्ट–समाधगंज, जिला–जौनपुर के द्वारा टी0डी0 कालेज, जौनपुर से एम0ए0 (प्राचीन इतिहास) तथा जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर से प्राप्त बी0एड0 की उपाधि पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से टी0डी0कालेज, जौनपुर से प्राप्त की गयी, एम0ए0 (प्राचीन इतिहास) की उपाधि निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। एम0ए0 प्रथम वर्ष 2011 (व्यक्तिगत) अनुक्रमांक– 822911 तथा एम0ए0 द्वितीय वर्ष 2012 अनुक्रमांक पी. 12280520063 है।

कार्यसूची संख्या–03

श्री सौम्य सिंह पुत्र श्री सन्तोष सिंह, गाम–चितौड़ी, पो0 सरायहरखू, जौनपुर के द्वारा एक ही सत्र में ली गयी दो डिग्री में से एक डिग्री निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–

सौम्य सिंह पुत्र श्री सन्तोष सिंह, ग्राम चितौड़ी पोस्ट–सरायहरखू, जिला–जौनपुर द्वारा स्नातक स्तर पर टी0डी0कालेज, जौनपुर से बी0ए0 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0 प्रथम वर्ष (राजनीतिशास्त्र) तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से प्राप्त की गयी स्नातक (शास्त्री परीक्षा) की उपाधि पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से टी0डी0 कालेज, जौनपुर से प्राप्त उपाधियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। बी0ए0 प्रथम वर्ष 2010 अनुक्रमांक 18849 बी0ए0 द्वितीय वर्ष 2011 अनुक्रमांक 575382 एवं बी0ए0 तृतीय 2012 वर्ष अनुक्रमांक आर–122780131631 तथा एम0ए0 (राजनीतिशास्त्र) प्रथम वर्ष 2013 अनुक्रमांक–617706 है।

कार्यसूची संख्या–04

श्री सिद्धार्थ सिंह पुत्र श्री सन्तोष कुमार सिंह, गाम–चितौड़ी, पो० सरायहरखू, जौनपुर के द्वारा एक ही सत्र में ली गयी दो डिग्री में से एक डिग्री निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– सिद्धार्थ सिंह पुत्र श्री सन्तोष सिंह, ग्राम चितौड़ी पोस्ट–सरायहरखू, जिला–जौनपुर द्वारा टी०डी० कालेज, जौनपुर से बी०ए० एवं एम०ए० (शिक्षाशास्त्र) तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त की गयी स्नातक (शास्त्री परीक्षा) की उपाधि पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से टी०डी० कालेज, जौनपुर से प्राप्त की गयी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (शिक्षाशास्त्र) की उपाधियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। बी०ए० प्रथम वर्ष 2011 अनुक्रमांक 383708, बी०ए० द्वितीय वर्ष 2012 अनुक्रमांक आर–1227801210 बी०ए० तृतीय वर्ष 2013 अनुक्रमांक 480558 तथा एम०ए० प्रथम वर्ष 2014 अनुक्रमांक 703485 एवं एम०ए० द्वितीय वर्ष 2015 अनुक्रमांक 56010960036 है।

कार्यसूची संख्या–05

सुश्री सीमा पुत्री श्री पवारु यादव, एवं सुश्री शीला पुत्री श्री पवारु यादव के ग्राम व पोस्ट–परदहॉं (मठिया) सलाहाबाद, मऊ के द्वारा एक ही सत्र में ली गयी दो डिग्री में से एक डिग्री निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– **सुश्री सीमा पुत्री श्री पवारु यादव, एवं सुश्री शीला पुत्री श्री पवारु यादव ग्राम व पोस्ट–परदहॉं (मठिया) सलाहाबाद,** मऊ के द्वारा डी०सी०एस०के०पी०जी०कालेज, मऊ से बी०ए० एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से प्राप्त की गयी, स्नातक (शास्त्री परीक्षा) की उपाधि पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से डी०सी० एस०के० पी० जी०कालेज, मऊ से प्राप्त बी०ए० उपाधि को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। सीमा पुत्री श्री पवारु यादव बी०ए० प्रथम 2010 अनुक्रमांक 93465 बी०ए० द्वितीय वर्ष 2011 अनुक्रमांक 453113 बी०ए० तृतीय वर्ष अनुक्रमांक आर–121060131037 एवं शीला पुत्री श्री पवारु यादव बी०ए० प्रथम 2010 अनुक्रमांक 93467 बी०ए० द्वितीय वर्ष 2011 अनुक्रमांक 453115 बी०ए० तृतीय वर्ष अनुक्रमांक आर–121060131102 है।

अन्त में अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

(संजीव कुमार सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

प्रो०(राजाराम यादव)
कुलपति / अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक–18.08.2018 (शनिवार) अपरान्ह 2.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभागार में परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही:–

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे–

1. प्रो0 राजाराम यादव, कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री वशिष्ठ यति, संकायाध्यक्ष (कृषि संकाय)	सदस्य
3. डॉ0 बद्रीनाथ वरि0 प्राध्यापक, डी.ए.वी. कालेज, आजमगढ़	सदस्य
4. डॉ0 एम.एस.अंसारी, संकायाध्यक्ष (वाणिज्य संकाय)	सदस्य
5. डॉ0 मनोज मिश्रा, संकायाध्यक्ष (अनुप्रयुक्त सा.विज्ञान एवं मा.संकाय)	सदस्य
6. डॉ0 बी.डी. शर्मा, संकायाध्यक्ष (प्रबन्ध अध्ययन संकाय)	सदस्य
7. डॉ0 बन्दना राय, संकायाध्यक्ष (विज्ञान संकाय)	सदस्य
8. डॉ0 संविता भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महिला महावि0 गाजीपुर	सदस्य
9. डॉ0 आर.आर.यादव, प्राचार्य, राजकीय महावि. अम्बारी, आजमगढ	सदस्य
10. डॉ0 शिवशंकर सिंह, वरि0 प्राध्यापक, डी.सी.एस.के.महावि0 मऊ	सदस्य
11. डॉ0 विलास ए. तभाने (सदस्य कार्यपरिषद)	सदस्य
12. डॉ0 राम नारायन, (सदस्य कार्यपरिषद)	सदस्य
13. डॉ0 समर बहादुर सिंह, अध्यक्ष शिक्षक संघ	सदस्य
14. डॉ0 विजय कुमार सिंह, महामंत्री शिक्षक संघ	सदस्य
15. श्री सुजीत जायसवाल, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक–17.11.2017 एवं परीक्षा समिति की आपात कालीन बैठक दिनांक–03.05.2018 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णयः–परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की गत बैठक दिनाकं–17.11.2017 एवं आपातकालीन बैठक दिनांक–03.05.2018 की कार्यवाही की विचारोपरान्त अनुमोदन किया।

कार्यसूची संख्या—02

परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक—20.01.2018, 30.01.2018, 03.02.2018, 07.02.2018, 24.02.2018, 08.03.2018 एवं दिनांक—10.03.2018 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय—परीक्षा संचालन समिति की पूर्व बैठकें दिनांक—20.01.2018,30.01.2018,03.02.2018,07.02.2018,24.02.2018,08.03.2018 एवं 10.03.2018 की कार्यवाही का विचारोपरान्त अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची संख्या—03

मुख्य परीक्षा 2017—18 में विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाका दलों/पर्यवेक्षकों की परीक्षा केन्द्रों के संदर्भ में प्रेषित आख्या पर यू0एफ0एम0 समिति की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त अनुमोदन।

निर्णय—मुख्य परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2017—18 में विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाका दलों/पर्यवेक्षकों द्वारा 18 परीक्षा केन्द्रों के सामूहिक नकल से सम्बन्धित आख्या पर यू.एफ. एम. समिति द्वारा 16 महाविद्यालयों (परीक्षा केन्द्रों) को दोषमुक्त तथा दो महाविद्यालयों (परीक्षा केन्द्रों) यथा **माँ गौरी महिला महाविद्यालय, गम्भीरवन, चकवल, आजमगढ़ एवं सन साइन गर्ल्स डिग्री कालेज, पाती जैगहा, आजमगढ़** को नकल में दोषी होने की संस्तुतियों पर परीक्षा समिति ने विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया कि विगत परीक्षा समिति की बैठक दिनांक—17.11.2017 के अनुसार **माँ गौरी महिला महाविद्यालय, गम्भरवल चकवल, आजमगढ़ परीक्षा केन्द्र को दो वर्ष के लिए डिबार तथा सन साइन गर्ल्स डिग्री कालेज, पाती जैगहा, आजमगढ़ पर अर्थदण्ड के रूप में रू0 एक लाख लगाया जाय।** साथ ही यह निर्णय लिया गया कि आगामी मुख्य परीक्षा 2018—19 हेतु गठित उड़ाका दल की गोपनीय आख्या पर संयोजक के साथ समस्त सदस्यों का आख्या हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

<u>कार्यसूचीं संख्या—04</u>

मुख्य परीक्षा 2016—17 में सामूहिक नकल में आरोपित बीरबल पी.जी. कालेज, रसूलपुर मछलीशहर, जौनपुर एवं इसराजी देवी महाविद्यालय, रइया गुलजारगंज, जौनपुर तथा अन्य इसी सत्र में सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालयों पर परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक—17.11.2017 में अर्थदण्ड रूपये—1,00000—(एक लाख) लगाने के कम में सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा उक्त अर्थदण्ड धनराशि जमा करने के उपरान्त सामूहिक नकल के आरोप से मुक्त करने सम्बन्धित प्रकरण पर विचार।

निर्णय—उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति ने यह निर्णय लिया कि जो महाविद्यालय सत्र 2016—17 में सामूहिक नकल में आरोपित हैं और वे विश्वविद्यालय में दण्ड स्वरूप रूपये एक लाख जमा कर दिये हैं, उनको सम्बद्वता के प्रकरण पर दोषमुक्त माना जाय।

कार्यसूची संख्या–05

बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर सत्र 2015–17 के 204 छात्र/छात्राओं का कम्प्यूटर एजेन्सी द्वारा अनुत्तीर्ण होते हुए भी उत्तीर्ण का अंक पत्र निर्गत किया गया, जिसपर परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक–17.11.2017 में सम्बन्धित प्रश्न पत्र में कैरी फारवर्ड की आगामी परीक्षा में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 106 छात्र/छात्रायें कतिपय कारणवश कैरी फारवर्ड की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके उनके सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार–

निर्णय–उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कैरी फारवर्ड की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर सत्र 2015–17 के 106 छात्र/छात्राओं को पुनः एक बार आगामी कैरी फारवर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाय। सन्दर्भित प्रकरण पर समिति ने यह निर्देशित किया कि सन्दर्भित सत्र में जो 106 छात्र/छात्राओं जिनका एक प्रश्न पत्र के कारण परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे, सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/बी.एड.विभागाध्यक्ष प्रत्येक दशा में उनका फार्म भरवा लें। यह कैरी फारवर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने का अन्तिम अवसर होगा।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–

बिन्दु संख्या–01

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु संख्या निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय–उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि स्नातक स्तर पर एक दिन में 120 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 100 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा विशेष परिस्थिति में मा0 कुलपति/कुलसचिव जी की स्वीकृति के 9उपरान्त उसे घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

बिन्दु संख्या–02

परीक्षा समिति की बैठक में सम्मिलित सदस्यों के पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान के संदर्भ में विचार–

निर्णय–उक्त प्रकरण पर समिति ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा समिति की बैठक में सहभागिता करने वाले सदस्यों (परिसर के अतिरिक्त) को पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में मा0 कार्यपरिषद के सदस्यों की भाँति रूपया–एक हजार का भुगतान किया जाय, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति आगामी वित समिति की बैठक में करा ली जाय। उक्त निर्णय आज दिनांक–18.08.2018 से ही प्रभावी होगा।

अन्त में अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

25/08/18	
(सुजीत कुमार जायसवाल)	(प्रो0डॉ0राजाराम यादव)
सचिव/कुलसचिव	अध्यक्ष/कुलपति

वीरबहादुर सिंह पूर्वान्चलविश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक **29.10.2018** दिन सोमवार को अपरान्ह 12.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में **परीक्षा समिति** की **आपात** बैठक की कार्यवाही–

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो. राजाराम यादव, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डॉ. वशिष्ठ यति, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03.	डॉ. बद्रीनाथ, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, रीडर इतिहास विभाग, डी0ए0वी0कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
04	डॉ. एम0एस0अंसारी, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, रीडर वाणिज्य, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
05.	श्री सूर्यप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, रीडर विधि विभाग, टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर।	सदस्य
06.	प्रो. अशोक कुमार श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
07.	प्रो. वन्दना राय, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
08.	डॉ. मनोज मिश्रा,संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकायं, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
09.	डॉ. शिवशंकर सिंह (वरि.शिक्षक) भूगोल विभाग,डी0सी0एस0के0महाविद्यालय,मऊ	सदस्य
10.	प्रो. रामनारायण, (सदस्य कार्यपरिषद) प्राध्यापक, बायोटेक्नोलाजी विभाग, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ समर बहादुर सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
12.	श्री एम0के0 सिंह, वित्त अधिकारी, बी.वी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
13.	श्री सुजीत कुमार जायसवाल, कुलसचिव, बी.वी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

(प्रमप्रे

कार्यसूची संख्या–01

(क) दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न होने वाले दीक्षान्त समारोह में परीक्षा वर्ष 2018 में प्रथम प्रयास में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं, जिन्हें माननीय कुलाधिपति द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया जाना है, जिनकी संख्या क्रमशः 16 एवं 42 है, की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– समिति के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में वर्ष 2018 में प्रथम प्रयास में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्थागत विद्यार्थियों में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं, जिनकी संख्या क्रमशः 16 एवं 42 है (सूची संलग्न) स्नातक स्तर के 16 विद्यार्थी स्नातकोत्तर स्तर के 42 विद्यार्थियों को जिनकी कुल संख्या 58 है को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाना है उक्त छात्रों की सूची समिति द्वारा अनुमोदित की गयी। समिति के समक्ष एल0एल0एम0 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिये जाने का प्रकरण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसपर समिति के समक्ष यह अवगत कराया गया कि प्रकरण की जॉच प्रक्रियाधीन है, अतः एल0एल0एम0 छात्रों को छोड़कर अन्य छात्रों को स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु सदन ने अपनी संस्तुति प्रदान की ।

(ख) दिनांक 05.11.2018 को सम्पन्न होने वाले दीक्षान्त समारोह में शोध उपाधि प्राप्त करने वाले 116 छात्रों की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय में दिनांक 12.01.2018 से 15.10.2018 तक विभिन्न विषयों में सम्पन्न हुए शोध मौखिकी जिनकी संख्या 116 है (सूची संलग्न) से संबंधित शोधार्थियों की सूची का सदन द्वारा सर्वसम्मति से उपाधि प्रदान किये जाने हेतु अपनी संस्तुति प्रदान की।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

(signature) 29/10/18 (signature)

(सुजीत कुमार जायसवाल) (प्रो0 राजाराम यादव)

कुलसचिव/सचिव कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक **12.06.2019** दिन बुद्धवार को अपरान्ह् 01.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में **परीक्षा समिति** की बैठक की कार्यवाही—

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो. राजाराम यादव, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डॉ. वशिष्ठ यति, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03.	डॉ. बद्रीनाथ, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, डी0ए0वी0कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
04	डॉ. एम0एस0अंसारी, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
05.	डॉ. (श्रीमती) रेखा शुक्ला संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर हंडिया पी0जी0कालेज, हंडिया, इलाहाबाद।	सदस्य
06.	श्री सूर्यप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर।	सदस्य
07.	डॉ. मनोज मिश्रा,संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
08.	डॉ. बी0डी0 शर्मा, संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09.	डॉ. वन्दना राय, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
10.	डॉ0 आर0आर0 यादव, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अम्बारी, आजमगढ़	सदस्य
11.	डॉ0 सविता भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
12.	डॉ0 सुरेश सिंह,सैन्य विज्ञान विभाग, मर्यादा पुरुषोत्तम महाविद्यालय, भुड़सुरी, रतनपुरा, मऊ।	सदस्य
13.	डॉ. अनिल कुमार सिंह (वरि.शिक्षक) अंग्रेजी विभाग,हंडिया पी0जी0कालेज, हंडिया,इला0	सदस्य
14.	डॉ. विलास ए तभाने, (सदस्य कार्यपरिषद) ऐमेरिटस प्रो0 भौतिक विज्ञान, पूणे विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र।	सदस्य
15.	डॉ. रामनारायण, (सदस्य कार्यपरिषद) प्रोफेसर, बायोटेक्नोलाजी विभाग, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
16.	डॉ समर बहादुर सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
17.	डॉ. विजय कुमार सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
18.	श्री एम0के0 सिंह, वित्त अधिकारी, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
19.	श्री सुजीत कुमार जायसवाल, कुलसचिव, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
20.	डॉ0 राजीव कुमार, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18.08.2018 एवं परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 29.10.2018 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 18.08.2018 एवं परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 29.10.2018 की कार्यवाही को विचारोपरान्त सम्पुष्ट किया।

कार्यसूची संख्या–02

परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 17.11.2018, 10.01.2019, 27.01.2019, 20.02.2019, 23.02.2019 एवं 25.03.2019 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 17.11.2018, 10.01.2019, 27.01.2019, 20.02.2019, 23.02.2019 एवं 25.03.2019 की कार्यवाही का विचारोपरान्त पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या–03

सत्र **2017–18** के जिन छात्रों का परीक्षाफल एक प्रश्नपत्र के अंक के कारण अपूर्ण था, उनके सम्बन्ध में औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण करने संबंधित प्रकरण पर कार्योत्तर स्वीकृत हेतु विचार।

निर्णय– सत्र 2017–18 के जिन छात्रों का परीक्षाफल एक प्रश्नपत्र के अंक के कारण अपूर्ण था, उन्हें औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण कराने हेतु परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–04

I- विश्वविद्यालय की सत्र 2018–19 व आगामी वर्षो की स्नातक बी0ए0 कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण/आंशिक अनुपस्थित परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा के एक विषय के समस्त प्रश्नपत्र अथवा दो विषयों के अधिकतम तीन प्रश्नपत्रों में बैक पेपर/अंकसुधार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय की सत्र 2018–19 व आगामी वर्षो की स्नातक बी0ए0 कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण/आंशिक अनुपस्थित परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा के एक विषय के समस्त प्रश्नपत्र अथवा दो विषयों के अधिकतम तीन प्रश्नपत्रों में बैक पेपर/अंकसुधार परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की।

II- विश्वविद्यालय की सत्र 2018–19 व आगामी वर्षो की स्नातक बी0एस–सी0 कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण/आंशिक अनुपस्थित परीक्षार्थियों को एक विषय के समस्त प्रश्नपत्र अथवा दो विषयों के अधिकतम तीन प्रश्नपत्रों में बैक पेपर/अंकसुधार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय की सत्र 2018–19 व आगामी वर्षो की स्नातक बी0एस–सी0 कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण/आंशिक अनुपस्थित परीक्षार्थियों को एक विषय के समस्त प्रश्नपत्र अथवा दो विषयों के अधिकतम तीन प्रश्नपत्रों में बैक पेपर/अंकसुधार परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की।

III- विश्वविद्यालय की सत्र 2018–19 व आगामी वर्षो की स्नातक बी0काम0 कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण/ आंशिक अनुपस्थित परीक्षार्थियों को एक समूह के दोनों प्रश्नपत्र अथवा दो समूह के एक–एक प्रश्नपत्र में बैक पेपर/अंकसुधार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय की सत्र 2018–19 व आगामी वर्षो की स्नातक बी0काम0 कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण/ आंशिक अनुपस्थित परीक्षार्थियों को एक समूह के दोनों प्रश्नपत्र अथवा दो समूह के एक–एक प्रश्नपत्र में बैक पेपर/अंकसुधार परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की।

IV- विश्वविद्यालय की सत्र 2018–19 व आगामी वर्षो की स्नातक बी0एस–सी0(कृषि) कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण/ आंशिक अनुपस्थित परीक्षार्थियों को दो प्रश्नपत्रों में बैक पेपर/अंकसुधार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय की सत्र 2018–19 व आगामी वर्षो की स्नातक बी0एस–सी0(कृषि) कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण/ आंशिक अनुपस्थित परीक्षार्थियों को दो प्रश्नपत्रों में बैक पेपर/अंकसुधार परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की।

V- विश्वविद्यालय की सत्र 2018–19 व आगामी वर्षो की स्नातकोत्तर कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण/ आंशिक अनुपस्थित परीक्षार्थियों को एक प्रश्नपत्र में बैक पेपर/अंकसुधार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय की सत्र 2018–19 व आगामी वर्षो की स्नातकोत्तर कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण/ आंशिक अनुपस्थित परीक्षार्थियों को एक प्रश्नपत्र में बैक पेपर/अंकसुधार परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की।

VI- अभ्यर्थी को सम्बन्धित कक्षा का पुनः परीक्षा (बैक पेपर/अंक सुधार) की सुविधा उसी वर्ष एक बार दी जायेगी, पर विचार।

निर्णय– अभ्यर्थी को सम्बन्धित कक्षा का पुनः परीक्षा (बैक पेपर/अंक सुधार) की सुविधा उसी वर्ष एक बार दी जायेगी, उक्त से संबंधित पुनः परीक्षा किसी भी परिस्थिति में दुबारा नहीं करायी जायेगी, पर परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की।

VII- परीक्षार्थी बैकपेपर/अंक सुधार परीक्षा में यदि मुख्य परीक्षा से कम अंक पाता है तो परीक्षार्थी को पूर्व का अंक (जो अधिक हो) ही दिया जाने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णय– परीक्षार्थी बैकपेपर/अंक सुधार परीक्षा में यदि मुख्य परीक्षा से कम अंक पाता है तो परीक्षार्थी को पूर्व का अंक (जो अधिक हो) ही दिया जाने पर हेतु समिति ने संस्तुति प्रदान की।

VIII- वार्षिक परीक्षा प्रणाली की समस्त स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं की बैक पेपर/अंक सुधार परीक्षा एक साथ अगस्त माह में सम्पन्न कराने हेतु विचार।

निर्णय– वार्षिक परीक्षा प्रणाली की समस्त स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं की बैक पेपर/अंक सुधार परीक्षा एक साथ अगस्त माह में सम्पन्न कराने पर समिति ने संस्तुति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–05

I- छात्र को निर्गत कम्प्यूटराइज्ड मूल एवं द्वितीय (Original & Duplicate) अंक पत्र का क्रमांक सम्बन्धित **सारणीयन पंजिका में अंकित किया** जाना।

निर्णय–छात्र को निर्गत कम्प्यूटराइज्ड मूल एवं द्वितीय (Original & Duplicate) अंक पत्र का क्रमांक विश्वविद्यालय की सारणीयन पंजिका में अंकित कराये जाने हेतु समिति ने सस्तुति प्रदान की।

Ru

II- छात्रों को अंक पत्र की कम्प्यूटराइज्ड द्वितीय प्रति (Duplicate) जारी करना तथा उस पर शुल्क निर्धारण रु0 300/– करने पर विचार।

निर्णय– छात्रों की मॉग पर अंक पत्र की कम्प्यूटराइज्ड द्वितीय प्रति (Duplicate) जारी करने तथा इस हेतु रु0 300/– शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु समिति ने अपनी संस्तुति प्रदान की।

III- विश्वविद्यालय से निर्गत कम्प्यूटराइज्ड अंक पत्र (मूल व द्वितीय प्रति) को नये प्रारुप में निर्गत करने पर कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय से निर्गत कम्प्यूटराइज्ड अंक पत्र (मूल व द्वितीय प्रति) को नये प्रारुप में निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण पर समिति ने संस्तुति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–06

वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में छूटी प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षाओं में केन्द्रीयकृत व्यवस्थान्तर्गत केन्द्रों पर सम्पादित कराये जाने हेतु विचार।

निर्णय–

वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में छूटी प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षाओं में केन्द्रीयकृत व्यवस्थान्तर्गत केन्द्रों पर सम्पादित कराने जाने हेतु समिति ने संस्तुति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–07

विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम के वैकल्पिक प्रश्नपत्रों का निर्माण/मुद्रण अलग–अलग कराना/ पैक कराना जिससे विभिन्न विषयों के वैकल्पिक प्रश्नपत्रों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन सुचारु रुप से हो सके।

निर्णय–

विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम के वैकल्पिक प्रश्नपत्रों का निर्माण/मुद्रण अलग–अलग कराने/ पैक कराने हेतु समिति ने अपनी संस्तुति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–08

I- प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा के अंकपर्ण आनलाईन किये जाने सम्बन्धित प्रकरण पर विचार।

निर्णय– प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा के अंकपर्ण आनलाईन किये जाने सम्बधित प्रकरण को समिति के समक्ष रखा गया जिसपर समिति ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के उपरान्त तत्काल अंकपर्ण आनलाईन कर दिया जाय।

II- आगामी परीक्षाओं में सैद्धान्तिक/लिखित एवं प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा में अनुपस्थिति का विवरण तत्काल आनलाईन किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– आगामी परीक्षाओं में सैद्धान्तिक/लिखित एवं प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा में अनुपस्थिति का विवरण तत्काल आनलाईन किये जाने हेतु समिति ने अपनी संस्तुति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–09

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के अवकाश प्राप्त व अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रायोगिक/ मौखिकी/लिखित परीक्षा में परीक्षक नामित किये जाने पर विचार।

निर्णय–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को प्राथमिकता पर व अन्य विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रायोगिक/ मौखिकी/लिखित परीक्षा में परीक्षक नामित करने संबंधी प्रकरण पर समिति ने संस्तुति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–10

जिन महाविद्यालयों में प्रायोगिक/मौखिकी विषयों में छात्र संख्या कम है, उन्हें नजदीकी महाविद्यालय में प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा हेतु सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जिन महाविद्यालयों में प्रायोगिक/मौखिकी विषयों में छात्र संख्या 20 से कम है, उनकी राजकीय, वित्त पोषित अथवा नजदीकी महाविद्यालयों में प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा कराये जाने हेतु समिति ने संस्तुति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–11

I- श्री यादवेन्द्र कुमार, पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव, ग्राम–गंगाकिशोर पोस्ट–चेतनकिशोर, जनपद–बलिया के द्वारा एक ही सत्र में ली गयी तीन डिग्री में से दो डिग्री (स्नातक प्रथम द्वितीय, तृतीय कमशः 2003, 2004 एवं 2005 तथा स्नातकोत्तर स्तर हिन्दी विषय का प्रथम 2006 एवं द्वितीय 2007) निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– श्री यादवेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव के प्रत्यावेदन दिनांक 27.09.2018 पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध श्री बजरंग पी0जी0 कालेज, दादर आश्रम, सिकन्दरपुर, बलिया से अर्जित बी0ए0 (व्यक्तिगत) प्रथम वर्ष 2009 अनुकमांक– 264956, द्वितीय वर्ष 2004 अनुकमांक– 288219, तृतीय वर्ष 2005 अनुकमांक– 716274 तथा मुरली मनोहर टाउन पी0जी0 कालेज, बलिया से अर्जित संस्थागत एम0ए0(हिन्दी) प्रथम वर्ष 2006 अनुकमांक 72756 एवं द्वितीय वर्ष 2007 अनुकमांक 81804 का परीक्षाफल निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

II- श्री प्रेमचन्द यादव पुत्र श्री रामरतन यादव, ग्राम–कपसिया पो0 खुटहन जनपद–जौनपुर के द्वारा एक ही सत्र में ली गयी दो डिग्री में से एक डिग्री **(एम0ए0 भूगोल)** निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– श्री प्रेमचन्द यादव पुत्र श्री रामरतन यादव, ग्राम–कपसिया पो0 खुटहन जनपद–जौनपुर के प्रत्यावेदन दिनांक 08.10.2018 पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सहकारी पी0जी0 कालेज, मिहरांवा, जौनपुर से अर्जित एम0ए0 (भूगोल) प्रथम वर्ष 2000 अनुक्रमांक 19787 एवं द्वितीय वर्ष 2001 अनुक्रमांक 496660 का परीक्षाफल निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

III- श्री भगवान सिंह यादव पुत्र श्री राम सेवक यादव द्वारा एल0एल0बी0 प्रथम वर्ष सत्र 2004–05 में उत्तीर्ण किया गया तथा उसी सत्र में शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत होने के कारण **एल–एल0बी0** प्रथम वर्ष का अंकपत्र निरस्त करने संबंधित आवेदन पर विचार।

निर्णय– श्री भगवान सिंह यादव पुत्र श्री राम सेवक यादव के प्रत्यावेदन दिनांक 03.01.2019 पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर से अर्जित एल0एल–बी0 प्रथम सेमेस्टर 2005 अनुक्रमांक 940136 तथा द्वितीय सेमेस्टर 2005 अनुक्रमांक 940136 का परीक्षा परिणाम निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

IV- कु0 अंजली सिंह पुत्री श्री मुरारी सिंह ग्राम–लक्षकरपुर पो लक्षकरपुर तहसील–सदर जिला–वाराणसी के द्वारा एक ही सत्र में ली गयी दो डिग्री में से एक डिग्री **(स्नातक स्तर 2009)** निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– कु0 अंजली सिंह पुत्री श्री मुरारी सिंह ग्राम–लक्षकरपुर पो लक्षकरपुर तहसील–सदर जिला–वाराणसी के प्रत्यावेदन दिनांक 20.08.2018 पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ग्राम्यांचल महिला विद्यापीठ, डिग्री कालेज, गंगापुर, मंगारी, वाराणसी से अर्जित बी0ए0 प्रथम वर्ष 2007 अनुक्रमांक– 468968, द्वितीय वर्ष 2008 अनुक्रमांक– 610103, तृतीय वर्ष 2009 अनुक्रमांक– 870098 के परीक्षाफल निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

V- श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री तिलकधारी द्वारा एल0एल0बी0 तृतीय वर्ष सत्र 1995–96 में उत्तीर्ण किया गया तथा उसी सत्र में बी0एड0 उत्तीर्ण होने के उपरान्त सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत होने के कारण एल0एल0बी0 का अंकपत्र निरस्त करने संबंधित आवेदन पर विचार।

निर्णय– श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री तिलकधारी के प्रत्यावेदन दिनांक 25.03.219 पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर से अर्जित एल0एल–बी0 प्रथम वर्ष 1994 अनुक्रमांक 410082, द्वितीय वर्ष 1995 अनुक्रमांक 423742 तथा तृतीय वर्ष 1996 अनुक्रमांक 397792 के परीक्षा परिणाम निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

कार्यसूची संख्या–12

बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर सत्र 2015–17 अनुक्रमांक 15493001002 प्रार्थिनी कुसुम कुमारी के प्रार्थनापत्र पर विचार।

निर्णय– बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर सत्र 2015–17 अनुक्रमांक 15493001002 प्रार्थिनी कुसुम कुमारी को प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्नपत्र में औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण कराने हेतु परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से अनुमति प्रदान की।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

डा0(राजीव कुमार)
परीक्षा नियंत्रक / सचिव

प्रो0(राजाराम यादव)
कुलपति / अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक **09.08.2019** दिन शुक्रवार को अपरान्ह् 01.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में सम्पन्न **परीक्षा समिति** की बैठक की कार्यवाही–

बैठक में निम्न उपस्थित रहे–

01.	प्रो. राजाराम यादव, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डॉ. वशिष्ठ यति, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03.	डॉ. दुर्गा प्रसाद अस्थाना, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, भूगोल विभाग, डी0ए0वी0कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
04	डॉ. एम0एस0अंसारी, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
05.	श्री सूर्यप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर।	सदस्य
06.	डॉ0 मनोज मिश्रा,संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
07.	प्रो. ए0के0श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
08.	डॉ0 आर0आर0 यादव, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अम्बारी, आजमगढ़	सदस्य
09.	डॉ0 सविता भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
10.	डॉ0 अनिल कुमार सिंह (वरि.शिक्षक) सैन्य विज्ञान विभाग,एस0जी0आर0पी0जी0कालेज, डोभी, जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ0 समर बहादुर सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
12.	डॉ0 विजय कुमार सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
13.	श्री एम0के0 सिंह, वित्त अधिकारी, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
14.	श्री सुजीत कुमार जायसवाल, कुलसचिव, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
15.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 12.06.2019 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 12.06.2019 की कार्यवाही को विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ कि निर्णय में जहाँ पर संस्तुति शब्द है, उसे **"निर्णय" समझा/पढ़ा जाय के साथ** सम्पुष्ट किया।

कार्यसूची संख्या–02

परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 19.07.2019, 27.07.2019 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 19.07.2019, 27.07.2019 की कार्यवाही की पुष्टि की।

कार्यसूची संख्या–03

मुख्य परीक्षा सत्र 2018–19 में उड़ाकादल संयोजकों/पर्यवेक्षकों की महाविद्यालय के सम्बन्ध में दी गयी आख्या पर अनुचित साधन प्रयोग समिति की संस्तुतियों पर विचार।

निर्णयः–उक्त प्रकरण पर यू0एफ0एम0 समिति द्वारा जॉचोपरान्त प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत चर्चा उपरान्त मुख्य परीक्षा 2019 में सामूहिक नकल में दोषी पाये गये निम्नलिखित 03 महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों को **प्रथम वर्ष में रु0 1.00 (एक लाख) अर्थदण्ड** लगाये जाने एवं यहीं महाविद्यालय यदि अगले वर्ष भी सामूहिक नकल में दोषी पाया जाता है तो, **रु0 1.00 (एक लाख) अर्थदण्ड** के साथ दो वर्ष के लिए संबंधित केन्द्राध्यक्ष के साथ परीक्षा केन्द्र को डिबार घोषित किया जायेगा, तथा साथ में समिति ने सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया कि अगर तीसरे वर्ष भी संबंधित महाविद्यालय डिबार होता है तो विश्वविद्यालय परिनियमावली के तहत सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही परिचालित की जायेगी। समिति ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि अर्थदण्ड जमा करने के पश्चात् ही महाविद्यालय की छात्राओं का स्वकेन्द्र परीक्षा केन्द्र बनेगा।

1. राजदेव कृषक पी0जी0 कालेज, काशीपुर सुराई, सठियॉव, आजमगढ़।
2. बाबा भॅवरनाथ महाविद्यालय, खरगपुर, आजमगढ।
3. मुसाफिर प्रभावती महाविद्यालय, सलाहाबाद, बचौना, मऊं

कार्यसूची संख्या–04

मड़ियाहूँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मड़ियाहूँ, जौनपुर में संचालित होने वाली पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान एक वर्षीय पाठ्यक्रम की सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की परीक्षा जो पाठ्यक्रम का नाम संशोधन तथा प्राध्यापक के अनुमोदन नहीं होने के कारण लम्बित है को सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– सम्यक् विचारोपरान्त समिति ने मड़ियाहूँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मड़ियाहूँ, जौनपुर में संचालित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान एक वर्षीय पाठ्यक्रम की सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की परीक्षा छात्रहित में एक ही साथ सम्पन्न कराये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

कार्यसूची संख्या–05

शिक्षाशास्त्र विषय में सत्र 2018–19 में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित बी0ए0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र/छात्राएं जो शिक्षाशास्त्र विषय हेतु अधिकृत नहीं है, का परीक्षाफल पूर्ण करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षाशास्त्र विषय में सत्र 2018–19 में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित बी0ए0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र/छात्राएं जो शिक्षाशास्त्र विषय हेतु अधिकृत नहीं है, किन्तु प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित है, उनका परीक्षाफल घोषित करने तथा जो छात्र प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं है उन्हें छूटी हुई प्रायोगिक में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया। इन छात्रों पर यह व्यवस्था पास आउट होने तक बनी रहेगी। सत्र 2019–20 से व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को शिक्षाशास्त्र विषय अनुमत न किया जाय तथा इस सम्बन्ध में साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया जाय।

कार्यसूची संख्या–06

वार्षिक परीक्षा सत्र 2018–19 में सम्बद्धता विभाग द्वारा सम्बद्धता से सम्बन्धित मानक पूर्ण न होने के कारण प्रवेश–पत्र रोके जाने हेतु जनपदवार सूची दिनांक 08.02.2019 को प्राप्त करायी गयी थी। दिनांक 25.02.2019 से परीक्षा प्रारम्भ प्रारम्भ होनी थी, समय कम हाने के कारण कुलपति महोदय के आदेश से प्रवेश–पत्र निर्गत किये गये तथा प्रथम वर्ष का परीक्षाफल रोका गया। अद्यतन 32 स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में सम्बद्धता विभाग से आख्या प्राप्त नही हुयी है ऐसे महाविद्यालयों का परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–

सम्यक् विचारोपरान्त समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चूँकि इन महाविद्यालयों की परीक्षा सम्पन्न करा कर ली गयी है, सम्बद्धता समिति द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जिन महाविद्यालयों द्वारा जमा कर दिया है उनका तथा जिन महाविद्यालयों का सम्बद्धता सम्बन्धी मानकपूर्ण नही है उन्हें निर्धारित समयावधि में मानकपूर्ण करने सम्बन्धी पत्र निर्गत करते हुये स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष का परीक्षाफल घोषित किया जाय। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित महाविद्यालयों को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाय कि यदि वे निर्धारित समयावधि में मानक पूर्ण नहीं करते है तो उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

कार्यसूची संख्या–07

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों में स्पेशल बैंक पेपर परीक्षा सम्पन्न कराये जाने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णय–

सम्यक विचारोपरान्त समिति ने विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों में अन्तिम वर्ष की परीक्षा दे चुके छात्रों की स्पेशल बैंक पेपर परीक्षा छात्र हित में कराये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–

1. डॉ0 वशिष्ठ यति, संकायाध्यक्ष, कृषि संकायाध्यक्ष के पत्र दिनांक 02.08.2019 के प्रत्यावेदन यह कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कृषि महाविद्यालयों बी0एस–सी0(कृषि) एवं एम0एस–सी0(कृषि) में जहाँ अनुमोदित प्राध्यापक नहीं है वहाँ प्रायोगिक परीक्षा संचालन हेतु आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षक अनुदानित महाविद्यालय से नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।
   निर्णयः– सम्यक् विचारोपरान्त समिति ने **निर्णय लिया** कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कृषि महाविद्यालयों बी0एस–सी0(कृषि) एवं एम0एस–सी0(कृषि) में जहाँ अनुमोदित प्राध्यापक नहीं है वहाँ पर विश्वविद्यालय से अनुमोदित संबंधित विषय का प्राध्यापक प्रायोगिक परीक्षा में आन्तरिक विशेषज्ञ के रुप में कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु नामित किया जाय।

2. जनसुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश में शिकायत संदर्भ संख्या–40019519008609 एवं 40019519008648 के शिकायतकर्ता श्री रजत कुमार वर्मा, शहीद स्मारक राजकीय महाविद्यालय, यूसुफपुर मुहम्मदाबाद, गाजीपुर का बी0ए0 तृतीय वर्ष 2019 का छात्र है जो राजनीतिशास्त्र के तीनों प्रश्न पत्र में पी–6 एवं पी0–7 के अनुसार उपस्थित है, परन्तु महाविद्यालय से प्राप्त राजनीतिशास्त्र के तीनों उत्तर पुस्तिका के बण्डल में छात्र की उत्तर

पुस्तिका अप्राप्त होने के कारण परीक्षाफल अपूर्ण है, का परीक्षाफल पूर्ण करने संबंधित प्रकरण पर विचार।

निर्णयः– सम्यक विचारोपरान्त समिति ने सर्वसम्मति यह निर्णय लिया कि संबंधित छात्र का बी0ए0 भाग–दो में राजनीतिशास्त्र विषय के प्राप्तांको का औसत निकालकर तृतीय वर्ष में राजनीतिशास्त्र विषय में अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण किया जाय। साथ ही प्राचार्य, शहीद स्मारक राजकीय महाविद्यालय, यूसुफपुर मुहम्मदाबाद, गाजीपुर से स्पष्टीकरण मांगते हुए, पत्र की प्रतिलिपि क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी एवं निदेशक, उच्च शिक्षा अनुभाग, प्रयागराज को भी प्रेषित की जाय।

3. डॉ0 नरेन्द्र राय, संयोजक, अध्ययन परिषद, मनोविज्ञान विभाग, तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर के पत्र दिनांक 09.08.2019 के द्वारा यह इंगित किया था कि मनोविज्ञान विषय में प्राध्यापकों की कमी को देखते हुए न्यूनतम् 02 वर्ष की सेवा को प्राश्निक एवं परीक्षक के लिए अर्ह माने जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णयः– डॉ0 नरेन्द्र राय, संयोजक, अध्ययन परिषद के प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त समिति ने सर्व सम्मति से प्राध्यापकों की कमी को देखते हुए न्यूनतम् 02 वर्ष की सेवा को स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अर्ह माने जाने का निर्णय लिया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव

प्रो0(राजाराम यादव)
कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक **01.11.2019** दिन शुक्रवार को अपरान्ह 02.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में **परीक्षा समिति** की बैठक की कार्यवाही–

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो.डॉ0 राजाराम यादव, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डॉ. वशिष्ठ यति, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03	डॉ. एम0एस0अंसारी, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
04.	डॉ. (श्रीमती) रेखा शुक्ला संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर हंडिया पी0जी0कालेज, हंडिया, इलाहाबाद।	सदस्य
05.	डॉ. मनोज मिश्रा,संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
06.	प्रो.ए0के0श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
07.	प्रो. वन्दना राय, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
08.	डॉ0 सविता भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
09.	डॉ0 रणविजय सिंह, संस्कृत विभाग, हंडिया पी0जी0कालेज, हंडिया, इलाहाबाद	सदस्य
10.	डॉ0 देवरुप तिवारी, सैन्य विज्ञान, श्री गांधी स्मारक महाविद्यालय, बरदह,आजमगढ़	सदस्य
11.	प्रो. रामनारायण, (सदस्य कार्यपरिषद) प्रोफेसर, बायोटेक्नोलाजी विभाग, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
12.	डॉ. विजय कुमार सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
13.	श्री एम0के0 सिंह, वित्त अधिकारी, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
14.	श्री सुजीत कुमार जायसवाल, कुलसचिव, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
15.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 09.08.2019 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 की कार्यवाही को विचारोपरान्त सम्पुष्ट किया।

कार्यसूची संख्या–02

परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक **20.09.2019** की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 की कार्यवाही का विचारोपरान्त पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या–03

(क) आगामी दीक्षान्त समारोह में परीक्षा वर्ष 2019 के प्रथम प्रयास में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं, तथा जिन्हें माननीय कुलाधिपति द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया जाना है, जिनकी संख्या क्रमशः 17 एवं 50 है, की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– **समिति के समक्ष विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में परीक्षासत्र 2018–19 मे प्रथम प्रयास में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं/ विषयों में संस्थागत विद्यार्थियों मे सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं जिनकी संख्या क्रमशः 17 एवं 50 है।(सूची संलग्न) समिति ने सर्व सम्मति से संस्तुति प्रदान की।**

(ख) अमर उजाला फाउण्डेशन, नई दिल्ली द्वारा वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में संचालित पत्रकारिता पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को अतुल माहेश्वरी के नाम से स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय– **सम्यक विचारोपरान्त समिति ने** अमर उजाला फाउण्डेशन, नई दिल्ली द्वारा वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में संचालित पत्रकारिता पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को अतुल माहेश्वरी के नाम से स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची संख्या–04

आगामी दीक्षान्त समारोह में शोध उपाधि प्राप्त करने वाले 121 शोधार्थियों की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में दिनांक 24.10.2019 तक शोध उपाधि प्राप्त करने वाले विभिन्न विषयों के 121 छात्रों की सूची समिति के समक्ष रखा गया, जिसपर समिति ने सर्वसम्मति से उपाधि दिये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।**

कार्यसूची संख्या–05

मुख्य परीक्षा वर्ष 2019 के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के कुछ छात्रों का परीक्षाफल उत्तर–पुस्तिका की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण था, ऐसे प्रकरणों में औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण किया जा चुका है, की कार्योत्तर स्वीकृत पर विचार।

निर्णय– **सत्र 2018–19 के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के कुछ छात्रों का परीक्षाफल उत्तर पुस्तिका की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण था, ऐसे छात्रों को औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण कराने हेतु परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।**

कार्यसूची संख्या–06

वर्ष 2019 श्रेणी सुधार/बैक पेपर बी.एस–सी.कृषि प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्नपत्र की उत्तर–पुस्तिका का पूनर्मूल्यांकन माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.10.2019 के अनुपालन में कराकर परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है, की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय– **वर्ष 2019 श्रेणी सुधार/बैक पेपर बी.एस–सी.कृषि प्रथम वर्ष, प्रथम प्रश्नपत्र के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.10.2019 के अनुपालन में पूर्ण किया जा चुका है, जिसपर समिति द्वारा सर्व सम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मदों पर विचार।

कार्यसूची–

I वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के शिक्षक संघ के महामंत्री डॉ0 विजय कुमार सिंह के अनुरोध पर इण्टर से स्नातक तथा स्नातक से स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु निर्धारित दो वर्ष के अन्तराल को बढ़ाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय–

I इस प्रकरण पर सम्यक विचार–विमर्श किया गया तथा समिति ने सर्वसम्मति से वर्तमान में अर्हता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रुप में प्रवेश लेने की वर्तमान दो वर्ष के अन्तराल को प्रवेश समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में बढ़ाकर सात वर्ष करने का निर्णय लिया।

कार्यसूची–

II वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के शिक्षक संघ के महामंत्री डॉ0 विजय कुमार सिंह के अनुरोध पर स्नातक किसी भी संकाय/विषयों में उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को स्नातकोत्तर में किसी भी विषय में प्रवेश लेने/परीक्षा में सम्मिलित होने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय–

II विचारोपरान्त समिति ने प्रवेश समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्णय लिया कि स्नातक किसी भी संकाय/विषयों में उत्तीर्ण छात्र/छात्रा एम.ए. के किसी भी विषय में प्रवेश लेने/परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

(हस्ताक्षर) 4/11/19
(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव

(हस्ताक्षर)
प्रो0(डॉ0राजाराम यादव)
कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक **24.02.2020** दिन सोमवार को अपरान्ह 02.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष मे **परीक्षा समिति** की बैठक सम्पन्न हुई–

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहेः–

01	प्रो.डॉ0 राजाराम यादव, कुलपति	अध्यक्ष
02	डॉ. वशिष्ठ यति, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03	डॉ. बालगोविन्द सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, मलिकपुरा डिग्री कालेज, मलिकपुरा, गाजीपुर।	सदस्य
04.	प्रो. अविनाश पाथर्डीकर,संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
05.	प्रो. वन्दना राय, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
06.	डॉ0 आर0आर0 यादव, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अम्बारी, आजमगढ़	सदस्य
07.	डॉ0 रणविजय सिंह, संस्कृत विभाग, हंडिया पी0जी0कालेज, हंडिया, इलाहाबाद	सदस्य
08.	डॉ0 देवरुप तिवारी, सैन्य विज्ञान, श्री गांधी स्मारक महाविद्यालय, बरदह,आजमगढ़	सदस्य
09.	प्रो. रामनारायण, (सदस्य कार्यपरिषद) प्रोफेसर, बायोटेक्नोलाजी विभाग, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
10.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	श्री एम0के0 सिंह, वित्त अधिकारी, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
12.	श्री सुजीत कुमार जायसवाल, कुलसचिव, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
13.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 01.11.2019 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 01.11.2019 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की।

कार्यसूची संख्या–02

परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 18.11.2019, 25.11.2019, 13.01.2020, 28.01.2020, 03.02.2020 07.02.2020 एवं 22.02.2020 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 18.11.2019, 25.11.2019, 13.01.2020, 28.01.2020, 03.02.2020 07.02.2020 एवं 22.02.2020 की कार्यवाही की पुष्टि की तथा यह भी निर्णय लिया कि शासनादेश के आलोक में प्रत्येक उडाकादल में एक महिला सदस्य को अनिवार्य रुप से सम्मिलित किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मदों पर विचार।

कार्यसूची–

I वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के शिक्षक संघ के महामंत्री डॉ0 राहुल सिंह के अनुरोध पर नोडल केन्द्र पर प्रश्नपत्र विवरण हेतु प्रति शिक्षक रु0 9000/– तृतीय श्रेणी रु0 3000/– एवं चतुर्थ श्रेणी रु0 2000/– पारिश्रमिक के रुप में बढ़ाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय–

I इस प्रकरण पर सम्यक विचार–विमर्श किया गया तथा समिति ने सर्वसम्मति से नोडल केन्द्र पर प्रति शिक्षक रु0 7000/– तृतीय श्रेणी रु0 2000/– एवं चतुर्थ श्रेणी रु0 1500/– का भुगतान किये जाने हेतु अपनी संस्तुति प्रदान की ये दरें वित्त समिति एवं कार्य परिषद के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होंगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव

प्रो0(डॉ0राजाराम यादव)
कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनाक **11.05.2020** दिन सोमवार को अपराहन 12.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष मे **परीक्षा समिति** की **आकस्मिक** बैठक सम्पन्न हुई–

जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:–

01.	प्रो.डॉ0 राजाराम यादव, कुलपति	**अध्यक्ष**
02.	डॉ. वशिष्ठ यति, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03.	श्री सूर्यप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर।	सदस्य
04.	डॉ. मनोज मिश्रा,संकायाध्यक्ष, अनु0सामा0 विज्ञान एवं मान0संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
05.	डॉ0 आर0आर0 यादव, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अम्बारी, आजमगढ़	सदस्य
06.	डॉ0 देवरुप तिवारी, सैन्य विज्ञान, श्री गांधी स्मारक महाविद्यालय, बरदह,आजमगढ़	सदस्य
07.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
08.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09.	श्री एम0के0 सिंह, वित्त अधिकारी, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
10.	श्री सुजीत कुमार जायसवाल, कुलसचिव, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
11.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। परीक्षा नियंत्रक द्वारा बैठक का एजेण्डा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची संख्या–01

I कोविड–19 के कारण स्थगित अवशेष वार्षिक परीक्षाओं तथा सेमेस्टर परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने के विभिन्न विकल्पों के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–

I **इस प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निम्नलिखित निर्णय लिया गया किः–**

क– समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा दिनांक 25.02.2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 30.04.2020 तक सम्पन्न होनी थी, जिसमें दिनांक 17.03.2020 तक की परीक्षायें सम्पन्न करा ली गयी है। **यदि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न कराने के सन्दर्भ में लाकडाउन में छूट प्रदान की जाती है तो विश्वविद्यालय की उक्त स्थगित अवशेष परीक्षायें एवं सेमेस्टर परीक्षायें दिनांक 27.05.2020 से प्रारम्भ कर दिनांक 25.06.2020 तक सम्पन्न करा ली जायेंगी।**

ख– अवशेष स्थगित परीक्षायें दो पालियों के स्थान पर **तीन पालियों में सम्पन्न करायी जायेगी। प्रश्नपत्र पूर्व की भाँति तीन घंटे का होगा।**

ग– शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के स्थान पर कोविड–19 के कारण शारीरिक दूरी (Physical Distancing) हेतु निश्चित दूरी का पालन करने के निमित्त महाविद्यालयों को यथा आवश्यकतानुसार स्वकेन्द्र बनाकर परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी।

घ– वर्तमान प्रश्नपत्र वितरण/उत्तर पुस्तिका संकलन हेतु नोडल केन्द्रों की संख्या–37 हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार बढ़ायी जायेंगी।

च– परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) सुनिश्चित कराते हुए मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

छ– विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन कराया जायेगा। विगत वर्ष की तुलना में मूल्यांकन केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर यथाशीघ्र मूल्यांकन कार्य सम्पन्न करा लिया जायेगा।

ज– मूल्यांकन कार्य में प्राथमिकता के आधार पर स्नातक/स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पहले कराया जायेगा।

झ– **मूल्यांकन कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न कराकर 15 जुलाई तक परीक्षाफल घोषित कर दिया जायेगा।**

ट– शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में परीक्षा केन्द्रों, मूल्याकन केन्द्रों तथा नोडल केन्द्रों पर सेनेटाईजेशन, एवं हाईजिन के मानकों को सुनिश्चित किया जायेगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव

प्रो0(डॉ0राजाराम यादव)
कुलपति/अध्यक्ष 13.05.20

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक **22.07.2020** दिन सोमवार को अपराहन 12.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में **परीक्षा समिति** की **आकस्मिक** बैठक सम्पन्न हुई–

जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहेः–

01.	प्रो.डॉ0 राजाराम यादव, कुलपति	**अध्यक्ष**
02.	डॉ. वशिष्ठ यति, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय पी0जी0 कालेज गाजीपुर	सदस्य
03.	डा0रणविजय सिंह, कला संकायाध्यक्ष एसोसिएट संस्कृत विभाग, हंडिया पी0जी0कालेज, हंडिया, इलाहाबाद।	सदस्य
04	डॉ0 बालगोविन्द सिंह, संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य मलिकपुरा डिग्री कालेज, मलिकपुरा, गाजीपुर।	सदस्य
05.	डॉ. मनोज मिश्रा,संकायाध्यक्ष, अनु0सामा0 विज्ञान एवं मान0संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
06.	प्रो0 अविनाश पार्थिडकर, संकायाध्यक्ष प्रबन्ध अध्ययन संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
07	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर	सदस्य
08	डॉ0 सविता भारद्वाज, प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
09	श्री ओमप्रकाश सिंह, वरि0 प्राध्यापक, भूगोल विभाग, श्री गांधी पी0जी0कालेज,कोयलसा आजमगढ।	सदस्य
10.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
12.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। परीक्षा नियंत्रक द्वारा बैठक का एजेण्डा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची संख्या–01

I उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांक 242/रा0उ0शि0 प0/53/19 दिनांक 16 जुलाई, 2020 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019–20 की अवशेष परीक्षाओ के सम्बन्ध में प्राप्त दिशा–निर्देश के क्रम में अवशेष अन्तिम वर्ष वार्षिक परीक्षाओं तथा अन्तिम सेमेस्टर परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–

I इस प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निम्नलिखित निर्णय लिया गया कि:–

क– उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांक 242/रा0उ0शि0 प0/53/19 दिनांक 16 जुलाई, 2020 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के कम में विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा की अवशेष परीक्षाओं में से स्नातक एवं स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष तथा अन्तिम सेमेस्टर परीक्षायें कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 17.08.2020 से प्रारम्भ किया जाय।

ख– विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर ही सम्पन्न करायी जायेगी। कोविड–19 के कारण शारीरिक दूरी **(Physical Distancing)** हेतु निश्चित दूरी का पालन महाविद्यालयों को सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

ग– उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांक 242/रा0उ0शि0 प0/53/19 दिनांक 16 जुलाई, 2020 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019–20 के निर्देश के बिन्दु संख्या–07 एवं 08 में विकल्प–2 (समिति की संस्तुतियों के अनुसार) प्रस्तर–4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किये जाने निर्णय लिया ।

घ– उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांक 242/रा0उ0शि0 प0/53/19 दिनांक 16 जुलाई, 2020 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019–20 के निर्देश के बिन्दु संख्या–09 में प्रथम एवं अन्तिम वर्ष सहित सभी वर्षों के ऐसे छात्र जो 2021 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित किये जाने वाले 2020 की अवशेष परीक्षाओं के परिणाम से संतुष्ट नहीं होगें, वे 2021 में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा/2021–22 में आयोजित होने वाली वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के उन समस्त/किसी भी विषय में सम्मिलित होकर अपने अंकों में सुधार करने के अवसर प्राप्त कर सकेगें को समिति द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकार किया।

च. विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा की अवशेष परीक्षाओं में से स्नातक एवं स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष तथा अन्तिम सेमेस्टर परीक्षायें कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए मूल्यांकन कराये जाने के लिए नीति निर्धारित किये जाने हेतु एक समिति का गठन करने के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया।

छ– उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019–20 के निर्देश के बिन्दु संख्या–10 पर निर्णय लिया गया कि अभियंत्रण एवं प्रबन्धन के स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

25/7/2020	22.07.2020
(व्यास नारायण सिंह)	प्रो0(डॉ0राजाराम यादव)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव	कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्षा में सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक दिनांक **22.09.2020** समय **12.00 बजे** (मध्यान्ह) की कार्यवाही–

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03.	डॉ. बालगोविन्द सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, मलिकपुरा डिग्री कालेज, मलिकपुरा, गाजीपुर।	सदस्य
04.	डा0 अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
05.	डॉ. मनोज मिश्रा,संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
06.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय,बायो0टेक्नो0 विभाग वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
07.	प्रो.ए0के0श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
08.	डॉ0 मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
09.	डॉ0 ओमप्रकाश सिंह, भूगोल विभाग, (वरिष्ठ प्राध्यापक) श्री गांधी पी0जी0कालेज, कोयलसा, आजमगढ़	सदस्य
10.	डॉ0 आनन्द सिंह,भूगोल विभाग, (वरिष्ठ प्राध्यापक) श्री गणेश राय पी0जी0कालेज, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
11.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
12.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
13.	श्री सुजीत कुमार जायसवाल, कुलसचिव, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
14.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदया का परिचय बैठक में उपस्थित सदस्यों से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कराया गया, नवागन्तुक कुलपति महोदया का समस्त सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 24.02.2020 एवं आपात बैठक दिनांक 11.05.2020 एवं 22.07.2020 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.02.2020 एवं आपात बैठक दिनांक 11.05.2020 एवं 22.07.2020 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की।

कार्यसूची संख्या–02

परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 20.04.2020 एवं 31.08.2020 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 20.04.2020 एवं 31.08..2020 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की।

कार्यसूची संख्या–03

शासन के निर्देशानुसार कोविड–19 के कारण छात्र/छात्राओं के प्रोन्नत करने सम्बन्धी नियमावली में औसत अंक निकालने में दशमलव के बाद आने वाले अंश (Fraction) को पूर्णांक में बदलने सम्बन्धी नियम पर विचार।

निर्णय– उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त समिति ने शासन के निर्देशानुसार कोविड–19 के कारण छात्र/छात्राओं के प्रोन्नत करने सम्बन्धी नियमावली में औसत निकालने में दशमलव के बाद आने वाले अंश को छात्रहित में अगला पूर्ण अंक मानकर कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान की। भविष्य में औसत अंक निकालने सम्बन्धी प्रकरण पर इसी के अनुसार कार्यवाही की जाय।

कार्यसूची संख्या–04

बी0टेक0 अन्तिम सेमेस्टर (अष्टम् सेमेस्टर) परीक्षा 2019 उत्तीर्ण छात्र आशीष पाल की द्वितीय सेमेस्टर भौतिकी की छूटी प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने पर विचार।

निर्णय– उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त समिति ने बी0टेक (अष्टम् सेमेस्टर) परीक्षा 2019 के उत्तीर्ण छात्र आशीष पाल से छूटी प्रायोगिक परीक्षा शुल्क रु0 600/– तथा विलम्ब शुल्क रु0 3000/– जमा कराने के उपरान्त द्वितीय सेमेस्टर भौतिकी की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराते हुए परीक्षाफल घोषित किये जाने की अनुमति प्रदान की तथा भविष्य में इसे दृष्टान्त न माना जाय।

कार्यसूची संख्या–05

राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–ई0–3911/20– जी0एस0/2020 (मिस–11) दिनांक 05.08.2020 जिसमें शिकायतकर्ता श्री मिर्जा असद बेग द्वारा शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ के परीक्षार्थी मो0 शाहेदीन के बी0ए0 अंक पत्र एवं उपाधि निरस्त किये जाने की शिकायत की गयी है, के प्रकरण पर विचार।

निर्णय– उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या– ई0–3911/20– जी0एस0/2020 (मिस–11) दिनांक 05.08.2020 के साथ संलग्न शिकायतकर्ता श्री मिर्जा असद बेग द्वारा शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ के छात्र मो0 शाहेदीन के बी0ए0 अंक पत्र एवं उपाधि (वर्ष 2002) निरस्त किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर समिति ने यह निर्णय लिया कि शिकायत कर्ता द्वारा की गयी शिकायत गलत है। अंकपत्र एवं उपाधि नियामानुसार है।

कार्यसूची संख्या–06

अधीक्षक गोपनीय द्वारा प्रस्तुत–04 बिन्दुओं से संबंधित प्रकरण पर विचार।

(क) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रतिपर्णों (Award List) के रख–रखाव की समयावधि निश्चित न होने, छात्र संख्या में वृद्धि एवं स्थानाभाव के कारण प्रतिपर्णों के रख–रखाव में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रतिपर्णों के रख–रखाव की समयावधि (बीडिंग शिड्यूल) परीक्षा समिति द्वारा निश्चित करने पर विचार।

निर्णय– (क) सम्यक विचारोपरान्त समिति ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रतिपर्णों (Award List) के रख–रखाव की समयावधि (बीडिंग शिड्यूल) परीक्षाफल घोषित होने के 10 (दस) वर्षों तक संरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची संख्या–06

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के एक मांह के उपरान्त अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल संशोधन हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन स्वीकार न किये जाने पर विचार।

निर्णय– (ख) समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने तथा रफ चार्ट महाविद्यालय को उपलब्ध कराने सम्बन्धी विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर सूचना अपलोड होने के दो माह के अन्दर तक अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल संशोधन हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों पर ही कार्यवाही पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची संख्या–06

(ग) अनेक महाविद्यालयों द्वारा परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका एवं पी–07 आदि संलग्न करते हुए इस आशय का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है कि परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा/मौखिकी में सम्मिलित हुआ था परन्तु परीक्षक द्वारा त्रुटिवश अंकपर्ण (Award List) में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक व प्राप्तांक अंकित नहीं किया गया है। परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के एक माह के उपरान्त ऐसे कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किये जाने के प्रकरण पर विचार।

निर्णय– (ग) सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ऐसे छात्र, छात्रायें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उसी सत्र की छूटी हुई प्रायोगिक/मौखिकी (Viva-Voce) का निर्धारित शुल्क जमा कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है।

कार्यसूची संख्या–06

(घ) बी0बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर में प्रायोगिक परीक्षा का प्राविधान नहीं है। शासन द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार नियमावली में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों का पृथक–पृथक औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण किया जाना है। प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में प्रायोगिक परीक्षा न होने के कारण द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल पूर्ण करने में कठिनाई है। उक्त पाठ्यक्रम मात्र तीन महाविद्यालयों में ही संचालित है, जिनमें छात्र संख्या भी अधिक नहीं है। ऐसी स्थिति में इनकी बी0बी0ए0 द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा कराये जाने के प्रकरण पर विचार।

निर्णय (घ) सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सीमित छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बी0बी0ए0 द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक (Viva-Voce) कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्पन्न कराने का निर्णय लिया।

कार्यसूची संख्या–07

वर्ष 1988 से 2013 तक के सारणीयन पंजिका पर अंकों/नाम संशोधन हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशोपरान्त किये गये नाम संशोधन के अनुमोदन तथा अंकों में संशोधन हेतु एक समिति गठित करने पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त समिति ने उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त **वर्ष 1988 से 2013** तक की सारणीयन पंजिका के अंकों/नाम संशोधन हेतु पूर्व में गठित समिति की संस्तुतियों को मान्य करते हुए, इस प्रकरण पर यह निर्णय लिया कि इतने

दीर्घ अन्तराल के बाद तथा सारणीयन पंजिकाओं का लैमिनेशन हो जाने के कारण भविष्य में नाम/पिता/माता के नाम एवं अंकों में संशोधन किसी भी स्थिति में न किया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि वर्ष 2013 से आगे की सारणीयन पंजिकाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन परीक्षा नियंत्रक की अनुमति के उपरान्त ही किया जाय तथा इस संशोधन से संबंधित अभिलेख मूलरूप में सारणीयन पंजिका के पृष्ठ भाग पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यसूची संख्या–08

राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–ई0–3119/03–जी0एस0/2019 (टी0सी0) दिनांक 24.04.2020 के साथ चुनौती मूल्यांकन संबंधी अध्यादेश की गाईडलाइन को इस विश्वविद्यालय द्वारा सैद्धान्तिक रुप से स्वीकार कर लिया गया है, के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त समिति ने राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–ई0–3119/03–जी0एस0/2019 (टी0सी0) दिनांक 24.04.2020 के साथ संलग्न चुनौती मूल्यांकन संबंधी अध्यादेश की गाईडलाइन को यथावत स्वीकार कर सत्र 2019–20 की परीक्षाओं से लागू करने का निर्णय लिया गया।

कार्यसूची संख्या–09

अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांकः 242/रा0उ0शि0प0/ 53/19 दिनांक–16 जुलाई, 2020 द्वारा विश्वविद्यालय में सत्र 2019–20 (परीक्षा वर्ष–2020) की **अवशेष परीक्षाओं** के सम्बन्ध में **कोविड–19** के दृष्टिगत प्राप्त दिशा–निर्देशों/सुझावों के आलोक में, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर हेतु तैयार किये गये दिशा–निर्देशों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांकः 242/रा0उ0शि0प0/ 53/19 दिनांक–16 जुलाई, 2020 द्वारा विश्वविद्यालय में सत्र 2019–20 (परीक्षा वर्ष–2020) की **अवशेष परीक्षाओं** के सम्बन्ध में **कोविड–19** के दृष्टिगत प्राप्त दिशा–निर्देशों/सुझावों के आलोक में, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर हेतु तैयार किये गये दिशा–निर्देशों को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची संख्या–10

कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण एल0एल0बी0 द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) एवं तृतीय वर्ष (पंचम व षष्टम् सेमेस्टर) में छात्र छात्राओं के प्रोन्नत के सन्दर्भ

अध्यक्ष/प्राचार्य टी0डी0 लॉ कालेज, पीली कोठी, जौनपुर के पत्र दिनांक 03.09.2020 के माध्यम से माँगे गये दिशा–निर्देश पर माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 08.09.2020 द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति के संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय– कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण एल0एल0बी0 द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) एवं तृतीय वर्ष (पंचम व षष्ट्म् सेमेस्टर) में छात्र छात्राओं के प्रोन्नत के सन्दर्भ पर माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 08.09.2020 द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति की संस्तुतियो तथा बार कौसिंल आफ इण्डिया द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में संकायाध्यक्ष विधि संकाय से आख्या प्राप्त होने के बाद ही अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची संख्या–11

इसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्थान से एक ही सत्र में अर्जित की गयी एक से अधिक उपाधि को निरस्त करने सम्बन्धी प्रकरण पर आर्थिक दण्ड लगाते हुए निस्तारित करने पर विचार। विवरण निम्न प्रकार से है–

1. कुमारी विनीता के आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2019 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी एम0ए0 एवं बी0टी0सी0 में से एम0ए0 का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का आग्रह किया गया है।
2. शीतांशू दूबे के आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2020 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी बी0ए0 एवं बी0टेक की उपाधि में से बी0टेक0 का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का आग्रह किया गया है।
3. अतुल कुमार यादव के आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2019 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी बी0टेक एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से बी0ए0 (शास्त्री परीक्षा) में से बी0टेक का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का आग्रह किया गया है।
4. मिथिलेश कुमार यादव के आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2019 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी बी0एड0 एवं एल0एल0बी0 की उपाधि में से बी0एड0 का अंकपत्र (परीक्षाफल) निरस्त करने का आग्रह किया गया है।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त अंकपत्र/उपाधि निरस्त किये जाने सम्बन्धी नियमों का उल्लेख करते हुए प्रकरण को आगामी परीक्षा समिति में रखने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मदों पर विचार।

कार्यसूची–

I वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर परिसर में संचालित एम0टेक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– I सम्यक विचारोपरान्त समिति ने सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए एम0टेक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर, 2020 में पूर्ण करा लिया जाय, तथा तृतीय सेमेस्टर की कक्षायें 01.11.2020 से प्रारम्भ कर दी जाय।

कार्यसूची–

II विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2020 से अंकपत्रों पर प्राचार्य का हस्ताक्षर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय– II सम्यक विचारोपरान्त समिति ने सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि मुख्य परीक्षा 2020 से अंकपत्रों पर प्राचार्य के हस्ताक्षर का प्राविधान पूर्व की भाँति किया जाय।

कार्यसूची–

III बी0एस–सी0(कृषि) द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में प्राचार्य, टी0डी0 कालेज, जौनपुर द्वारा प्राप्त कराये गये पत्र पर विचार।

निर्णय– III समिति को अवगत कराया गया कि सत्र 2019–20 से बी0एस–सी0(कृषि) में सेमेस्टर प्रणाली लागू की गयी है, जिसमें एक वर्ष में दो बार प्रश्नपत्र तैयार कराना, दो बार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षायें सम्पन्न करानी होगी, इसलिए अन्य सेमेस्टर परीक्षाओं की भाँति सेमेस्टरवार परीक्षा शुल्क लिया जाय। उक्त से अवगत होकर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अन्य सेमेस्टर की भाँति बी0एस–सी0(कृषि) में भी सेमेस्टरवार परीक्षा शुल्क लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

22/9/2020 25/09/2020

(व्यास नारायण सिंह) प्रो0(निर्मला एस0मौर्य)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्षा में सम्पन्न परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक **15.10.2020** समय **11.30 बजे** (पूर्वान्ह) की कार्यवाही–

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03	डॉ. रणविजय सिंह, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, संस्कृत विभाग हंडिया पी0जी0 कालेज हंडिया, इलाहाबाद,	सदस्य
04.	डा0 अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
05.	डॉ. मनोज मिश्रा,संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
06.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
07.	प्रो.ए0के0श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
08.	प्रो. अविनाश पार्थिडकर,संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09.	डॉ0 ओमप्रकाश सिंह, भूगोल विभाग, (वरिष्ठ प्राध्यापक) श्री गांधी पी0जी0कालेज, कोयलसा, आजमगढ़	सदस्य
10.	डॉ0 आनन्द सिंह,भूगोल विभाग, (वरिष्ठ प्राध्यापक) श्री गणेश राय पी0जी0कालेज, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
11.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
12.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
13.	श्री एम0के0 सिंह, वित्त अधिकारी, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
14.	श्री सुजीत कुमार जायसवाल, कुलसचिव, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
15.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदया का समस्त सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई। परीक्षा नियंत्रक द्वारा कार्यसूची प्रस्तुत की गई।

कार्यसूची संख्या–01

परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 22.09.2020 के कार्यसूची संख्या–07 पर लिये गये निर्णय पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परीक्षार्थी/पिता/माता के नाम का वर्तनी (Spelling) सम्बन्धी अंकपत्र संशोधन हाईस्कूल के प्रमाणपत्र के आधार पर किया जाय। अंकों में संशोधन किसी भी दशा में न किया जाय। अंकपत्रों का संशोधन शुल्क प्रति अंकपत्र रु0 500/–(पॉच सौ मा्त्र) वित्त समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में लिये जाने की संस्तुति की गयी।

अन्त में अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव

16/10/2020
प्रो0(निर्मला एस0मौर्य)
कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सभाकक्ष में सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 07.11.2020 समय 11.00 बजे (पूर्वान्ह) की कार्यवाही–

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03.	डॉ. रणविजय सिंह, कला संकायाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, हंडिया,पी0जी0कालेज,हंडिया इलाहाबाद	सदस्य
04.	डा0अविनाश पार्थिडकर, सकायाध्यक्ष प्रबन्ध अध्ययन संकाय वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर,	सदस्य
05.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय,बायो0टेक्नो0 विभाग वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
06.	डा0सविता भारद्वाज, प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
07.	डॉ0 मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
08.	डॉ0 ओमप्रकाश सिंह, भूगोल विभाग, (वरिष्ठ प्राध्यापक) श्री गांधी पी0जी0कालेज, कोयलसा, आजमगढ़	सदस्य
09.	डॉ0 आनन्द सिंह,भूगोल विभाग, (वरिष्ठ प्राध्यापक) श्री गणेश राय पी0जी0कालेज, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
10.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
12.	श्री एम0के0 सिंह, वित्त अधिकारी, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
13.	श्री सुजीत कुमार जायसवाल, कुलसचिव, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
14.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3 के पत्रांक–संख्या–134/2020/ 2846/ 26–3–2020–4 (358)/07 टी.सी. दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 के आलोक में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षा कराने के सम्बन्ध में विचार।

उक्त प्रकरण पर तथ्य निम्नवत् है:–

अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांक–242/रा0उ0शि0प0/53/19 दिनांक 16 जुलाई, 2020 द्वारा विश्वविद्यालय में सत्र 2019–20 (परीक्षा वर्ष 2020) की अवशेष परीक्षाओं के सम्बन्ध में कोविड–19 के दृष्टिगत प्राप्त दिशा–निर्देशों/सुझावों के आलोक में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को प्रोन्नत करने सम्बन्धी नियमावली (परीक्षा वर्ष 2020) के आधार पर संबंधित छात्र/छात्राओं को प्रोन्नत करने हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यो को विश्वविद्यालय पत्रांक –990/परीक्षा/2020 दिनांक 10.08.2020 द्वारा निर्देशित किया गया है। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3, उ0प्र0शासन के पत्र संख्या–134/2020/2846/26.3.2020–4 (358)07 टी0सी0 111 के नोट के बिन्दु–02 के प्रावधान–...**छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Declared आप्शन चुनते हुए आनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (20 जनवरी, 2021 से 30 जनवरी, 2021 तक) अनिवार्य रुप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।... है।**

अंक प्रदान कराने हेतु परीक्षा कराने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि स्ववित्तपोषित पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, प्रबन्धक महासंघ, जौनपुर के पत्र दिनांक 06.11.2020 द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा न कराने का प्रत्यावेदन दिया गया है।

निर्णय– समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त छात्रहित में निर्णय लिया गया कि स्नातक प्रथम वर्ष के जिन विषयों के एक भी प्रश्नपत्र की परीक्षा तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दो प्रश्नपत्रों की परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है, स्नातक के उन विषयों के प्रथम प्रश्नपत्र तथा स्नातकोत्तर विषयों के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्रों की परीक्षा अतिशीघ्र सम्पन्न करा ली जाय, तथा इसी के आधार पर अन्य प्रश्नपत्रों में अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित किया जाय। प्रायोगिक विषयों की प्रायोगिक परीक्षायें पूर्व में नामित वाहय परीक्षकों द्वारा सम्पन्न कराई जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मदों पर विचार।

कार्यसूची– I विमला यादव महाविद्यालय, एकावसपट्टी, भितरी, गाजीपुर के बी0एड0 पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेशित छात्रों के याचिका संख्या–10021/2020 प्रबन्धक विमला यादव महाविद्यालय, एकावसपट्टी, भितरी, गाजीपुर बनाम अन्य पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2020 के अनुपालन में मा0 कुलपति जी के आदेशोपरान्त घोषित परीक्षाफल समिति के अनुमोदनार्थ/संज्ञानार्थ।

निर्णय– I महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर बी0एड0 सत्र 2019–21 में प्रवेश लिये छात्र/छात्राओं से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या–10021/2020 दिनांक 08.07.2020 में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय कुलपति जी द्वारा प्रथम सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 28.08.2020 को सदन के संज्ञानार्थ रखा गया जिस पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन करते हुए निर्णय लिया गया कि इस नियम विरुद्ध कृत्य हेतु संबंधित महाविद्यालय/प्रबन्धक पर रु0 50000/– का अर्थदण्ड लगाते हुए भविष्य में इस प्रकार का कार्य न किये जाने हेतु चेतावनी पत्र निर्गत किया जाय।

कार्यसूची– II स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में एक विषय में 33 प्रतिशत से कम लेकिन 20 प्रतिशत तक अंक पाये विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण घोषित किया गया था किन्तु प्रथम वर्ष के अंकों के औसत के आधार पर घोषित द्वितीय वर्ष में वे परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गये है, पर विचार।

निर्णय– II प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण विषयों (कम से कम 33 प्रतिशत अंकों के साथ) के प्राप्तांको के औसत के आधार पर परीक्षाफल घोषित किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष की अनुमति से धन्यवाद सहित बैठक समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)	11/11/2020 प्रो0(निर्मला एस0मौर्य)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव	कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक **दिनांक** 12.02.2021 को **11.00 बजे** (पूर्वान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

01.	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	अध्यक्ष
02.	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03.	डा0 अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
04.	डॉ. मनोज मिश्रा, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
05.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
06.	प्रो.बी0बी0 तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
07.	प्रो. अविनाश पार्थिडकर,संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
08.	डॉ0 सविता भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
09.	डॉ0 मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
10.	डॉ0 आनन्द सिंह, भूगोल विभाग, (वरिष्ठ प्राध्यापक) श्री गणेश राय पी0जी0कालेज, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
11.	डा0रविप्रकाश, आसि0 प्रो0 इंजीनियरिंग संस्थान, वी.बी.एस.पी.यू. जौनपुर,	सदस्य
12.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
13.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
14.	श्री महेन्द्र कुमार कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
15.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

(क) आगामी दीक्षान्त समारोह में वर्ष 2018 एवं 2019 के स्नातकोत्तर स्तर के क्रमशः 05 एवं 06 तथा वर्ष 2020 के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के क्रमशः 15 एवं 58 छात्र/छात्राओं को प्रथम प्रयास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने संबंधी सूची तथा इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 के अन्य छात्र/छात्राओं को उपाधि दिये जाने के प्रकरण पर विचार।

निर्णय– **समिति के समक्ष विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में परीक्षा वर्ष 2018 एवं 2019 स्नातकोत्तर के क्रमशः 05 एवं 06 तथा वर्ष 2020 के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के क्रमशः 15 एवं 58 छात्र/छात्राओं को प्रथम प्रयास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक प्रदान करने सम्बन्धी सूची प्रस्तुत की गयी, जिसपर सम्यक विचारोपरान्त स्वर्ण पदक प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी, इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 के अन्य छात्र/छात्राओं को उपाधि प्रदान किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी।**

(ख) आगामी दीक्षान्त समारोह में वर्ष 2020 के 67 शोधार्थियों को शोध उपाधि प्रदान किये जाने संबंधी सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– **विश्वविद्यालय से वर्ष 2020 के शोध उपाधि प्राप्त करने वाले विभिन्न विषयों में 67 शोधार्थियों की सूची को समिति के समक्ष रखा गया, जिसपर समिति ने सर्वसम्मति से उपाधि दिये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।**

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)	N. S. Maurya 12/02/2021
	प्रो0(निर्मला एस0मौर्य)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव	कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की बैठक **दिनांक 15.06.2021** को **11.30 बजे** (पूर्वान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

बैठक में अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:–

01.	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	अध्यक्ष
02.	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03.	डॉ. रणविजय सिंह, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, संस्कृत विभाग हंडिया पी0जी0 कालेज हंडिया, प्रयागराज।	सदस्य
04	डॉ. विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
05.	डॉ. समर बहादुर सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
06.	डा0 अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
07.	प्रो0 अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानवकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
08.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09.	प्रो.बी0बी0 तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो0संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
10.	प्रो. अविनाश डी0 पाथर्डीकर संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ0 मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
12.	डा0रविप्रकाश, आसि0 प्रो0 इंजीनियरिंग संस्थान, वी.बी.एस.पी.यू. जौनपुर,	सदस्य
13.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
14.	वित्त अधिकारी, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
15.	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
16.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 12.02.2021 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 12.02.2021 की कार्यवाही की समिति द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या–02

परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 22.03.2021, 24.03.2021, 07.04.2021 एवं 13.04.2021 की कार्यवाही की पुष्टि।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 22.03.2021, 24.03.2021, 07.04.2021 एवं 13.04.2021 की कार्यवाही की विचारोपरान्त पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या–03

अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांकः 236/रा0उ0शि0प0/53/19 दिनांक–09, जून, 2021 एवं उसके संलग्नक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1200/सत्तर–3–2021–08(20) दिनांक 08 जून, 2021 के अन्तर्गत दिए गए दिशा–निर्देशों/सुझावों के आलोक में छात्रों को प्रोन्नत करने एवं परीक्षा कराने सम्बन्धी नियमावली पर विचार।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांकः 236/रा0उ0शि0प0/ 53/19 दिनांक–09, जून, 2021 एवं उसके संलग्नक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1200/सत्तर–3–2021–08(20) दिनांक 08 जून, 2021 के अन्तर्गत दिए गए दिशा–निर्देशों/सुझावों के आलोक में तैयार की गयी नियमावली को सम्यक विचारोपरान्त आंशिक संशोधनों सहित अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची संख्या--04

बी0एड0 एवं एम0एड0 पाठ्यक्रम में सेशनल अंक प्राप्त कराने से संबंधित दिशा-निर्देश हेतु मा0कुलपति जी द्वारा दिनांक 05.01.2021 को गठित समिति की बैठक दिनांक 12.01.2021 में की गयी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय- परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से मा0कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 12.01.2021 में की गयी संस्तुति एवं तदनुपालन में कृत कार्यवाही को अनुमोदित किया।

कार्यसूची संख्या--05

विधि संकाय से संबंधित जिन छात्र/छात्राओं की मौखिक/प्रायोगिक परीक्षा किन्ही कारणों से छूट गयी थी, ऐसे छात्र/छात्राओं को परीक्षा समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्धारित शुल्क जमा कर आगामी प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा में सम्मिलित कराया गया, पर कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय- समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही यह निर्णय लिया कि भविष्य में विधि पाठ्यकम से संबंधित जिन छात्र/छात्राओं की मौखिक/प्रायोगिक परीक्षा किन्ही कारणों से छूट जाती है वे विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कर शुल्क रसीद के साथ महाविद्यालय के संबंधित सेमेस्टर की आगामी प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

कार्यसूची संख्या--06

परीक्षा परिणाम घोषणा समिति के प्रस्ताव कि मुख्य परीक्षा 2020 के अपूर्ण परीक्षाफलों को संबंधित महाविद्यालय से प्रमाणित पी0-06, पी0-07 एवं नकल में आरोपित नहीं का प्रमाण पत्र प्राप्त कर औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है, पर कार्योत्तर स्वीकृत पर विचार।

निर्णय— समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से मुख्य परीक्षा 2020 के अपूर्ण परीक्षाफलों को संबंधित महाविद्यालय से प्रमाणित पी0-06, पी0-07 एवं नकल में आरोपित नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित किये जाने पर अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या—07

प्रबन्धकगण एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के प्रत्यावेदन पर विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 06.03.2021 द्वारा अंक पत्र संशोधन शुल्क रु0 500/—(पाँच सौ) से घटाकर रु0 300/—(तीन सौ) किये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृत पर विचार।

निर्णय— समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 06.03.2021 द्वारा अंक पत्र संशोधन शुल्क रु0 500/— (पाँच सौ) से घटाकर रु0 300/—(तीन सौ) किये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या—08

एम0एड0 प्रथम सेमेस्टर सत्र 2018—19 हंडिया पी0जी0 कालेज, हंडिया, इलाहाबाद की छात्रा गीतू पुत्री श्री मुन्शीलाल ने दो प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण होने पर भी कैरी फारवर्ड का फार्म भर दी जबकि नियमानुसार उसे भूतपूर्व छात्रा (Ex-Student) के रुप में परीक्षा फार्म भरना था पर विचार।

निर्णय— समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से एम0एड0 प्रथम सेमेस्टर सत्र 2018—19 हंडिया पी0जी0 कालेज, हंडिया, इलाहाबाद की छात्रा गीतू पुत्री श्री मुन्शीलाल जो दो प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण हैं, को द्वितीय सेमेस्टर के अंक के आधार पर औसत अंक प्रदान कर प्रथम सेमेस्टर परीक्षाफल घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विशेष परिस्थितियों में लिये गये इस निर्णय को भविष्य में दृष्टान्त न माना जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–

1. संकायाध्यक्ष कृषि संकाय के दिनांकरहित पत्र में किए गये अनुरोध कि उ0पु0 मूल्यांकन में अन्य विषयों के संयोजकों की भाँति कृषि संकाय के संकायाध्यक्ष को भी संयोजक नियुक्त किया जाय पर विचार।

   निर्णयः– समिति ने सम्यक् विचारोपरान्त अन्य संकायाध्यक्षों/विषय संयोजकों के समान ही कृषि संकाय के संकायाध्यक्ष को भी उ0पु0 के मूल्यांकन में नामित करने पर सहमति प्रदान की।

2. समिति के माननीय सदस्य द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि प्रायोगिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय से नियुक्त परीक्षकों द्वारा दिये गये अंकों को कतिपय महाविद्यालयों द्वारा परिवर्तित कर प्रेषित किया जाता है, प्रकरण पर विचार।

   निर्णयः– समिति ने प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रायोगिक परीक्षा के पश्चात् उनके द्वारा परीक्षार्थियों को दिए गए अंकों का विवरण विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित/उपलब्ध कराया जाय। प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को आनलाईन प्राप्त किये जाने हेतु एक "एप" विकसित करने के लिए प्रो0 अविनाश डी0 पाथर्डीकर, संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय एवं श्री दीपक कुमार सिंह, सहायक कुलसचिव, वित्त की एक समिति बनाई गयी।

3. प्राचार्य, श्री दुर्गाजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डेश्वर, आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2021 द्वारा बी0ए0,बी0एस–सी0(कृषि), एम0एस–सी0 (कृषि एग्रोनामी एवं एम0एस–सी0(कृषि) जी0पी0वी में स्वीकृत सीट संख्या से कमशः 168, 40, 05 एवं 05 अतिरिक्त सीटों पर लिये गये प्रवेश के सापेक्ष सत्यापित फार्मो को विश्वविद्यालय में प्राप्त कराने एवं प्रवेश पत्र निर्गत कराने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार सिंह, सदस्य, परीक्षा समिति द्वारा उठाये गये प्रकरण पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि चूँकि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से सीट वृद्धि की अनुमति प्राप्त किये बिना ही अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश लिया गया है, अतएवं रु0 50000/– (रु0पचास हजार मात्र) अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों के हित में फार्म स्वीकार किया जाय। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विशेष परिस्थितियों में लिये गये इस निर्णय को भविष्य में दृष्टान्त न माना जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

15/06/2021

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव

प्रो0(निर्मला एस0मौर्य)
कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक **दिनांक 12.07.2021** को **02.30 बजे** (अपरान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में सम्पन्न हुई।

जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहेः—

01.	प्रो. निर्मला एस० मौर्य, कुलपति।	अध्यक्ष
02.	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी०डी० कालेज, जौनपुर	सदस्य
03	डॉ. विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
04.	डॉ. समर बहादुर सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी०डी० पी०जी० कालेज, जौनपुर	सदस्य
05.	डा० अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
06.	प्रो० अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानवकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
07.	प्रो० रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
08.	प्रो.बी०बी० तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो०संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09.	प्रो. अविनाश डी० पाथर्डीकर संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
10.	डॉ० मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
11.	डा०रविप्रकाश, आसि० प्रो० इंजीनियरिंग संस्थान, वी.बी.एस.पी.यू. जौनपुर,	सदस्य
12.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
13.	कुलसचिव, वी.बी.एस०पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
14.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है—

सर्वप्रथम मा० कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

वर्ष 2013 या उससे पूर्व के अभिलेखों (सारणीयन पंजिका) में संशोधन हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय– परीक्षा समिति के समक्ष सारणीयन पंजिका में संशोधन हेतु गठित समिति की की संस्तुतियों को रखा गया जिसपर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया:–

(1) रिट याचिका संख्या–20639/2020 विनोद कुमार यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या–25543/2020 सुनील कुमार यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश कमशः 02.12.2020 एवं 06.01.2021 के अनुपालन में उक्त दोनों याचीगण के प्रकरण में विश्वविद्यालय सारणीयन पंजिका के अनुसार अंकों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।

(2) श्रेणी सुधार परीक्षा के बाद बढ़ा हुआ अंक सारणीयन पंजिका के अगले वर्ष के योग में नहीं जुड़ा है।

ऐसे प्रकरणों में निम्नवत निर्णय लिया गया:–

(i) श्रेणी सुधार के अंकों के प्रतिपर्ण से बढ़े/घटे हुए अंकों को सत्यापित किए जाने के बाद अंकों को अगले वर्षों के योग में जोड़ा जाय।

(ii) श्रेणी सुधार के प्रतिपर्ण उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय से सारणीयन पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त कर विश्वविद्यालय सारणीयन पंजिका से मिलान/सत्यापित कर अंकों में सुधार किया जाय।

(iii) प्रतिपर्ण उपलब्ध न होने एवं विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की सारणीयन पंजिका में भिन्नता होने पर प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा उनकी संस्तुति के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

(3) श्रेणी सुधार के प्राप्तांक विश्वविद्यालय सारणीयन पंजिका में अंकित है किन्तु परीक्षाफल पूर्ण नहीं किया गया है।

(i) ऐसे प्रकरणों में श्रेणी सुधार के प्रतिपर्ण से अंकों का सत्यापन/मिलान कर परीक्षाफल पूर्ण किया जाय।

(4) श्रेणी सुधार परीक्षा में छात्र अनुपस्थित हैं जिसके कारण सारणीयन पंजिका पर परीक्षाफल अपूर्ण है। छात्रों द्वारा पूर्व के अंक पत्रों की मांग की जा रही है।

ऐसे प्रकरणों में छात्र की अनुपस्थिति पी–6 एवं पी0–7 से सत्यापित किये जाने के बाद पूर्व में प्राप्त अंकों के अनुसार अंक पत्र निर्गत किया जाय।

(5) अन्तिम वर्ष के परीक्षाफल में पिछले वर्ष के प्राप्तांकों का योग अंकित न होने के कारण परीक्षाफल अपूर्ण है।

ऐसे प्रकरणों में यदि सारणीयन पंजिका में कम्प्यूटरीकृत रूप से अंक मुद्रित हैं तो उसे आगे के वर्षो में अंकित कर परीक्षाफल पूर्ण किया जाय।यदि सारणीयन पंजिका में हस्तलिखित अंक हैं तो उनका सत्यापन मूल अंक पर्ण से करने के बाद ही परीक्षाफल पूर्ण किया जाय।

(6) कतिपय छात्रों के प्रायोगिक अंक प्रतिपर्ण में उपलब्ध हैं किन्तु विश्वविद्यालय सारणीयन पंजिका पर अंकित नहीं हैं।

ऐसे प्रकरणों में प्रायोगिक अंक प्रतिपर्ण से सत्यापित/मिलान करने के पश्चात् सारणीयन पंजिका पर अंकित किये जाएँ।

उपर्युक्त निर्णयों से अनाच्छादित एवं अन्य प्रकार के प्रकरणों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं समिति की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। समिति निम्नवत हैः–

1. प्रो0बी0बी0 तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी0और टेक्नोंलाजी विश्वविद्यालय परिसर।

2. प्रो० अविनाश डी० पाथर्डीकर, संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, विश्वविद्यालय परिसर।
3. प्रो० अजय प्रताप सिंह संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानवकीय संकाय विश्वविद्यालय,परिसर।
4. डॉ० ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष कृषि संकाय,टी०डी०कालेज, जौनपुर।

कार्यसूची संख्या–02

मुख्य परीक्षा सत्र 2020–21 में फार्म आनलाईन भरने, सत्यापित करने एवं विश्वविद्यालय में जमा करने हेतु अनेक बार तिथि विस्तारित किये जाने के बावजूद फार्म भरने से वंचित परीक्षार्थियों के प्रकरण पर विचार।

निर्णय– कोविड–19 की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि मुख्य परीक्षा सत्र 2020–21 के स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध/अंतिम वर्ष के जो छात्र/छात्रायें परीक्षा आवेदन फार्म आनलाईन करने से वंचित रह गये है, उन्हें आगामी बैक पेपर/श्रेणी सुधार की परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा के शुल्क सहित सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाय। यह निर्णय केवल इसी वर्ष के लिए ही प्रभावी होगा।

कार्यसूची संख्या–03

भारती महिला महाविद्यालय,जौनपुर के बी०ए० तृतीय वर्ष 1999 की छात्रा साधना चतुर्वेदी के अनुक्रमांक गलत अंकित होने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि सारणीयन पंजिका के आधार पर अनुक्रमांक को संशोधित कर दिया जाय।

कार्यसूची संख्या–04

बी०एड० प्रथम सेमेस्टर सत्र 2015–16 हरिशचन्द्र महाविद्यालय, कवला, जखनियॉ, गाजीपुर की छात्रा आकांक्षा देवी पत्नी श्री अभिषेक पाण्डेय प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने पर भी एजेन्सी द्वारा उत्तीर्ण का अंकपत्र निर्गत किया गया, जिसके आधार पर छात्रा द्वारा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुई और उसमें वह उत्तीर्ण है, किन्तु प्रथम

सेमेस्टर अनुत्तीर्ण होने के कारण चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल रोक दिया गया है, के प्रकरण पर विचार।

निर्णय— सम्यक् विचारोपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि प्रथम सेमेस्टर के जिस प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण है, उसे द्वितीय सेमेस्टर में सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के प्राप्तांकों के औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण किया जाय। भविष्य में इसे दृष्टान्त न माना जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मदों पर विचार।

1. शासन के निर्देश के कम में स्नातकोत्तर स्तर पर मौखिकी कराये जाने हेतु न्यूनतम संख्या के प्रकरण पर विचार।

   निर्णय– कोविड–19 परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2021 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यकमों हेतु मौखिकी परीक्षा छात्र संख्या न्यूनतम होने पर भी संबंधित महाविद्यालय द्वारा आनलाइन करायी जाय।

2. वर्ष–2021 की परीक्षा में विश्वविद्यालय से नामित पर्यवेक्षक एवं उड़ाकादल के द्वारा प्रेषित आख्या खोले जाने पर विचार।

   निर्णय– उड़ाकादल/पर्यवेक्षक द्वारा प्राप्त करायी गयी रिपोर्ट को खोलने एवं मा0कुलपति जी के आदेशोपरान्त कार्यवाही हेतु परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव

N.S. Maurya
प्रो0(निर्मला एस0मौर्य)
कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक **दिनांक 28.08.2021** को **02.30 बजे** (अपरान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में आनलाइन/आफलाइन सम्पन्न हुई।

जिसमे अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहेः–

01.	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	अध्यक्ष
02.	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03	डॉ. विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
04	डा0 आनन्द प्रकाश सिंह,संकायाध्यक्ष कला संकाय,एस0जी0आर0पी0जी0कालेज,डोभी,जौनपुर	सदस्य
05.	डॉ. समर बहादुर सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
06.	डा0 अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
07.	प्रो0 अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानवकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
08.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09	डा0 सविता भारद्वाज, प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
10.	प्रो. अविनाश डी0 पाथर्डीकर संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ0 मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
12.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
13	श्री राहुल सिंह, महामंत्री शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
14.	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
15.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

(क) सत्र 2020–21 में सभी विषयों में प्रायोगिक परीक्षा कराने के सम्बन्ध में वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, जौनपुर के अध्यक्ष डा0 विजय कुमार सिंह के पत्र दिनांक 25.08.2021 पर विचार।

निर्णय– प्रकरण पर सम्यकरूपेण पुनर्विचार किया गया। कोविड–19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2020–21 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को आगामी कक्षाओं में प्रोन्नत किये जाने/परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में शासन से प्राप्त दिशानिर्देशों के आलोक में एवं परीक्षा परिणाम समयान्तर्गत घोषित किये जाने के दृष्टिगत प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में लिए गए पूर्व निर्णय में परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। पूर्व निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जाय।

कार्यसूची संख्या–01

(ख) कोविड–19 के दृष्टिगत सेमेस्टर से संबंधित पाठ्यक्रमों यथा बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0, बी0सी0ए0, बी0बी0ए0, बी0एस–सी0(कृषि) एवं एम0एस–सी0 (कृषि) के जिन प्रश्नपत्रों की परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी जा रही है, उन प्रश्नपत्रों में जिन छात्र/छात्राओं द्वारा कैरीफारवर्ड/बैंकपेपर का परीक्षा फार्म भरा गया है, उनके परीक्षाफल पूर्ण करने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय– प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कोविड–19 के दृष्टिगत छात्रहित में जिन प्रश्नपत्रों की परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी गई हैं, उनमें जिन छात्र/छात्राओं द्वारा कैरीफारवर्ड/बैंकपेपर परीक्षा फार्म भरा गया है, उन्हें उनके उसी सेमेस्टर के अन्य उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण कर दिया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मदों पर विचार।

1. वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर शिक्षक संघ के अध्यक्ष डा0 विजय कुमार सिंह के अनुरोध पर पूर्व में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.11.2017 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिंदु पर विचार के कमांक–08 पर लिया गया निर्णय कि समस्त प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में जो प्राध्यापक मूल्यांकन में उपस्थित होकर उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करेंगे, उन्हें ही प्रायोगिक परीक्षा में नामित किये जाने पर समिति ने अपनी सहमति प्रदान की, पर पुनर्विचार।

उक्त निर्णय पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यदि कोई प्राध्यापक किन्हीं कारणों से उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो भी उन्हें प्रायोगिक/मौखिकी में परीक्षक नामित किया जा सकता है।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आनलाइन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव

28/03/2021
प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक **दिनांक** 22.09.2021 को 11.30 **बजे** (पूर्वान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में आनलाइन/आफलाइन सम्पन्न हुई। जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे—

01	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	**अध्यक्ष**
02	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03	डॉ. विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
04.	डा0 आनन्द प्रकाश सिंह,संकायाध्यक्ष कला संकाय,एस0जी0आर0पी0जी0कालेज,डोभी,जौनपुर	सदस्य
05.	डॉ. समर बहादुर सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
06.	डा0 अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
07.	प्रो0 अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानवकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
08.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09	डा0 सविता भारद्वाज, प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
10.	प्रो. अविनाश डी0 पाथर्डीकर संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ0 मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
12.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
13	श्री राहुल सिंह, महामंत्री शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
14.	वित्त अधिकारी, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
15.	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
16.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है—

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

(क) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जौनपुर के पत्र दिनांक 21.09.2021 के बिन्दु संख्या–02, 03 एवं 06 पर विचार।

निर्णय– कार्यसूची संख्या–01 (क) के बिन्दु संख्या 02 एवं 03 पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार सैद्धान्तिक/लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु अंक दिये जाने के निर्णय में परिवर्तन किए जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

कार्यसूची संख्या–01 (क) बिन्दु संख्या–06 पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कृपांक देने की व्यवस्था पूर्व से विद्यमान है, उसी व्यवस्थानुसार कृपांक देकर परीक्षाफल पूर्ण कराया जाय।

कार्यसूची संख्या–01

(ख) औसत अंक के आगणन में मौखिकी के अंकों को सम्मिलित करने पर विचार।

निर्णय– स्नातक/परास्नातक के जिन पाठ्यक्रमों/प्रश्नपत्रों में मौखिकी परीक्षा का प्राविधान है, उनके औसत के आगणन हेतु मौखिकी के अंकों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार परिणाम घोषित किया जाय तथा जो परिणाम घोषित हो चुके हैं उन्हें उक्तानुसार संशोधित किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मदों पर विचार।

1. मुख्य परीक्षा सत्र 2020–21 के कतिपय छात्रों द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में अंकित कैच नं0 से भिन्न कैच नं0 के प्रश्नपत्र की परीक्षा दी गयी। डाटा की भिन्नता के कारण उनके परिणाम INC एवं WH रहा। छात्रहित में ऐसे छात्रों का परीक्षाफल उनके द्वारा दिए गए कैच नं0 के प्रश्नपत्र के अनुसार घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया, पर कार्योपरान्त सहमति पर विचार।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णय पर सहमति प्रदान की गई।

2. मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 14.07.2021 में वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा में सामूहिक नकल/अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरण से संबंधित यू0एफ0एम0 समिति द्वारा लिये गये निर्णय से संज्ञानित होते हुए उसके अनुमोदन पर विचार।

समिति द्वारा लिए गए निर्णय से संज्ञानित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. एम0ए0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धान्तिक प्रश्नों के एग्रीगेट का 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एम0ए0 प्रथम वर्ष 2020 के छात्रों का परीक्षाफल इस वर्ष 2021 में सम्पन्न करायी गयी, एम0ए0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों के अंकों के औसत के आधार पर तैयार किया जाना है, अतएव उक्त हेतु प्रश्नपत्र का उत्तीर्ण अंक निर्धारित किये जाने पर विचार।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण में सर्वसम्मति से औसत निर्धारण हेतु प्रश्नपत्र के पूर्णांक का 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आनलाइन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

25/9/21

कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक
सचिव

25/09/2021
प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक **दिनांक 07.10.2021** को **01.00 बजे** (अपरान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष मे आनलाइन/आफलाइन सम्पन्न हुई। जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

01	प्रो. निर्मला एस० मौर्य, कुलपति।	अध्यक्ष
02	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी०डी० कालेज, जौनपुर	सदस्य
03	डॉ. विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
04.	डा० आनन्द प्रकाश सिंह,संकायाध्यक्ष कला संकाय,एस०जी०आर०पी०जी०कालेज,डोभी,जौनपुर	सदस्य
05.	डॉ. समर बहादुर सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी०डी० पी०जी० कालेज, जौनपुर	सदस्य
06.	डा० अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
07.	प्रो० अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानवकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
08.	प्रो० रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09	डा० सविता भारद्वाज, प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
10.	प्रो. अविनाश डी० पाथर्डीकर संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ० मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
12.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
13	श्री राहुल सिंह, महामंत्री शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
14.	वित्त अधिकारी, वी.बी.एस०पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
15.	कुलसचिव, वी.बी.एस०पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
16.	परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है:-

सर्वप्रथम मा० कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

(क) स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के जिन विषयों में मौखिकी परीक्षा का प्रावधान है, उनमें मौखिकी के अंकों को औसत के आगणन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। द्वितीय वर्ष के उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने का निर्णय लिया है। प्रथम वर्ष की परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है तथा प्रथम वर्ष के जिन विषयों में मौखिकी परीक्षा का प्रावधान है उनका परिणाम तैयार किए जाने हेतु मौखिकी परीक्षा के अंकों का निर्धारण किये जाने एवं परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– (i) स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों के अंकों के औसत के आधार पर स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों में अंक प्रदन किया जाय तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के मौखिकी के अंकों को ही स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के मौखिकी का अंक माना जाय।

(ii) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, उन विषयों में नियमावली–2021 की व्यवस्थानुसार प्रायोगिक अंक प्रदान किया जाय।

(iii) नियमावली–2021 में प्रायोगिक अंक प्रदान किए जाने संबंधी व्यवस्था स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों में लागू होगी। नियमावली के बिन्दु–3(14) में लिए गए निर्णय के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के आधार पर स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष 2020 के परिणाम हेतु आगणित अंक प्रतिशत के अनुसार प्रथम वर्ष में प्रायोगिक अंक प्रदान किया जाय।

ख. स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष का परिणाम द्वितीय वर्ष के उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों के अंकों के औसत के आधार पर तैयार किया जाना है। जो छात्र द्वितीय वर्ष की सम्पन्न करायी गयी परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हैं, उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तैयार किए जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्रों का केवल द्वितीय वर्ष का परिणाम तैयार किया जाय। द्वितीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षा में यदि ऐसे छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार उनके दोनों वर्षो का परिणाम तैयार कर दिया जाय।

ग. परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के परिणाम तैयार किये जाने हेतु संकायाध्यक्षों/निदेशकों की बैठक दिनांक 05.10.2021 में लिए गये निर्णयों पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचारोपरान्त परिसर के पाठ्यक्रमों का परिणाम तैयार किए जाने हेतु संकायाध्यक्षों द्वारा लिए गए निर्णय से सहमति व्यक्त की गयी। सेशनल अंकों के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों पर भी लागू होंगे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

1. प्रयूक्त उत्तर पुस्तिकाओं एवं परीक्षा आवेदन फार्म निष्प्रयोज्य किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं को छः माह तक संरक्षित रखने के तदोपरान्त् निष्प्रयोज्य करने की व्यवस्था पूर्व से विद्यमान है। प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की भॉति ही परीक्षा आवेदन फार्म भी छः माह तक सुरक्षित/संरक्षित रखने के बाद नियमानुसार निष्प्रयोज्य किये जाने का निर्णय लिया ।

2. स्नातक स्तर पर प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु उत्तीर्णांक प्रतिशत के सम्बन्ध में विचार।

वर्तमान वर्ष 2021 में कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण परिणाम तैयार किये जाने हेतु प्रश्न पत्र का उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आनलाइन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक
सचिव

08/10/2021
प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति / अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक **दिनांक 30.10.2021** को **12.00 बजे** (मध्यान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में आनलाइन/आफलाइन सम्पन्न हुई। जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:–

01.	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	अध्यक्ष
02.	डॉ. विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
03.	डॉ. समर बहादुर सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
04.	डा0 अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
05.	प्रो0 अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
06.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
07.	डॉ0 सविता भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
08.	डॉ0 मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
09.	डा0रविप्रकाश, आसि0 प्रो0 इंजीनियरिंग संस्थान, वी.बी.एस.पी.यू. जौनपुर,	सदस्य
10.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
12.	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
13.	श्री व्यास नारायण सिंह, परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

(क) बी0एड0 द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा आयोजित कराने हेतु उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसियेशन (टी0) जनपद, जौनपुर, आजमगढ़ एवं गाजीपुर के पदाधिकारियों के सामूहिक हस्ताक्षरयुक्त प्रत्यावेदन दिनांक 25.10.2021 पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व में लिए गये निर्णयानुसार बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम पूर्ण किया जाय।

(ख) विश्वविद्यालय परिसर मे संचालित पाठ्यक्रमों के द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्टम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम तैयार करने के संबंध में परिसर के संकायाध्यक्षों / निदेशकों की बैठक दिनांक 20.10.2021 में की गयी संस्तुतियों पर कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय– परिसर के संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 20.10.2021 में की गयी संस्तुतियों पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ग) विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम घोषणा समिति की बैठक दिनांक 26.10.2021 में व्यापक छात्रहित में बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष सत्र 2019–20 के संशोधित घोषित परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, पर कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम घोषणा समिति की बैठक दिनांक 26.10.2021 में व्यापक छात्रहित में बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष सत्र 2019–20 का घोषित संशोधित परीक्षा परिणाम की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

1. समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षा में शासन के निर्देशानुसार जिन प्रश्नपत्रों की परीक्षा सम्पन्न हुई थी, उनके अंक सुरक्षित कर अन्य प्रश्नपत्रों के अंक द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा 2021 के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों के औसत के आधार पर परीक्षाफल पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया था। कुछ छात्र ऐसे हैं जो पिछले वर्ष 2020 में सम्पन्न हुई प्रश्नपत्रों की परीक्षा में अनुपस्थित / अनुत्तीर्ण है। उनके परीक्षाफल को वर्ष 2021 के द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों के औसत के आधार पर पूर्ण करने पर विचार।

सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि द्वितीय वर्ष के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों के औसत अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष के अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्रों में अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण किया जाय।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के दृष्टिगत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों का पंजीकरण/परीक्षाफार्म आनलाईन भरने की कार्यवाही किये जाने पर विचार।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021–22 का पंजीकरण/परीक्षाफार्म आनलाईन भरने की अग्रेत्तर कार्यवाही करने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी। चूँकि छात्रों का विवरण ABACUS-UP में भी अपलोड करना अनिवार्य है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसलिए परीक्षाफार्म भरे जाने से पूर्व हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अंकपत्रों के आधार पर प्रवेशित छात्रों का व्यक्तिगत विवरण का पंजीकरण कराया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आनलाइन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई.।

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव

01/11/2021
प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक **दिनांक 04.01.2022** को **12.00 बजे** (मध्यान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में आनलाइन/आफलाइन सम्पन्न हुई। जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:–

01.	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	**अध्यक्ष**
02.	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03.	डॉ0 आनन्द सिंह, भूगोल विभाग, संकायाध्यक्ष कला संकाय श्री गणेश राय पी0जी0कालेज, डोभी, जौनपुर	सदस्य
04	डॉ. विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
05.	डॉ. समर बहादुर सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
06.	डा0 अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
07.	प्रो0 अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
08.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09.	प्रो.बी0बी0 तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
10.	प्रो. अविनाश डी0 पाथर्डीकर,संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ0 सविता भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
12.	डॉ0 मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
13.	डा0रविप्रकाश, आसि0 प्रो0 इंजीनियरिंग संस्थान, वी.बी.एस.पी.यू. जौनपुर,	सदस्य
14.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
15.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
16.	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
17.	परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्राविधानों के कम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2021–22) परीक्षा के सन्दर्भ में प्रश्नपत्रों के प्रारुप एवं परीक्षा व्यवस्था सम्बन्धी सामान्य दिशा–निर्देशों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– समिति के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्राविधानों के कम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2021–22) परीक्षा के सन्दर्भ में प्रश्नपत्रों के प्रारुप एवं परीक्षा व्यवस्था सम्बन्धी तैयार सामान्य दिशा–निर्देशों को रखा गया जिसे समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचारः–

1. रामनवल सिंह स्मारक पी0जी0कालेज, चिरैयाकोट, मऊ का छात्र रविप्रकाश अनुक्रमांक–18820017859 एम0एड0 प्रथम सेमेस्टर सत्र 2017–18 में अनुत्तीर्ण होने पर भी एजेंसी द्वारा त्रुटि पूर्ण फेल/प्रमोटेड का अंक पत्र निर्गत किया गया जिसके आधार पर छात्र आगामी सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित हो उत्तीर्ण होने पर भी प्रथम सेमेस्टर अनुत्तीर्ण होने के कारण परीक्षाफल अपूर्ण है के प्रकरण पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि छात्र रविप्रकाश को प्रथम सेमेस्टर अन्य प्रश्नपत्रों के अंक के आधार पर औसत अंक प्रदान कर प्रथम सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित किया जाय। समिति ने यह निर्णय लिया कि विशेष परिस्थिति में लिए गये इस निर्णय को भविष्य में दृष्टान्त न माना जाय।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्राविधानों के अनुसार प्रश्नपत्र तैयार करने के पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एकल भाषा प्रश्नपत्र का पारिश्रमिक रु0 4000/– एवं द्विभाषीय प्रश्नपत्र का पारिश्रमिक रु0 5000/– किया जाय तथा इसे आगामी वित्त समिति मे रखकर पारित करा लिया जाय।

3. स्नातक कक्षा (बी0ए0,बी0एस–सी0 एवं बी0काम0) में उत्तीर्णांक निर्धारण पर विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्नातक कक्षा में प्रत्येक विषयों में उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत रखा जाय तथा प्राप्तांक का सम्पूर्ण योग (एग्रीगेट) 36 प्रतिशत हो तथा एक विषय में 20 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर उत्तीर्ण घोषित किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आनलाइन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

05/01/2022

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव

प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति/अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक **दिनांक 08.02.2022** को **12.30 बजे** (अपरान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में आनलाइन/आफलाइन सम्पन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

01	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	**अध्यक्ष**
02.	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03.	डॉ0 आनन्द सिंह, भूगोल विभाग, संकायाध्यक्ष कला संकाय श्री गणेश राय पी0जी0कालेज, डोभी, जौनपुर	सदस्य
04	डॉ. विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
05.	डॉ. समर बहादुर सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
06.	डा0 अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
07.	प्रो0 अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
08.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09.	प्रो.बी0बी0 तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
10.	प्रो. अविनाश डी0 पाथर्डीकर,संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ0 सविता भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
12.	डॉ0 मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
13.	डा0रविप्रकाश, आसि0 प्रो0 इंजीनियरिंग संस्थान, वी.बी.एस.पी.यू. जौनपुर,	सदस्य
14.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
15.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
16.	वित्त अधिकारी, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
17.	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
18.	परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

(क) वेदान्ता स्कूल आफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साईंस लक्षिरामपुर, आजमगढ़ की बी0एस–सी0 नर्सिंग तथा सैनिक कालेज आफ नर्सिंग ताजोपुर, मऊ का पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 नर्सिंग शैक्षणिक सत्र 2019–20 की परीक्षा सम्पन्न कराने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा उक्त महाविद्यालयों का शैक्षणिक सत्र 2019–20 प्रथम वर्ष के छात्रों का परीक्षा फार्म आनलाईन भरवाने एवं परीक्षा सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया।

(ख) शिव महाविद्यालय, हरिहरपुर, डोभी, जौनपुर की परीक्षा वर्ष 2019 के विषयों/प्रश्नपत्रों के मूल पी–06 एवं पी–07 तथा बी0ए0 द्वितीय वर्ष 2017 भूगोल प्रायोगिक परीक्षा के मूल पी–06 एवं पी–07 में प्राप्त शिकायतों की जॉच अधिकारी (प्रो0 आलोक कुमार सिंह) द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या पर विचार।

निर्णय– शिव महाविद्यालय, हरिहरपुर, डोभी, जौनपुर के प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मुख्य परीक्षा वर्ष 2019 से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल घोषित किया जाय। संबंधित प्रश्नपत्र की विचाराधीन उत्तर पुस्तिकाओं में प्राप्त सर्वोच्च अंक को सभी परीक्षार्थियों को प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण किया जाय। बी0ए0 द्वितीय वर्ष 2017 के छात्र शुभम मौर्य पुत्र श्री आशुतोष मौर्य अनुक्रमांक 16707104471 को भूगोल विषय के प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित मानते हुए परीक्षाफल पूर्ण किया जाय। चूँकि अनुक्रमांक 16707104470 का छात्र भूगोल विषय के

सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में अनुपस्थित है एवं उसके प्रायोगिक में अंक दर्ज है जबकि छात्र शुभम मौर्य अनुक्रमांक 16707104471 सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में उपस्थित है और अंक भी दर्ज है एवं प्रायोगिक में अनुपस्थित दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में छात्र शुभम मौर्य का कथन कि 16707104471 का अंक 16707104470 पर दर्ज हो गया है, सही प्रतीत होता है। अतः 16707104470 का प्रायोगिक अंक 16707104471 पर दर्ज कर परिणाम तैयार किया जाय। जॉच अधिकारी प्रो0 आलोक कुमार सिंह की जॉच आख्या के आलोक में शिव महाविद्यालय, हरिहरपुर, डोभी, जौनपुर पर रू0 2.00 लाख अर्थदण्ड के साथ ही अगले 05 वर्षों तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय। अर्थदण्ड न जमा करने की दशा में सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।

(ग) श्री रामबाबू सिंह, सुपरवाईजर, ओमनी नेट टेक्नोलाजी के पत्र संख्या–बी0बी0एस0पी0/30/ए/01/2020 दिनांक 12.01.2022 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रश्नपत्रवार प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर घोषित परीक्षाफल के सम्बन्ध में 02 बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मत से समिति द्वारा निर्णय लिया गया

(1) स्नातक प्रथम वर्ष 2020 में कोविड–19 के कारण शासन के निर्देशानुसार छात्रों को परीक्षा फार्म आनलाईन भराकर प्रोन्नत किया गया था। अतः स्नातक द्वितीय वर्ष 2021 में छात्र जिन विषयों को परीक्षा फार्म में भरकर परीक्षा में सम्मिलित हुए, उन्हीं को आधार मानकर प्रथम वर्ष का विषय परिवर्तित कर परीक्षाफल पूर्ण किया जाय।

(2) स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष 2021 के सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर घोषित स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष 2020 के जो छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं उन्हें पुनः मुख्य परीक्षा 2022 में बैंक पेपर/भूतपूर्व छात्र के रुप में एक अवसर प्रदान किया जाय। कोविड–19 एवं छात्रहित में यह निर्णय केवल इसी वर्ष प्रभावी होगा तथा भविष्य में इसे दृष्टान्त न बनाया जाय।

(घ) मुख्य परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020–21 में जनपदीय उड़ाकादल द्वारा 31 परीक्षा केन्द्रों को सामूहिक नकल कराने हेतु चिन्हित कर अपनी आख्या विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की गयी जिसपर यू0एफ0एम0 समिति की बैठक दिनांक 25.11.2021 एवं 26.11.2021 द्वारा तीन परीक्षा केन्द्रों को सामूहिक नकल कराने का दोषी पाते हुए डिबार करने की संस्तुति की गयी पर विचार।

निर्णय– यू0एफ0एम0 समिति द्वारा सामूहिक नकल हेतु दोषी पाये निम्न तीन महाविद्यालयों को आगामी तीन वर्षो के लिए परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. उदयराज सिंह रामप्यारी महाविद्यालय, कौड़िया, आजमगढ।
2. श्री दुर्गा जी गर्ल्स कालेज, सैदा, आजमगढ़।
3. स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय, हरैया, आजमगढ।

(च) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मड़ियाहूँ पी0जी0 कालेज, मड़ियाहूँ, जौनपुर में संचालित एक वर्षीय पाठ्यक्रम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की सत्र 2019–20 एवं 2020–21 की मुख्य परीक्षा सम्पन्न कराने पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा मड़ियाहूँ पी0जी0 कालेज, मड़ियाहूँ, जौनपुर में संचालित पाठ्यक्रम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की सत्र 2019–20 एवं 2020–21 की मुख्य परीक्षा के साथ विगत परीक्षा के अनुत्तीर्ण/श्रेणीसुधार से संबंधित छात्रों का परीक्षाफार्म आनलाईन भरवाकर परीक्षा सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया।

(छ) बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष 2021 श्रीमती इंदिरा गांधी पी0जी0 कालेज, डुमरी मर्यादपुर, मऊ के पॉच छात्रों का सूक्ष्म जीव विज्ञान के तृतीय प्रश्नपत्र उत्तर पुस्तिका एजेंन्सी कोडिंग केन्द्र पर न मिलने के कारण अपूर्ण था, जिसे पी0–6 एवं पी–7 के आधार पर परीक्षाफल पूर्ण किया गया की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि समान प्रकरणों में पी0–6, पी0–7 एवं यू0एफ0एम0 की सकारात्मक रिपोर्ट पर अन्य प्रश्नपत्रों के औसत अंकों के आधार पर परिणाम तैयार कराया जाय।

(ज) एक ही परीक्षार्थी की दो–दो उत्तर पुस्तिकायें मिलने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरण को यू0एफ0एम0 समिति को संदर्भित किया जाय तथा प्राप्त आख्या/ रिपोर्ट विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी बैठक में रखा जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचारः–

1. संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय के पत्र दिनांक 07.02.2022 द्वारा प्रेषित बी0एस–सी0 कृषि प्रथम सेमेस्टर से संबंधित आख्या पर विचार।

निर्णय–

(1) समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि कोई छात्र मिड टर्म परीक्षा में अनुपस्थित है तथा महाविद्यालय द्वारा मिड टर्म का अंक विश्वविद्यालय में जमा कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालय द्वारा अनुपस्थित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर परीक्षा नियंत्रक से अनुमति प्राप्त कर अनुपस्थित छात्रों का मिड टर्म परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।

(2) परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र की मिड टर्म, प्रायोगिक और सैद्धान्तिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य तथा कृषि संकाय (स्नातक / स्नातकोत्तर) की परीक्षा व उत्तीर्णांक के नियमों में और स्पष्टता संबंधी प्रकरण को अध्ययन परिषद को संदर्भित किया जाय। (कार्यवाही शैक्षणिक विभाग)

2. टी0डी0पी0जी0 कालेज, जौनपुर बी0एस–सी0 कृषि की छात्रा सुप्रिया निषाद पुत्री श्री अरविन्द कुमार निषाद प्रथम सेमेस्टर 2019–20 में उत्तीर्ण हैं तथा कोविड–19 के कारण द्वितीय सेमेस्टर का फार्म नहीं भर सकी, सूच्य हो कि द्वितीय सेमेस्टर के उन सभी छात्रों को जिन्होंने परीक्षा फार्म आनलाईन भरा है उन्हें कोविड–19 के कारण शासन के दिशा निर्देश के अनुपालन में प्रोन्नत किया गया है। छात्रा तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण है तथा द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा फार्म आनलाईन भरवाने हेतु अनुरोध की है।

निर्णय– उक्त प्रकरण को समिति के समक्ष रखा गया जिस पर समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त सत्र के छात्रों को परीक्षा फार्म भराकर प्रोन्नत किया गया है अतः कोविड–19 एवं छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा फार्म भराकर परीक्षाफल पूर्ण कर दिया जाय। इससे आच्छादित अन्य छात्रों को भी इसका लाभ दिया जाय, उक्त निर्णय इसी वर्ष के लिए प्रभावी होगा।

3. कालिन्दी सिंह महाविद्यालय, ईशोपुर माहपुर, गाजीपुर के प्रबन्धक का पत्र दिनांक 25.01.2022 समिति के समक्ष रखा गया जिसमें बी0एड0 सत्र 2019–21 में जितेन्द्र पाल और 25 अन्य के सम्बन्ध में याचिका संख्या 9850/2021 दिनांक 10.08.2021 एवं विश्वविद्यालय पत्रांक–1409/पूविवि/परीक्षा/2021 दिनांक 29.10.2021 के अनुपलान में सम्बन्धित

छात्रों का फीस रसीद एवं विश्वविद्यालय का परीक्षा शुल्क आदि जमा करने के उपरान्त छात्रों का बी0एड0 द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा फार्म आनलाईन भराकर नियमानुसार प्रोन्नत करते हुए तृतीय सेमेस्टर का फार्म भरवानें का अनुरोध किया गया है।

निर्णय– समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित छात्रों का परीक्षा शुल्क तथा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड रु0 50000/– जमा करने के उपरान्त छात्रों का द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा फार्म भराकर प्रोन्नत करते हुए तृतीय सेमेस्टर का फार्म भरने का अवसर प्रदान किया जाय। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि इस तरह के प्रकरण से आच्छादित अन्य छात्र जो परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि में आते हों उन्हें भी इसका लाभ दिया जाय। यह निर्णय कोविड–19 के कारण छात्रहित में लिया गया है, जो इसी वर्ष ही लागू होगा, भविष्य में इसे दृष्टान्त न बनाया जाय।

4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधानों के क्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021–22 में वोकेशनल के रुप में संचालित विषयों जिसे संबंधित महाविद्यालयों द्वारा लिखित/मेल द्वारा अवगत कराया गया उसे संबंधित महाविद्यालयों को वोकेशनल विषय के रुप में आवंटित कर दिया गया है। उक्त प्रकरण को समिति के संज्ञानार्थ रखा गया।

निर्णय– समिति उक्त से संज्ञानित हुई।

5. स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु पर्यावरण एवं राष्ट्रगौरव में अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण छात्रों को पुनः अवसर प्रदान करने पर विचार।

निर्णय– समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो छात्र स्नातक तृतीय वर्ष में सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं, परन्तु पर्यावरण एवं राष्ट्रगौरव में अनुपस्थित / अनुत्तीर्ण होने के कारण परीक्षाफल अपूर्ण है, ऐसे छात्र जो स्नातक उत्तीर्ण होने की अवधि में आते है उन्हें बैंकपेपर / श्रेणी सुधार हेतु निर्धारित (रू0 600 / –)परीक्षा शुल्क जमा कराकर मुख्य परीक्षा के साथ बैठने का अवसर प्रदान किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आनलाइन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

08/02/2022

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक / सचिव

प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति / अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक **दिनांक 04.12.2021** को **11.30 बजे** (पूर्वान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष मे आनलाइन/आफलाइन सम्पन्न हुई। जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे–

01	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	**अध्यक्ष**
02.	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03.	डॉ0 आनन्द सिंह, भूगोल विभाग, संकायाध्यक्ष कला संकाय श्री गणेश राय पी0जी0कालेज, डोभी, जौनपुर	सदस्य
04	डॉ. विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
05.	डॉ. समर बहादुर सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
06.	डा0 अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ।	सदस्य
07.	प्रो0 अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
08.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09.	प्रो.बी0बी0 तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
10.	प्रो. अविनाश डी0 पाथर्डीकर,संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ0 सविता भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
12.	डॉ0 मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
13.	डा0रविप्रकाश, आसि0 प्रो0 इंजीनियरिंग संस्थान, वी.बी.एस.पी.यू. जौनपुर,	सदस्य
14.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
15.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
16.	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
17.	परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

(क) 25वें दीक्षान्त समारोह में सत्र 2019–20 की परीक्षा में प्रथम प्रयास से स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं जिनकी संख्या क्रमशः 01 एवं 05 तथा सत्र 2020–21 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं जिनकी संख्या क्रमशः 18 एवं 47 है, सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– समिति के समक्ष विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा में जिसमें लेटरल इंट्री के अभ्यर्थियों को भी गोल्ड मेडल हेतु विचारण क्षेत्र में मेडल एडवाजरी कमेटी की संस्तुति के अनुसार सम्मिलित किया गया है, पर सम्यक विचारोपरान्त प्रथम प्रयास से स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं सत्र 2019–20 के क्रमशः 01 एवं 05 तथा सत्र 2020–21 की परीक्षा में स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं क्रमशः 18 एवं 47 की सूची पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) 25वें दीक्षान्त समारोह में दिनांक 03.12.2021 तक पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने वाले 96 शोधार्थियों एवं 01 डी.एससी. उपाधि प्रदान करने की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– समिति के समक्ष विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में दिनांक 03.12.2021 तक पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने वाले 96 शोधार्थियों एवं 01 डी.एससी. उपाधि प्राप्तकर्ता की सूची प्रस्तुत की गयी, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आनलाइन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)	06/12/2021 प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
परीक्षा नियंत्रक / सचिव	कुलपति / अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.08.2022 को 03.00 बजे (अपरान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में आफलाईन/आनलाईन सम्पन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:—

	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	अध्यक्ष
01	प्रो0 ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
02	डॉ. विनय कुमार सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी0डी0 पी0जी0 कालेज,जौनपुर	सदस्य
03	डा0 राजेश कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर।	सदस्य
04	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
05	प्रो0 अविनाश पार्थडीकर, संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
06	डा0 विजय कुमार राय, प्राचार्य, स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
07	प्रो0रवि प्रकाश, आसि0 प्रोफेसर, इंजीनियरिंग संस्थान,, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
08	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09	डा0 राहुल सिंह, महामंत्री शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
10	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू., जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
11	वित्त अधिकारी, वी.बी.एस0पी.यू., जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
12	परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव
13		

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है—

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

क. परीक्षा आवेदन फार्म में भरे गये विषयों से इतर विषयों की परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों के प्रकरण पर विचार।

निर्णय– जिन परीक्षा केन्द्रो पर परीक्षा आवेदन फार्म भरे गये विषयों से इतर विषयों की परीक्षा में छात्र सम्मिलित हुए है उनके केन्द्राध्यक्षों पर रु0 1000/– प्रति छात्र की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया। अर्थदण्ड जमा होने के उपरान्त ही विषयों में संशोधन/परिवर्तन किया जायेगा।

ख. परीक्षा आवेदन फार्म भरे/सत्यापित किये बिना एवं बगैर प्रवेश पत्र निर्गत हुए परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों के प्रकरण पर विचार।

निर्णय– जिन परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आवेदन फार्म भरे/सत्यापित किये बिना एवं बगैर प्रवेश पत्र निर्गत हुए छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए है, उनके केन्द्राध्यक्षों पर रु0 1000/– प्रति छात्र की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा ऐसे छात्रों के प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

ग. मुख्य परीक्षा वर्ष 2021 में एक ही कक्षा/विषय/प्रश्नपत्र में एक अनुक्रमांक की दो उत्तर पुस्तिका पाये जाने की स्थिति में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 29.06.2022 के कार्यसूची संख्या–05 द्वारा रु0 2,00,000/– (रु0 दो लाख मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए तीन वर्षों के लिए निम्न आठ महाविद्यालयों को डिबार किया गयाः–

1. बी0एस0एस0 महाविद्यालय, लाडनपुर, कोपागंज, मऊ।
2. मर्यादा पुरुषोत्तम स्नातकोंत्तर महाविद्यालय, भुड़सुरी, रतनपुरा,मऊ।
3. रामसुन्दर पी0जी0 कालेज, गजियापुर, मऊ

4. डा0 रामनरेश पी0जी0 कालेज,चंगईपुर, जीयनपुर, आजमगढ़।
5. बाबा इन्द्रदेव गर्ल्स एजुकेशन इंस्टीच्यूट महेशपुरकलॉं, गाजीपुर।
6. कौशिक महाविद्यालय, सुरवत, गाजीपुर ।
7. विन्ध्यांचल जी गर्ल्स कालेज, करकापुर, अलवलपुर, गाजीपुर।
8. रहमानियाँ डिग्री कालेज, रोपनपुर, हिरामपुर, मऊ।

निर्णय– सम्यक् विचारोपरान्त उक्त महाविद्यालयों पर रु0 2,00,000/– (रु0 दो लाख मात्र) का अधिरोपित अर्थदण्ड यथावत रखे जाने एवं उन्हें तीन वर्ष के डिबार से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आफलाईन/आनलाइन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव

प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति/अध्यक्ष

प० नि० का०
दिनांक 04-7-22 क्रमांक 163
पत्रांक 9507 ह० [illegible]

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 29.06.2022 को 12.00 बजे (मध्यान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:–

01.	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	अध्यक्ष
02.	प्रो0 ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03.	डा0राजेश कुमार सिंह,सैन्य विज्ञान विभाग, संकायाध्यक्ष कला संकाय, श्री राष्ट्रीय पी0जी0कालेज, जमुहाई, जौनपुर।	सदस्य
04.	डॉ. विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
05.	डॉ. विनय कुमार सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
06.	डा0 राजेश कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर।	सदस्य
07.	प्रो0 बी0बी0 तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी0और टेक्नो संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
08.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09.	डा0.रवि प्रकाश, आसि0 प्रोफेसर, इंजीनियरिंग संस्थान,, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
10.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
12.	वित्त अधिकारी, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
13.	परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या—01

बी0एड0 सत्र 2021–23 के द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षाफार्म की हार्डकापी न जमा कराने एवं केवल नामिनल रोल जमा करने पर विचार।

निर्णय— सम्यक् विचारोपरान्त बी0एड0 सत्र 2021–23 के द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षाफार्म की हार्डकापी न जमा कराने, तथा विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क जमा सत्यापन कराते समय केवल नामिनल रोल जमा कराये जाने एवं महाविद्यालयों द्वारा परीक्षाफार्म की हार्डकापी परीक्षाफल घोषणा के दो माह बाद तक सुरक्षित रखवाने का निर्णय लिया गया।

कार्यसूची संख्या—02

रुबी सिंह पुत्री श्री सत्यप्रकाश सिंह, मड़ियाहूँ पी0जी0 कालेज, मड़ियाहूँ, जौनपुर एम0ए0 अन्तिम वर्ष 2009 अनुक्रमांक 274960 विषय प्राचीन इतिहास प्रथम प्रश्नपत्र (मुख्य परीक्षा) का अंक अंकित न होने के कारण परीक्षाफल अपूर्ण है। परीक्षाफल पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय रुबी सिंह पुत्री श्री सत्यप्रकाश सिंह, मड़ियाहूँ पी0जी0 कालेज, मड़ियाहूँ, जौनपुर एम0ए0 अन्तिम वर्ष 2009 अनुक्रमांक 274960 विषय प्राचीन इतिहास प्रथम प्रश्नपत्र (मुख्य परीक्षा) का अंक अंकित न होने के कारण परीक्षाफल अपूर्ण हैं। प्रकरण कालातीत हो जाने के कारण विचार नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यसूची संख्या—03

अभिलेख कक्ष से प्राप्त 24 छात्र/छात्राओं का अंक संशोधन करने हेतु गठित उपसमिति की संस्तुति पर परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय— सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समस्त प्रकरण आगामी परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यसूची संख्या—04

सुप्रिया निषाद पुत्री श्री अरविन्द कुमार निषाद, बी0एस–सी0(कृषि) सत्र 2019–20 में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है, किन्तु कोविड–19 के कारण द्वितीय सेमेस्टर का फार्म नहीं भर पायी तथा तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है। उक्त छात्रा का द्वितीय सेमेस्टर का फार्म पूरित कर प्रमोट किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– सुप्रिया निषाद पुत्री श्री अरविन्द कुमार निषाद, बी0एस–सी0(कृषि) सत्र 2019–20 में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है, किन्तु कोविड–19 के कारण द्वितीय सेमेस्टर का फार्म नहीं भर पाने तथा तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रकरण में समिति द्वारा नियमानुसार न होने के कारण सर्वसम्मति से अस्वीकृति प्रदान की गयी।

कार्यसूची संख्या—05

मुख्य परीक्षा 2020–21 में विश्वविद्यालय में एक ही बण्डल में एक ही अनुक्रमांक की दो उत्तर पुस्तिका पाये जाने के संदर्भ में दी गयी आख्या में छः महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने की यू0एफ0एम0 समिति की संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय– मुख्य परीक्षा 2020–21 में विश्वविद्यालय में छः महाविद्यालयों के एक ही बण्डल में एक ही अनुक्रमांक की दो उत्तर पुस्तिकाएँ पाये जाने सम्बन्धी प्रकरण में यू0एफ0एम0 समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से ऐसे महाविद्यालयों को तीन वर्ष परीक्षा केन्द्र हेतु डिबार किये जाने एवं रु0 2.00 लाख (रु0 दो लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाये जाये, यदि महाविद्यालयों द्वारा अर्थदण्ड नही जमा किया जाता है तो उन्हें पाँच वर्ष के लिए डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया, इसकी सूचना कुलसचिव, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ को भी प्रेषित की जाय। डिबार महाविद्यालय निम्नवत् हैः–

1. डी0ए0एस0 महाविद्यालय, लाडनपुर, कोपागंज, मऊ।
2. मर्यादा पुरुषोत्तम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भुड़सुरी, रतनपुरा, मऊ।
3. रामसुन्दर पाण्डेय पी0जी0कालेज, गजियापुर, मऊ।
4. डा0 रामनरेश पी0जी0 कालेज, चंगईपुर, जीयनपुर, आजमगढ़।
5. बाबा इन्द्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंरटी0 महेशपर कला, गाजीपुर।
6. कौशिक महाविद्यालय, सुरवत, जौनपुर।

कार्यसूची संख्या–06

सेमेस्टर एवं वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित परीक्षाओं के मिडटर्म/प्रायोगिक/मौखिकी के अंक आनलाईन किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– सम्यक् विचारोपरान्त सेमेस्टर एवं वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित परीक्षाओं के मिडटर्म/प्रायोगिक/मौखिकी के अंक आनलाईन प्राप्त किये जाने एवं आनलाईन प्रेषित अंकपर्ण की सत्यापित कापी महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराने का सर्वसम्मति निर्णय लिया गया।

कार्यसूची संख्या–07

बी0ए0 भाग–तीन 2006 सतीश चन्द्र कालेज, बलिया में अजय कुमार पुत्र श्री मक्खन प्रसाद का नाम सारणीयन पंजिका पर नहीं है जबकि जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री केशव प्रसाद का नाम दो अनुक्रमांकों क्रमशः 227867 एवं 227879 पर अंकित है, अजय कुमार पुत्र श्री मक्खन प्रसाद का परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बी0ए0 भाग–तीन 2006 सतीश चन्द्र कालेज, बलिया में अजय कुमार पुत्र श्री मक्खन प्रसाद का नाम सारणीयन पंजिका पर नहीं है जबकि जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री केशव प्रसाद का नाम दो अनुक्रमांकों क्रमशः 227867 एवं 227879 पर अंकित है, को

जॉचोपरान्त सारणीयन पंजिका पर संशोधन करते हुए अंकपत्र निर्गत किये जाने हेतु समिति ने अपनी सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की।

कार्यसूची संख्या–08

इसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्थान से एक ही सत्र में अर्जित की गयी एक से अधिक उपाधि को निरस्त करने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार। विवरण निम्न प्रकार से है–

1 कुमारी विनीता के आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2019 जिसमें उनके द्वारा एक ही वर्ष 2016 राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर से एम0ए0 गृहविज्ञान एवं बी0टी0सी0 उपाधि अर्जित की गयी है। छात्रा द्वारा एम0ए0 का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्रा के अनुरोध पर विचार।

2 शीतांशू दूबे के आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2020 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी बी0ए0 2001–04 गोकुलनाथ दूबे महाविद्यालय, ढेमा,जौनपुर एवं बी0टेक वर्ष 2002 से 2006 तक पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है। प्राप्त उपाधि में से बी0टेक का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

3 अतुल कुमार यादव के आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2019 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी बी0टेक वर्ष 2011 से 2015 पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से बी0ए0 (शास्त्रीय परीक्षा) वर्ष 2013–15 में उत्तीर्ण की है। उसमें से बी0टेक का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

4 मिथिलेश कुमार यादव के आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2019 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी बी0एड0 वर्ष 2003 श्री नरहेजी महाविद्यालय, नरही रसड़ा, बलिया एवं एल0एल0बी0 वर्ष 2003 में तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर से प्राप्त की है। उसमें से बी0एड0 का अंकपत्र (परीक्षाफल) एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

5 गनेश कुमार तिवारी के आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2021 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र अर्जित की गयी स्नातक (कला संकाय) वर्ष 2008–10 से उदय प्रताप महाविद्यालय, वाराणसी एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से बी0ए0 (शास्त्रीय परीक्षा) मे से स्नातक (कला संकाय) वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से प्राप्त है का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

6 अरविन्द यादव, के आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2021 जिसमें स्नातक वर्ष 2011 में वीर लोरिक सुघर डिग्री कालेज, बिगह चरौवा, बलिया एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम राजकीय पालिटेक्नीक गोरखपुर से प्राप्त ही। उसमे से स्नातक का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

7 राहुल कुमार के आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2021 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी स्नातक (कला संकाय) वर्ष 2014 में राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से बी0ए0 (शास्त्रीय परीक्षा) वर्ष 2015 में प्राप्त की है। उसमे से स्नातक (कला संकाय) वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से प्राप्त है का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का आग्रह किया गया है।

8 समर बहादुर पुत्र श्री राममूर्ति, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर एम0ए0 राजनीतिशास्त्र में अनुक्रमांक–56010990066 से वर्ष 2015 में 528 / 1000 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया पुनः वर्ष 2021 में एम0ए0 परीक्षा अनुक्रमांक–20601140598 (व्यक्तिगत) द्वारा 684 / 1000 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया गया है। छात्र द्वारा वर्ष 2015 का वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से प्राप्त है का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

9. रोहित गुप्ता, के आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2022 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) में एम0एस–सी0 गणित वर्ष 2017 डा0राममनोहर लोहिया महाविद्यालय,झोटारी, गाजीपुर एवं इसी सत्र में बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम

मे परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसमे से स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) गणित विषय में वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से प्राप्त है का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

निर्णय— सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा उक्त नौ प्रकरणों को आगामी परीक्षा समिति के बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

1. बी0एड0 व बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रायोगिक परीक्षा छूट जाने पर छूटी प्रायोगिक परीक्षा कराने पर विचार।

निर्णय— 1. बी0एड0 / बी0पी0एड0 के छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा को पुनः कराये जाने हेतु सम्बन्धी प्रकरण को अध्ययन परिषद को संदर्भित कर निर्णय लिए जाने पर समिति ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आनलाइन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक / सचिव

29/06/22
प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति / अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक **दिनांक 03.04.2022** को **11.30 बजे** (पूर्वान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में आनलाइन/आफलाइन सम्पन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:–

01.	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	**अध्यक्ष**
02.	डॉ. विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
03.	डॉ. समर बहादुर सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
04.	प्रो0 अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
05	डा0राजेश कुमार सिंह, विधि संकायाध्यक्ष, विधि विभाग,टी0डी0कालेज,जौनपुर	सदस्य
06.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
07.	प्रो.बी0बी0 तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
08.	डॉ0 सविता भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
09.	डॉ0 मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
10.	डा0रविप्रकाश, आसि0 प्रो0 इंजीनियरिंग संस्थान, वी.बी.एस.पी.यू. जौनपुर,	सदस्य
11.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
12.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
13.	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
14.	वित्त अधिकारी, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
15.	परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या—01

(क) मुख्य परीक्षा—2022 में स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षा फार्म भरने एवं सत्यापित करने हेतु आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुआ है। विभाग की आख्या निम्नवत् है:—

समिति को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षायें दिनांक 24.'03.2022 से प्रारम्भ हो चुकी हैं तथा अनेक विषयों की परीक्षा सम्पन्न हो चुकी हैं। परीक्षा फार्म भरने के उपरान्त महाविद्यालय द्वारा सत्यापित किया जाता है तदनन्तर सम्बन्धित महाविद्यालयों के छात्रों का शुल्क जनरेट होता है तथा महाविद्यालयों द्वारा शुल्क जमा किया जाता है। विगत वर्ष छात्र हित में छात्रों का परीक्षा फार्म वेरीफाई कराया गया था तथा अनेक महाविद्यालयों द्वारा समयान्तर्गत शुल्क भी जमा नहीं किया गया जिससे वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हुई थीं।

उक्त के आलोक में परीक्षा फार्म भराने एवं सत्यापन के प्रकरण पर विचार।

निर्णय— स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दिनांक 24.03.2022 से तथा स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा 28.03.2022 से प्रारम्भ हो चुकी है। अनेक विषयों की परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। परीक्षा के मध्य परीक्षा आवेदन फार्म भरने तथा सत्यापन करवाने से अनेक तरह की समस्याएं एवं विसंगतियॉं पैदा होती हैं। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन फार्म आनलाईन भरने के लिए दिनांक 12.01.2022 से 30.01.2022 तक दिनांक 31.01.2022 से 06.02.2022 तक दिनांक 14.02.2022 से 20.02.2022 तक तथा दिनांक 26.02.2022 से 27.02.2022 तक चार बार अवसर प्रदान करने पर भी छात्रों एवं महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समायावधि में परीक्षा फार्म पूरित नहीं किया गया जिससे छात्रों/महाविद्यालयों की उदासीनता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। अतः सम्यक विचारोपरान्त

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अन्तिम तिथि के उपरान्त फार्म भरवाने एवं सत्यापित कराने का अवसर दिये जाने का कोई औचित्य एवं आवश्यकता नहीं है।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आनलाइन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)	04/04/2022
परीक्षा नियंत्रक / सचिव	प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
	कुलपति / अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक **दिनांक 04.03.2022** को **03.00 बजे** (अपरान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में आनलाइन/आफलाइन सम्पन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

01.	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	अध्यक्ष
02.	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03.	डॉ. विजेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर।	सदस्य
04.	डॉ. समर बहादुर सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
05.	डा0 अशहद अहमद, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	सदस्य
06.	प्रो0 अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
07.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
08.	प्रो.बी0बी0 तिवारी, संकायाध्यक्ष, इंजी.और टेक्नो संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
9.	प्रो. अविनाश डी0 पाथर्डीकर,संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
10.	डॉ0 सविता भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
11.	डॉ0 मुनीब शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा, मऊ	सदस्य
12.	डा0रविप्रकाश, आसि0 प्रो0 इंजीनियरिंग संस्थान, वी.बी.एस.पी.यू. जौनपुर,	सदस्य
13.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
14.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
15.	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
16.	परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

(क) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जौनपुर के पत्र दिनांक 26.02.2022 एवं पूर्ण स्ववित्तपोषित महाविद्यालय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 24.02.2022 के कम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2021–22) परीक्षा को लिखित कराने एवं मिड–टर्म परीक्षा के पारिश्रमिक की मांग पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सत्र नियमित किये जाने के दृष्टिगत छात्रों के हित में पूर्व निर्णयानुसार ओ0एम0आर0 (बहु विकल्पीय प्रश्न आधारित) स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021–22 की परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।

(ख) बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर 2021 में जो छात्र अनुत्तीर्ण है और कैरीफारवर्ड की भी अर्हता नहीं रखते है किन्तु परीक्षा समिति के निर्णयानुसार उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों के औसत के आधार पर द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण है और उनके द्वारा तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा फार्म भी भर दिया गया है, के प्रकरण पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचारोपरान्त कोविड–19 की परिस्थितियों एवं छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया कि प्रथम सेमेस्टर 2021 में अनुत्तीर्ण छात्रों को तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाय तथा प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने पर ही चतुर्थ सेमेस्टर में फार्म भरने एवं परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाय।

(ग) तिलकधारी महिला महाविद्यालय, जौनपुर से स्नातक वर्ष 2009 में उत्तीर्ण छात्रा श्वेता प्रजापति के आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2022 जिसमें पति के नाम के स्थान पर पिता का नाम अंकित करने का अनुरोध किया गया है पर विचार।

निर्णय– सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पति से सम्बन्ध विच्छेद हो जाने के दृष्टिगत छात्रा श्वेता प्रजापति के बी0ए0 प्रथम वर्ष 2007 अनुक्रमांक– 227385 द्वितीय वर्ष 2008 अनुक्रमांक–589776 तथा तृतीय वर्ष 2009 अनुक्रमांक–894439 के सारणीयन पंजिका पर पति कमलेश कुमार के स्थान पर हाईस्कूल अंक प्रमाण पत्र के आधार पर पिता का नाम संशोधित कर दिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आनलाइन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक / सचिव

04/03/2022
प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति / अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक **दिनांक** 15.09.2022 को 12.00 **बजे** (मध्यान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में **आफलाईन/आनलाईन** सम्पन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

01.	प्रो. निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	अध्यक्ष
02.	प्रो0 ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03.	प्रो0 विनय कुमार सिंह संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर टी0डी0 पी0जी0 कालेज,जौनपुर	सदस्य
04.	डा0 राजेश कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर।	सदस्य
05.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
06.	प्रो0 सत्यप्रकाश,संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, श्री महन्थ रामाश्रय दास महाविद्यालय, भुड़कुडा, गाजीपुर।	सदस्य
07.	प्रो0 विजय कुमार राय, प्राचार्य, स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय, गाजीपुर	सदस्य
08.	प्रो0रवि प्रकाश, इंजीनियरिंग संस्थान,, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09.	प्रो0 सुरेश कुमार पाठक, प्राचार्य, मड़ियाहूँ महाविद्यालय, मड़ियाहूँ, जौनपुर	सदस्य
10.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	डा0 राहुल सिंह, महामंत्री शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
12.	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू, जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
13.	परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है-

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

क. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत सम्पन्न करायी गयी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा–2022 से संबंधित प्रायोगिक/ मिडटर्म/सेशनल अंक महाविद्यालयों से प्राप्त न होने या पूर्ण विवरण सहित प्राप्त न होने के कारण परीक्षा परिणाम घोषित न हो पाने के प्रकरण पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत सम्पन्न करायी गयी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2022 से संबंधित प्रायोगिक/ मिडटर्म/सेशनल अंक महाविद्यालयों से प्राप्त न होने या पूर्ण विवरण सहित प्राप्त न होने के कारण परीक्षाफल अपूर्ण है, उन्हें प्रायोगिक/ मिडटर्म/सेशनल में अनुपस्थित अंकित करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाय। यदि किसी छात्र/छात्रा प–6 एवं प–7 संलग्न कर प्रायोगिक/मिडटर्म/सेशनल में उपस्थित होने का प्रत्यावेदन संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रसारित कराकर प्रस्तुत करता है तो प्रत्यावेदन के साथ संलग्न प्रपत्रों का जॉचोपरान्त परीक्षा परिणाम में संशोधन कर दिया जाय।

ख. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा परास्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक परीक्षा/मौखिकी/लघुशोध के अंक न प्राप्त होने के कारण उनका परीक्षा परिणाम न घोषित हो पाने के प्रकरण पर विचार।

निर्णय– सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा परास्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के जिन छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक परीक्षा/मौखिकी/लघुशोध के अंक महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है उन्हें प्रायोगिक परीक्षा/मौखिकी/लघुशोध में अनुपस्थित अंकित करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाय। यदि किसी छात्र/छात्रा प–6

एवं प–7 संलग्न कर प्रायोगिक परीक्षा / मौखिकी / लघुशोध में उपस्थित होने का प्रत्यावेदन संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रसारित कराकर प्रस्तुत करता है तो प्रत्यावेदन के साथ संलग्न प्रपत्रों का जॉचोपरान्त परीक्षा परिणाम में संशोधन कर दिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आफलाईन / आनलाईन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

15/9/22

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक / सचिव

प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति / अध्यक्ष

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

परीक्षा समिति की बैठक **दिनांक** 01.12.2022 को 01.00 **बजे** (अपरान्ह) विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के कुलपति सभा कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:–

01	प्रो निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति।	अध्यक्ष
02	डॉ. ओमप्रकाश सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, टी0डी0 कालेज, जौनपुर	सदस्य
03	डॉ0 राजेश कुमार सिंह, सैन्य विज्ञान विभाग, संकायाध्यक्ष कला संकाय श्री राष्ट्रीय पी0जी0, कालेज, जमुहाई, जौनपुर	सदस्य
04.	डा0 राजेश कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग, टी0डी0पी0जी0 कालेज, जौनपुर।	सदस्य
05	डा0 सत्यप्रकाश, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, श्री महन्थ रामाश्रय दास महाविद्यालय, भुड़कुडा, गाजीपुर।	सदस्य
06.	प्रो0 अजय प्रताप सिंह, संकायाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानकीय संकाय, बी.वी.एस.पी.यू. जौनपुर।	सदस्य
07.	प्रो0 रामनारायण, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
08.	प्रो. अजय द्विवेदी,संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
09.	डा0रविप्रकाश, आसि0 प्रो0 इंजीनियरिंग संस्थान, वी.बी.एस.पी.यू. जौनपुर,	सदस्य
10.	डॉ विजय कुमार सिंह अध्यक्ष, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
11.	डॉ. राहुल सिंह, महामंत्री, शिक्षक संघ, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सदस्य
12.	वित्त अधिकारी, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	विशेष आमंत्रित
13.	कुलसचिव, वी.बी.एस0पी.यू. जौनपुर।	विशेष आमंत्रित
14.	परीक्षा नियंत्रक, वी.बी.एस.पी.यू.,जौनपुर	सचिव

उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

सर्वप्रथम मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या–01

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.08.2022 एवं 15.09.2022 की कार्यवाही की पुष्टि पर विचार।

निर्णय– परीक्षा समिति ने सर्व सम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22.08.2022 एवं परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 15.09.2022 की कार्यवाही को विचारोपरान्त सम्पुष्ट किया। विषय परिवर्तन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही को समिति ने इस शर्त के साथ पुष्टि की कि आगामी परीक्षाओं में विषय परिवर्तन की कोई अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। परीक्षार्थियों को उनके प्रवेश पत्र पर अंकित विषय/प्रश्नपत्र में ही परीक्षा देनी होगी। प्रवेश पत्र में अंकित विषय/प्रश्नपत्र से भिन्न विषय/प्रश्नपत्र में परीक्षा देने पर उसपर कोई विचार नहीं किया जायेगा। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनपर एक ही परीक्षार्थी की किसी एक प्रश्नपत्र की दो उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त होने के कारण महाविद्यालय पर दो लाख का अर्थदण्ड लगाया गया था, उन्हें अर्थदण्ड जमा करने हेतु पुनः अनुस्मारक पत्र निर्गत किया जाय।

कार्यसूची संख्या–02

परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 20.04.2022, 08.08.2022, 11.08.2022 एवं 18.08.2022 की कार्यवाही की पुष्टि पर विचार।

निर्णय– परीक्षा समिति ने परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 20.04.2022, 08.08.2022, 11.08.2022 एवं 18.08.2022 की कार्यवाही का विचारोपरान्त सर्व सम्मति से पुष्टि की।

कार्यसूची संख्या–03

राहुल कुमार यादव पुत्र श्री तिलकधारी यादव, बी0ए0 प्रथम वर्ष सत्र 2012–13 में उत्तीर्ण होने के पॉच वर्ष के उपरान्त वर्ष सत्र 2018–19 में बी0ए0 द्वितीय वर्ष एवं वर्ष 2019–20 में बी0ए0 तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए, के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर विचार।

निर्णय– राहुल कुमार यादव पुत्र श्री तिलकधारी यादव, बी0ए0 प्रथम वर्ष 2012–13 में उत्तीर्ण होने के पॉच वर्ष के उपरान्त वर्ष 2018–19 में बी0ए0 द्वितीय वर्ष एवं वर्ष 2019–20 मे बी0ए0 तृतीय वर्ष की परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर समिति ने यह निर्णय लिया कि स्नातक पाठ्यक्रम के अध्यादेश के अनुसार उल्लिखित पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम समय–सीमा 06 वर्ष में पाठ्यक्रम पूर्ण न होने के कारण परीक्षाफल घोषित किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

कार्यसूची संख्या–04

स्ववित्त पोषित पूर्वान्चल विश्वविद्यालय प्रबन्धक महासंघ, जौनपुर के अध्यक्ष द्वारा छात्र हित में किये गये अनुरोध पर परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22.08.2022 के कार्यसूची संख्या–01 ख पर लिये गये निम्न निर्णय पर पुनर्विचार।

निर्णय– जिन परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आवेदन फार्म भरे/सत्यापित किये बिना एवं बगैर प्रवेश पत्र निर्गत हुए छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उनके केन्द्राध्यक्षों पर रु0 1000/– प्रति छात्र की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा ऐसे छात्रों के प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

निर्णय– परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22.08.2022 के कार्यसूची संख्या–01 ख पर लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए सर्वसम्मति से पुनः पुष्टि की।

कार्यसूची संख्या–05

अभिलेख कक्ष द्वारा प्राप्त कराये गये विभिन्न प्रकरण जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क. छात्र/छात्राओं द्वारा हाईस्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर सरनेम यथा यादव, पाण्डेय आदि जोड़ने अथवा हटाये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

ख. 12 छात्र/छात्राओ द्वारा अंकों में संशोधन करने हेतु प्राप्त कराये गये आवेदन पत्रों पर विचार।

निर्णय–

क. हाईस्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर सरनेम आदि जोड़ने अथवा हटाये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर समिति ने यह निर्णय लिया कि पूर्व में परीक्षा समिति द्वारा लिए गये निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जाय।

ख. छात्र/छात्राओं के द्वारा अंको में संशोधन करने संबंधी प्रकरण पर समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रकरण कालातीत होने के कारण अंकों में संशोधन सम्भव नहीं है।

कार्यसूची संख्या–06

इसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्थान से एक ही सत्र में अर्जित की गयी एक से अधिक उपाधि को निरस्त करने सम्बन्धी निम्न प्रकरणों पर विचार।

1 कुमारी विनीता के आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2019 जिसमें उनके द्वारा एक ही वर्ष 2016 राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर से एम0ए0 गृहविज्ञान एवं बी0टी0सी0 उपाधि अर्जित की गयी है। छात्रा द्वारा एम0ए0 का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्रा के अनुरोध पर विचार।

2 शीतांशू दूबे के आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2020 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी बी0ए0 2001–04 गोकुलनाथ दूबे महाविद्यालय, ढेमा,जौनपुर एवं बी0टेक वर्ष 2002 से 2006 तक पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है। प्राप्त

उपाधि मे से बी0टेक का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

3 अतुल कुमार यादव के आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2019 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी बी0टेक वर्ष 2011 से 2015 पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से बी0ए0 (शास्त्रीय परीक्षा) वर्ष 2013–15 मे उत्तीर्ण की है। उसमें से बी0टेक का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

4 मिथिलेश कुमार यादव के आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2019 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र मे अर्जित की गयी बी0एड0 वर्ष 2003 श्री नरहेजी महाविद्यालय, नरही रसड़ा, बलिया एवं एल0एल0बी0 वर्ष 2003 में तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर से प्राप्त की है। उसमे से बी0एड0 का अंकपत्र (परीक्षाफल) एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

5 गनेश कुमार तिवारी के आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2021 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र अर्जित की गयी स्नातक (कला संकाय) वर्ष 2008–10 से उदय प्रताप महाविद्यालय, वाराणसी एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से बी0ए0 (शास्त्रीय परीक्षा) मे से स्नातक (कला संकाय) वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से प्राप्त है का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

6 अरविन्द यादव, के आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2021 जिसमें स्नातक वर्ष 2011 में वीर लोरिक सुघर डिग्री कालेज, विगह चरौवा, बलिया एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम राजकीय पालिटेक्नीक गोरखपुर से प्राप्त ही। उसमे से स्नातक का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

7 राहुल कुमार के आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2021 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी स्नातक (कला संकाय) वर्ष 2014 में राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से बी0ए0 (शास्त्रीय परीक्षा) वर्ष 2015 में प्राप्त की है। उसमे से स्नातक (कला संकाय) वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से प्राप्त है का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का आग्रह किया गया है।

8 समर बहादुर पुत्र श्री राममूर्ति, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर एम0ए0 राजनीतिशास्त्र में अनुक्रमांक–56010990066 से वर्ष 2015 में 528 / 1000 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया, वर्ष 2021 में पुनः परीक्षा देकर 684 / 1000 प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण किया गया है। छात्र द्वारा वर्ष 2015 का वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से प्राप्त एम0ए0 का अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

9 रोहित गुप्ता, के आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2022 जिसमें उनके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) में एम0एस–सी0 गणित वर्ष 2017 डा0राममनोहर लोहिया महाविद्यालय,झोटारी, गाजीपुर एवं इसी सत्र में बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम मे परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसमे से स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) गणित विषय में वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से प्राप्त अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। छात्र के अनुरोध पर विचार।

10 सुरेश यादव पुत्र स्व0 सन्तू यादव के आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2022 जिसके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी, बी0ए0 एवं आई0टी0आई0 में से बी0ए0 का अंक पत्र एवं उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, पर विचार।

11 राज कुमार यादव पुत्र स्व0 रामआसरे यादव के आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2022 जिसके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी बी0एड0 एवं दूरस्थ बी0टी0सी0 की उपाधि में से बी0एड0 अंकपत्र / उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, पर विचार।

12 प्रियांजली सिंह पुत्री श्री पंकज सिंह के आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2022 जिसके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित की गयी दो उपाधि एम0एस–सी0(जुलाजी) एवं बी0टी0सी0 में से एम0एस–सी0 (जुलाजी) अंकपत्र / उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, पर विचार।

13 परविन्द पासवान पुत्र श्री रामचन्द्र पासवान के आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2022 जिसके द्वारा एक ही सत्र में अर्जित बी0एड0 एवं बी0टी0सी0 में से बी0एड0 अंकपत्र / उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, पर विचार।

14 मुन्ना लाल यादव पुत्र स्व0 रामसकल यादव के आवेदन पत्र दिनांक 17.11.2022 जिसके द्वारा एक ही सत्र मे अर्जित एम0ए0(भूगोल) एवं एल0एल0बी0 में से एम0ए0(भूगोल) का अंकपत्र/उपाधि निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, पर विचार।

निर्णय– कार्यसूची संख्या–06 के कमांक 01 से 14 पर समिति ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त प्रकरण विचार करने योग्य नहीं है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मदों पर विचार–

1. **(अ)** शासन के पत्र संख्या–आर0–320/2022–सी0एक्स–2 दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 पर संलग्न अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के पत्र संख्या–सीए/ एडीजी–एस0टी0एफ0–05(37)/2022 दिनांक 15.09.2022 पर विचार।

निर्णय– (अ) उक्त प्रकरण समिति के समक्ष पटल पर रखा गया जिसपर समिति ने सर्वसम्मति से जनपद जौनपुर के क्रमशः दो महाविद्यालय मड़ियाहूँ पी0जी0 कालेज, मड़ियाहूँ एवं माँ सरस्वती महाविद्यालय, दमोदरा, जौनपुर को विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा का परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0) परीक्षा–2022 में जनपद गाजीपुर के केन्द्र स्वामी सहजानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर पर पायी गयी अनियमितता पर कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय– (ब) उक्त प्रकरण समिति के समक्ष पटल पर रखा गया जिसपर समिति ने सर्वसम्मति से स्वामी सहजानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर में डा0 विजय कुमार राय को विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में केन्द्राध्यक्ष न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी0फार्मा) में ऐसे छात्र जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये है उन्हें बैंक पेपर की परीक्षा में बैठने का विचार।

निर्णय— उक्त प्रकरण समिति के समक्ष पटल पर रखा गया जिसपर समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि डी0 फार्मा की नियमावली के अनुसार ऐसे छात्रों की पूरक (सप्लीमेण्ट्री) परीक्षा करा ली जाय।

3. नयी शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षा में सी0ओ0पी0ओ0 पद्धति के अनुसार परीक्षा सम्पन्न कराये जाने पर विचार।

निर्णय— नयी शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षा में सी0ओ0पी0ओ0 पद्धति को आगामी सम–सेमेस्टर (II, IV & VI) से कराये जाने का निर्णय लिया गया।

4. सन्निरीक्षा–2022 हेतु प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष उत्तर पुस्तिकाओं की सन्निरीक्षा में सम्बन्धित परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन में की गयी लापरवाही के लिए सन्निरीक्षा परीक्षा समिति द्वारा दी गयी संस्तुति पर विचार।

निर्णय— सन्निरीक्षा समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिन उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों में अधिक परिवर्तन हुआ है, सन्निरीक्षा समिति उन सभी प्रकरणों पर विचार कर अपनी संस्तुति उपलब्ध करावें जिससे परीक्षा समिति में प्रस्तुत किया जाय।

5. जिन विषयों/प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकायें नहीं मिलती है ऐसे अनुक्रमांकों के परीक्षाफल को पूर्ण किये जाने पर विचार।

निर्णय— समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित विषय/प्रश्नपत्र की पी0–6 एवं पी–07 से उपस्थिति की प्रमाणिकता की पुष्टि होने तथा अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित न होने के उपरान्त ही औसत अंक देकर परीक्षाफल पूर्ण किया जाय।

6. राज्य स्तरीय/राष्ट्र स्तरीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले छात्रों की विशविद्यालयीय (व) परीक्षा छूट जाने पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय/राष्ट्र स्तरीय खेलों में यदि कोई छात्र प्रतिभाग करता है तथा उसकी परीक्षा छूट जाती है तो ऐसे छात्रों की छूटी परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर में ही सम्पन्न करायी जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आफलाईन/आनलाईन बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

(व्यास नारायण सिंह)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव

प्रो0(निर्मला एस0 मौर्य)
कुलपति/अध्यक्ष